जन सुनवाई का कार्यवाही विवरण

भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 व इसकी संशोधित अधिसूचनाओं में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत प्रस्तावित खनन परियोजना मैसर्स जे. एस.डब्ल्यू. सीमेंट लिमिटेड, 3सी1 चूना पत्थर ब्लॉक, खान पट्टा क्षेत्र 300.7284 हेक्टेयर है और प्रस्तावित चूना पत्थर उत्पादन क्षमता– 1.45 मिलियन टीपीए, ओबी/आईबी/अपशिष्ट– 0.52 मिलियन टीपीए, शीर्ष मृदा– 0.07 मिलियन टीपीए, कुल उत्खनन 2.04 मिलियन टीपीए के साथ क्रेशर क्षमता 1600 टीपीएच की वॉब्लर के साथ स्थापना, निकट गांव– हरिमा, भड़ाना एवं डेह एवं तहसील– नागौर एवं डेह, जिला– नागौर (राजस्थान) में स्थित है, में **चूना पत्थर खनन** की पर्यावरण स्वीकृति हेतु जन सुनवाई जिला कलेक्टर नागौर के प्रतिनिधि श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नागौर की अध्यक्षता में एवं श्री राज कुमार मीणा, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर की उपस्थिति में **राजकीय प्राथमिक विद्यालय, जिन्दास संख्या 2, पंचायत समिति नागौर, तहसील एवं जिला नागौर में दिनांक 12/06/2025** को प्रातः 10:00 बजे आयोजित की गई।

जन सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियो का विवरण मय हस्ताक्षर **परिशिष्ट "अ"** पर संलग्न है। जन सुनवाई बाबत विज्ञप्ति समाचार पत्र **"हिन्दुस्थान टाइम्स"** एवं **"दैनिक नवज्योति"** में **दिनांक 08/05/2025** को प्रकाशित करवाई गई थी, जिसकी प्रतियाँ **परिशिष्ट "ब"** पर सलंग्न है।

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर ने सभी आगुन्तकों का स्वागत करते हुए अवगत करवाया कि उक्त जनसुनवाई भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 व इसकी संशोधित अधिसूचनाओं में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय, नागौर द्वारा आयोजित की जा रही है, जिसमें जिला कलेक्टर महोदय की तरफ से अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नागौर को प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। उक्त जन सुनवाई की सूचना दो समाचार पत्रों में 30 दिवस पूर्व दी जा चुकी है। क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को बताया गया कि उक्त खनन परियोजना से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी खनन परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार द्वारा दी जायेगी। सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनने के पश्चात उपस्थित आमजन खनन परियोजना के सम्बन्ध में आपत्ति या सुझाव दर्ज करवा सकते है। उक्त जनसुनवाई की विडियोग्राफी भी करवाई जा रही है।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

जनसुनवाई विडियोग्राफी एवं दिये गये आक्षेप/सुझाव क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार (MoEF&CC) को प्रेषित कर दिये जायेंगे। इसके पश्चात अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय की अनुमति से प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्तुतिकरण हेतु **मैसर्स जे.एस.डब्ल्यू. सीमेंट लिमिटेड** के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार **मैसर्स जे.एम. इन्वायरोनेट प्राईवेट लिमिटेड** को आंमत्रित किया गया।

परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार **मैसर्स जे.एम. इन्वायरोनेट प्राईवेट लिमिटेड** के प्रतिनिधि द्वारा खनन परियोजना का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत बताया गया कि उक्त खनन परियोजना **निकट गांव– हरिमा, भड़ाना एवं डेह एवं तहसील– नागौर एवं डेह, जिला– नागौर (राजस्थान)** में खनिज– **चूना पत्थर खनन** हेतु प्रस्तावित है, जिसका मौजूदा चूना पत्थर खनन परियोजना में प्रस्तावित विस्तार हेतु, 3सी1 चूना पत्थर ब्लॉक, खान पट्टा क्षेत्र 300.7284 हेक्टेयर है और प्रस्तावित चूना पत्थर उत्पादन क्षमता– 1.45 मिलियन टीपीए, ओबी/आईबी/अपशिष्ट– 0.52 मिलियन टीपीए, शीर्ष मृदा– 0.07 मिलियन टीपीए, कुल उत्खनन 2.04 मिलियन टीपीए के साथ क्रेशर क्षमता 1600 टीपीएच की वॉब्लर के साथ स्थापना, निकट गांव– हरिमा, भड़ाना एवं डेह एवं तहसील– नागौर एवं डेह, जिला– नागौर (राजस्थान) में स्थित है, में **चूना पत्थर खनन** परियोजना है। तत्पश्चात पर्यावरणीय सलाहकार ने खान की अवधि, खान का परिचय, खनन योजना, खनन परियोजना का विवरण मय नक्शा, खनिज भण्डार, खनन प्रक्रिया, जलवायु, जल बहाव, ढांचा और खनन गतिविधियों के द्वारा जैव विविधता, मिट्टी, पर्यावरणीय, वायु और ध्वनि पर्यावरण पर प्रभाव एवं उनके शमीकरण/रोकथाम के उपायों के बारें में बताया तथा साथ ही पर्यावरणीय मापदंडों की निगरानी कार्यक्रम एवं प्रस्तावित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर) के बारे में बताया।

खनन इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा खनन परियोजना की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाने के पश्चात क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित समस्त जनसमूह को इस खनन परियोजना के सम्बन्ध में अपने आक्षेप/सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु आंमत्रित किया।

श्री शिव भगवान, हेड, सीएसआर फण्ड, जे.एस.डब्ल्यू. सीमेंट लिमिटेड ने कम्पनी द्वारा सीएसआर के अन्तर्गत किये गये कार्यों का संक्षिप्त में विवरण प्रस्तुत किया गया जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, इन्फ्रा, खेल प्रोत्साहन,

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

पानी, सामाजिक कार्यक्रम आदि पर किये जा रहे कार्यों के बारें में जानकारी दी तथा कम्पनी द्वारा भविष्य में प्रस्तावित योजनाओं के बारें में अवगत करवाया।

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित समस्त जनसमूह को इस खनन परियोजना के सम्बन्ध में अपने आक्षेप/सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु पुनः आंमत्रित किया।

श्री कैलाश गौतम निवासी डेह ने कहा कि इस प्रस्ताव में जल पर्यावरणीय प्रभाव एवं शमन में निकटवर्ती जल निकाय– छापर, जोंजोलाई, जाखोलाई, बामण्डा, पिनसरिया लिखा है। डेह के नौसर तालाब के लिए इसमें आपने क्या करना है अथवा क्या करेंगे? क्योंकि डेह का नौसर तालाब के बारें में बताया जाता है कि जब भदाना में ज्यादा बारिश होती है तो वहां का पानी भी डेह तालाब में आता है। यह आपके खनन के एरिया में ही है, यहां का पानी वहां तक आता है, इसके लिए आपके क्या सुझाव रहेंगे? आपने इस लिस्ट में डेह के नौसर तालाब नाम दिया नहीं है, जिसका ताल लगभग यहां भदाना से शुरू होता है। इसके अन्दर आपने डेह का केवल बामण्डा एक ही तालाब लिखा है, जबकि डेह के अन्दर 10 छोटी–बड़ी नाड़ियां है, चौमासे के माह में सभी किसान एवं पशु उनका उपयोग करते है। प्रत्येक कांकड़ (गांव का बाहरी क्षेत्र) में छोटी–बड़ी नाड़ियां बनी है, उनको जलाशय के रूप में काम लिया जाता है। इस लिस्ट में उन सब का कोई वर्णन नहीं है, तो इन सब के बारें में थोड़ा स्पष्ट करें।

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय ने पर्यावरणीय सलाहकार को उक्त के संबंध में जानकारी देने हेतु कहा।

पर्यावरणीय सलाहकार श्री रमेश नेहरा ने बताया कि इस पर्यावरण प्रभाव ईआईए रिपोर्ट के चेप्टर 3 में लेण्ड यूज में जितने भी जल निकाय आते है, जिनका विवरण दिया है, जिसमें सभी वाटर बॉडी कवर की गई है।

श्री कैलाश गौतम निवासी डेह ने पुनः कहा कि आप पढ़ कर बता दीजिये, इसमें क्या लिखा है, डेह के सारे तालाबों एवं नाड़ियों के बारें में आपसे जानना चाहता हूं कि उनके लिए आप क्या करेंगे? पेज नम्बर 18 पर लिख रखा जल पर्यावरण प्रभाव शमन निकटवर्ती जल संकाय नाड़ियां– जिसमें पांच नाड़ियों के नाम–छापर, जांजोलाई, जाखोलाई, बामण्डा, जो डेह का ही एक छोटा सा, आबादी के अन्दर, जिसका पानी भी शायद पीने हेतु नहीं लेते है, तो भी उसका करवा रहे है उसके लिए धन्यवाद! परन्तु जो काम में लिये जा रहे है, उनके लिए बताईयें।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

पर्यावरणीय सलाहकार श्री रमेश नेहरा ने बताया कि उनके संरक्षण के उपाय किये जायेंगे, गहरीकरण, स्टोन पिचिंग आदि परियोजना क्षेत्र में प्रभावित गांवों में किये जायेंगें।

श्री कैलाश गौतम निवासी डेह द्वारा पुनः पूछा गया कि इसके सम्बन्ध में क्या आप लिखित में देंगे तथा यह सभी कार्य कब किये जायेंगे, जब आपकी कम्पनी काम शुरू कर देगी उसके बाद में, अथवा पहले आप गांवों के तालाब का काम करायेंगे। हम जिस क्षेत्र में रह रहे है, इस क्षेत्र के लोगों को तथा गांववालों को बता देता हूं कि अपने क्षेत्र में दिखनाद हवा चलती है, तो इस क्षेत्र में जो प्रदूषण होगा उसके लिए आपके द्वारा क्या किया जायेगा? हमें प्रति किलोमीटर के हिसाब से प्रदूषण के लिए जवाब चाहिए। जिसके प्रत्युत्तर में **पर्यावरणीय सलाहकार श्री रमेश नेहरा** ने बताया कि जल संरक्षण के लिए जितने भी तालाब है, उसका रिन्यूवेशन एवं गहरीकरण के लिए लिखित में दे देंगे।

श्री कैलाश गौतम निवासी डेह द्वारा पुनः पूछा गया कि आप प्रदूषण के लिए क्या करोगे? तालाब की गहरीकरण, जितना गहरा है वो सफिसेंट है, ज्यादा गहराई में पानी ठहरेगा नहीं, तो गहराई नहीं चाहिए।

पर्यावरणीय सलाहकार श्री रमेश नेहरा ने बताया कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर डवलप की जायेगी।

श्री कैलाश गौतम निवासी डेह द्वारा पुनः पूछा गया कि यह कैसे करेंगे, डिटेल में बताईयें कि कैसे करेंगे जिससे प्रदूषण नहीं होगा?

पर्यावरणीय सलाहकार श्री रमेश नेहरा ने बताया कि प्रदूषण तो खदान से जो ब्लास्टिंग होती है उसके लिए डस्टसप्रेशन सिस्टम होगा। ट्रांसपोर्टेशन से उसके लिए रेगुलर पानी का छिड़काव किया जायेगा।

श्री कैलाश गौतम निवासी डेह ने कहा कि प्रदूषण के मामले में दुनिया में तीसरे स्थान पर सीमेंट इन्डस्ट्रीज है, तो आप उसका पहले पुख्ता ईलाज कराये, फिर पर्यावरण पर काम करें और आगे अपना काम शुरू करें, इसको लिखित में देवें।

पर्यावरणीय सलाहकार श्री रमेश नेहरा ने बताया कि पर्यावरण प्रबंधन के तहत जो भी सुरक्षा उपाय किये जायेंगे, पहले से योजना में भी दिया गया है, लिखित में आपका जो जवाब है।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

श्री कैलाश गौतम निवासी डेह ने कहा कि ये लिखित में 25 प्रेसेंट भी नहीं है, कम है। नाड़ियों तालाब के बारें में मैंने एक ही चीज पढ़ी है, आपने सिर्फ 5 नाड़ियां ली है। जैसे हरिमा में तीन नाड़ियां है, भदाना गांव में 5–6 नाड़ियां है, डेह में 10 से अधिक नाड़ियां है, आपने सिर्फ 5 का मेंशन किया है बाकि का नहीं। आसपास के गांवों की छोटी–बड़ी नाडियों की संख्या करें तो 75 से 100 के बीच में संख्या होगी।

पर्यावरणीय सलाहकार श्री रमेश नेहरा ने बताया कि आपकी बात बिल्कुल सही है, यह परियोजना की रिपोर्ट केवल ड्राफ्ट ईआईए रिपोर्ट है, आपके सुझाव के तहत फाइनल ईआईएमपी रिपोर्ट होगी उसमें ये सभी शामिल करके प्रस्तुत करेंगे। आप लोगों के सुझाव के लिए यह जन सुनवाई रखी जाती है।

श्री कैलाश गौतम निवासी डेह ने कहा कि हमें लिखित में चाहिए कि कम्पनी जब काम शुरू करेगी उससे पहले ये सभी कार्य करवायेंगे। दूसरी बात किसानों की जैसे मान लीजिएं, जब आपका प्लांट चालू होगा, जिसमें माईनिंग एवं प्लांट से जो भी प्रदूषण होगा, जिन–जिन लोगों के खेती की जमीन आपने अधिग्रहण की है, उनको आप पैसे दे रहे है, परन्तु जिन–जिन लोगों के खेती की जमीन नहीं आ रही है, तो जब उसकी फसल खड़ी होगी और उस पर आपके पॉल्यूशन से उसकी पैदावार में जो कमी आयेगी, फाल–बगर आ रहा है, उस समय आपकी डस्ट उसके ऊपर से जायेगी तो उसके लिए आप क्या मुआवजा रखेंगे, प्रतिवर्ष उसको जो नुकसान होगा उसके लिए आप क्या रखेंगे?

श्री अरविन्द शर्मा, एवीपी इन्वायरमेंट कॉरपोरेट, जे.एस.डब्ल्यू. सीमेंट लिमिटेड ने कहा कि आपके जितने भी सुझाव है वह नोट कर लिये गये।

श्री कैलाश गौतम निवासी डेह ने कहा कि मेरे कोई सुझाव नहीं है, समस्याएं है, निवारण चाहिए। सुझाव देने वाला मैं कौन हूं? मेरी समस्याएं है, इनका आप निवारण कीजिये।

श्री अरविन्द शर्मा, एवीपी इन्वायरमेंट कॉरपोरेट, जे.एस.डब्ल्यू. सीमेंट लिमिटेड ने कहा कि आपकी सभी समस्याओं का निवारण किया जायेगा। जो पब्लिक हियरिंग के मीनट्स बनेंगे, उसके लिखित हम ईआईए रिपोर्ट में भी शामिल करेंगे एवं भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय को वो रिपोर्ट हम भेजेंगे।

क्षेत्रीय अधिकारी

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

श्री कैलाश गौतम निवासी डेह ने कहा कि आप गुमाने वाली बात कर रहे है। आप पर्यावरण के लिए अलग कमेटी बनायें जिसमें प्रत्येक गांव से 5–7 आदमी लीजिये, जिनकी जमीनें नहीं हो और जो आपसे प्रभावित नहीं हो, उनकी कमेटी बना कर उनकी देखरेख में आप ये काम कराये, जो आपकी भाषा थोड़ी समझे और गांववालों की भाषा समझे, उन आदमियों की कमेटी बनाये। उन लोगों की कमेटी मत बनाना जिनका आप जाते ही नाम ले और वो ख़ुशी से आगे आ जाये, वो कम्पनी की ही सोचेगा, क्योंकि कम्पनी के लोग उसे वर्बली जानते है, हमें वो आदमी नहीं चाहिए। हमें पर्यावरण वाले शुद्ध किसान की प्रति गांव की कमेटी बना कर उनके निवारण के आधार पर काम कराये।

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय ने कहा कि ये ईआईए रिपोर्ट केवल ड्राफ्ट रिपोर्ट है, आप द्वारा जो भी सुझाव/शिकायतें दी जायेगी, उन सभी को इसमें जोड़ा जायेगा तथा संदर्भ में उसके किये जाने वाले सुधार, वो भी इसमें अंकित किये जायेंगे और भी अपने शिकायत एवं सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

श्री शिवनाथ गोदारा निवासी खेराट ने कहा कि सबसे ज्यादा प्रदूषित गैस CO_2 निकलेगी तथा CO_2 को खत्म करने के लिए सबसे ज्यादा वन चाहिए लेकिन वन लगाने के लिए हमारे पास पर्याप्त भूमि नहीं है, तो हमें प्रति बीघा या प्रति किलोमीटर क हिसाब से लगाने है तो कितने सघन वन लगे है, अब तक आपने कितने पौधे लगाये तथा भविष्य में कितने पौधे लगायेंगे, उन सब का आंकड़ा चाहिए। अभी डेह में जो नीम कॉरिडोर लगा है, उसके अलावा आपके लगे हुवे पौधे नहीं देखे। सघन वन जापान की एक पद्धति का नया शब्द है मियावाकी।

श्री कैलाश गौतम निवासी डेह ने कहा कि कम्पनी ने नीम कॉरिडोर एक किलोमीटर दर्शाया था, परन्तु वह मात्र 450 मीटर ही है। इन चीजों से थोड़ा बचो। जो करते हो उससे सवा गुना या डेड गुना मत लिखो।

श्री शिवनाथ गोदारा निवासी खेराट ने कहा कि पहला बिन्दु– CO_2 गैस को खत्म करने के लिए हमें सघन वन लगाने है, सघन वन हमारे लिये नया शब्द है। सघन वन जापान के मियावाकी की पद्धति है, जिसमें 3–4 फीट की दूरी पर पौधे लगाने होते है, एक निर्धारित एरिया जैसे 200X300 वर्ग फीट के क्षेत्र में उसमें कम–से–कम पांच सौ, सात सौ पौधे लगाने है। तो अब तक कम्पनी ने कितने सघन वन लगाये है तथा और कितने लगाओगे? अतः अभी जुलाई का टारगेट लेकर प्रत्येक गांव में कम–से–कम पांच बीघा में एक सघन वन लगावें।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

दूसरा बिन्दु— जब प्लांट शुरू होगा तो उससे आने वाली डस्ट से खेतों की जमीन कम—से—कम प्रदूषित हो उसके लिए आप क्या करोगे? मेरा सुझाव है कि किसान के साथ मिलकर रोहिड़ा एवं खेजड़ी जैसे पौधों का रोपण कर उसकी सींव मय कर ताकि डस्ट सींव पर ही रूक जाये और पूरी जमीन बर्बाद ना हो।

तीसरा बिन्दु— अभी आप द्वारा तालाबों का जिक्र किया गया, जब ये डस्ट उड़ेगी तो तालाब की अंगौर भूमि पर पड़ेगी तथा पानी के साथ बह कर तालाब में जायेगी, जिससे जल प्रदूषण होगा। तो उसे रोकने के लिए तालाब की अंगौर भूमि पर 100 मीटर चौड़ी हरित पट्टिका लगाई जाये ताकि डस्ट वहीं रूक जाये तथा पूरे अंगौर भूमि में भूमि प्रदूषण भी ना हो।

चौथा बिन्दु— परम्परागत जलाशयों के आप द्वारा क्या किया जायेगा, अभी आपने मात्र 4—5 नाड़ियां बतायी, जबकि सबसे बड़ा तालाब डेह का है या भदाना नाड़ी है, आपने बताया कि इनकी गहराई कर देंगे, तो गहराई करने की जरूरत नहीं है, इनका सौन्दर्यीकरण, घाट निर्माण किया जाये और इनकी अंगौर भूमि में हरित पट्टिका लगाई जाये।

पांचवा बिन्दु— जब प्लांट शुरू होगा तो एलर्जी एवं फेंफड़ों सम्बन्धित बिमारियां होगी, उसके लिए आप स्थानीय लोगों के लिए क्या बचाव करोगे तथा प्राथमिक उपचार के लिए आप किस प्रकार सहयोग करोगे, ये सब हमें लिखित में चाहिए।

छठा बिन्दु— आपने प्लांट के लिए जो भूमि आवाप्त की है, वहां जितने वन्यजीव थे या पक्षी थे, उस बैचारों को जगह छोड़नी पड़ी, उनके घरों को हमने बर्बाद किया है, तो उनके शरण के लिए आपने क्या प्रयास किया, वन्यजीवों के लिए कितने सघन वन लगाये है, उनके लिए कितनी तलाई या खेळियां बनाई है। आपने अभी बताया कि 10 खेळियों का निर्माण किया वो केवल गायों के लिए है। छोटी—छोटी तलाईयों का निर्माण भी करना पड़ेगा, ताकि हिरन, खरगोश, लोमड़ी, नीलगाय ये भी आराम से पानी पी सके।

सातवा बिन्दु— आपने खनन क्षेत्र हेतु किसी मंगरे की जमीन आवाप्त की है, तो वहां जो वन्यजीव प्रभावित हुवे है, उनके लिए आपने किसी अन्य जगह ऐसी जमीन आवाप्त की है, जहां वन्यजीव आराम से रह सके।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

आठवां बिन्दु— अभी आपने रेन हार्वेस्ट की बात की, भदाना, हरिमा तथा डेह के प्रत्येक घर में रेन हार्वेस्ट सिस्टम लागू किया जाये, जिसके लिए आपको ठोस निति अपनानी होगी, जिससे प्रत्येक घर का पानी नालियों के माध्यम से गलियों में ना बहकर जमीन में जाये। जिसके लिए शुरूआती चरण में चार—पांच गावों में ये कार्य करना पड़ेगा।

नौवा बिन्दु— ग्रीन एनर्जी में जैसे स्ट्रीट लाईट एवं अन्य है, शुरूआत में कम—से—कम दस गांव में आपके द्वारा ग्रीन एनर्जी पर कार्य शुरू होना चाहिए।

दसवां बिन्दु— स्थानीय युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देवें एवं यहां के स्थानीय श्रमिक भी लेवें तथा उनके साथ ये भी ना हो कि अगले 1 साल बाद यहां के श्रमिकों को आप चितौड़ अथवा भीलवाड़ा भेज दो। स्थानीय श्रमिकों के लिए पर्याप्त सुविधा, समुचित रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। उनके शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आवास के लिए अभी तक आपने क्या—क्या कार्य किया तथा भविष्य में आप क्या करोगे?

अतः मेरे सभी बिन्दुओं पर हमें ठोस लिखित में आपसे चाहिए।

श्री राधेश्याम भाकल, पूर्व सरपंच भदाना ने शायरी के साथ अपनी बात की शुरूआत कर जे.एस.डब्ल्यू. द्वारा भदाना तथा आसपास के क्षेत्र में करवाये गये कार्यों के बारें में बताते हुए कहा कि राजकीय विद्यालय, भदाना में तीन बड़े हॉल निर्माण कार्य, हरिराम बाबा मंदिर के सामने प्याऊ निर्माण कार्य, भदाना में सार्वजनिक तालाब निर्माण खुदाई कार्य, जिन्दास गांव में पेयजल ट्यूबवेल, सभी गांवों में 250 सोलर लाईट, श्री राधा कृष्णा गौशाला में निर्माण कार्य, जे.एस.डब्ल्यू. के दायरें में आने वाले सभी गांवों में गोबर गैस, हरे सब्जी प्लांट, स्कूलों में निर्माण—कलर, छत वाटर प्रुफ कार्य, महिला रोजगार सेन्टर, हेल्थ केम्प सेन्टर, आयुर्वेदिक सेन्टर जैसे बड़े केम्प लगाने के कार्य जे.एस.डब्ल्यू. द्वारा हुवे है। इन कार्यों को देखते हुए हम सभी गांववालें, सभी किसान यहीं आशा रखते है कि आने वाले समय में जे.एस.डब्ल्यू. हमारे गांवों को विकास एवं रोजगार की ऊंचाई पर पहुंचाने का कार्य करेंगे। जे.एस. डब्ल्यू. प्लांट का हमारे गांव में स्वागत है, जिन्होंने आकर इतना विकास कार्य करवाये तथा आगे और कार्य करवायेंगे।

किसानों की तरफ से कुछ मांगें रखना चाहता हूं, जिन—जिन किसानों ने अपनी जमीन देकर जे.एस.डब्ल्यू. के सहयोग का काम किया है, उनका इस प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा योगदान है, उस सभी किसानों को प्राथमिकता दी जाये। आज तक

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

उन किसानो का कोई कार्य नहीं हुआ, ना उनका साधन लगा, ना उन्हें रोजगार मिला। अतः उन किसानों के लिए कुछ कम्पनी के द्वारा किया जाये। कम्पनी के दायरें में आने वालें गांवों में 100 से 200 लोग प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त कर रहे है, उम्मीद करते है कि आने वाले समय में योग्यता, वरियता अनुसार रोजगार दिया जायेगा। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या हॉस्पीटल समस्या है, यहां एक छोटा सा हॉस्पीटल है, जिसमें डिलिवरी के सबसे ज्यादा केस है, ट्रिटमेंट लेने के लिए नागौर अस्पताल जाना पड़ता है, जिसकी दूरी लगभग 30 किलोमीटर है तथा इसमें एक रेलवे फाटक भी आ रहा है, हमें कभी कभार बड़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। अतः यहां भादना-जिन्दास में एक बडा हॉस्पीटल निर्माण कार्य हो।

शिक्षा में जब 10वीं-12वीं के बच्चे उर्तीण होने पर उन्हें आगे की शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ता है, अतः यहां एक बड़ा कॉलेज निर्माण कार्य हो जिससे किसानों को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आसानी हो। पानी को लेकर भी बहुत बड़ी समस्या है, दो सप्ताह अथवा एक सप्ताह से मात्र 100-200 लीटर पानी आता है, काफी घर वंचित भी रह जाते है। जे.एस.डब्ल्यू. अपने प्लांट से भदाना, जिन्दास के गांवों को पानी तथा बिजली देवें। किसानों की एक और समस्या, जो काफी समय से सुनने में आ रही है, जे.एस.डब्ल्यू. में जो भी छोटी बड़ी कम्पनियां आई है, जो जुड़ी है, उनमें जो साधन जैसे- ट्रेक्टर-ट्रोली, जे.सी.बी., डम्पर है, वो सबसे ज्यादा बाहर के लगे हुवे है, अतः जे.एस.डब्ल्यू. से मेरा निवेदन है कि स्थानीय गांवों के साधन सबसे पहले कम्पनी में लगवावें। ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। जिन्दास में सामुदायिक भवन निर्माण करवावें। जिन्दास का वर्षादित पानी जिन्दास में रह जाता है, अतः इस पानी को बाहर निकलवाने का काम भी करवावें।

श्री सहीराम बाना निवासी भदाना ने कहा कि प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायत भदाना तथा आसपास के गांवों में ज्यादा से ज्यादा पेड़-पौधे लगाये जाये, तथा उन पेड-पौधों की समय से देखरेख भी की जाये। क्योंकि विगत वर्ष जे.एस. डब्ल्यू. ने भदाना फांटा से गांव तक पेड़-पौधें लगाये तो थे परन्तु देखरेख के अभाव में सभी क्षतिग्रस्त हो गये। ग्राम भदाना को विशेष ध्यान मे रखते हुए गांव में सिवरेज लाईन का निर्माण किया जाये तथा गांव में आरओ लगाकर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करावें। लड़के-लड़कियों के शिक्षा के लिए गांव में पुस्तकालय का निर्माण किया जाये। जिन लोगों ने कम्पनी को अपनी जमीन दी है, उन लोगों को आप विशेष रोजगार का अवसर दें, और उन्हें अपने वाहन लगाने दे। जब एक ही

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

आदमी 4–5 वाहन लगा लेता है तो बाकि लोग कुछ नहीं कर पाते, अतः ये भी ध्यान में रखे कि एक आदमी को एक अथवा दो वाहन से अधिक ना लगवाये। गांव भदाना तथा जिन्दास में बिजली की समस्या के समाधान हेतु प्लांट की लाईन से दोनों गांवों को जोड़कर बिजली आपूर्ति की जाये। योग्यतानुसार स्थानीय रोजगार प्रदान किया जाये। कम्पनी को दो साल तो हो गये है परन्तु अभी तक तो यहां रोजगार के अवसर नहीं मिले, कुछ चुनिन्दा लोगों को ही फायदा दिया जा रहा है। भदाना में वर्तमान में उप स्वास्थ्य केन्द्र है, आबादी को ध्यान में रखते हुए इसके नवीन भवन का निर्माण तथा एक एम्बुलेंस सुविधा कराये। खेल मैदानों का विस्तारपूर्वक कार्य करवावें। ग्राम पंचायत की सड़कें कम्पनी के भारी वाहनों के चलने से क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिससे आम नागरिकों को परेशानी होती है, इसके लिए कम्पनी को काफी बार अवगत किया है कि आप सड़कों को पूर्णरूप से सुदृढ़ करें। सीमेंट प्लांट की बाउण्ड्री के आसपास के खेत, भदाना की नाड़ी तथा एक प्लांट के पास ही और नाड़ी है, तो उन नाड़ियों का पानी प्रभावित नहीं हो, तथा किसानों की फसल भी नष्ट नहीं हो। इन सब के लिए कार्यवाही करवाये।

श्री मानवेन्द्र सिंह निवासी हरिमा ने कहा कि जे.एस.डब्ल्यू. कम्पनी ने कुछ अच्छे प्रयास किये है, जैसे हमारे गांव में सोलर लाईट लगाना, सिलाई केन्द्र की शुरूआत, प्रोजेक्ट तरंग तथा प्रोजेक्ट उमंग इत्यादि प्रयास किये है। इसके अलावा इन्होंने रेडियम बेल्ट का अभियान चलाया इन सब के लिए इनका धन्यवाद करते है। परन्तु हमारी कुछ महत्वपूर्ण समस्या एवं मांगें है, जिन्हें आगामी समय में कम्पनी द्वारा पूरा किया जाये। कम्पनी द्वारा हरिमा के मुख्य मार्ग का प्रयोग किया जा रहा है, उस मार्ग पर सी.सी. रोड़ का निर्माण किया जाये। गांव के समस्त मंदिरों का जिर्णोद्धार किया जाये, गांव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाया जाये तथा कम्पनी उसमें अपना पूर्ण सहयोग करें। गंदे पानी की निकासी के लिए गांव में सिवरेज सिस्टम का प्रबन्ध करें। खनन कार्य गांव से थोड़ा दूर किया जाये जिससे गांववालों को परेशानी ना हो, हरिमा गांव के चारों तरफ ग्रीन बेल्ट विकसित किया जाये, जिससे प्रदूषण से पर्यावरण नुकसान ना हो। युवाओं को रोजगार दिया जाये, कम्पनी कार्यों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाये, गांव में खेल स्टेडियम बनाकर उसमें लाईट की व्यवस्था की जाये। गांव की समस्त गलियों में स्ट्रीट लाईट लगाये, पहले भी कम्पनी ने लगाई है, परन्तु हम उम्मीद करते है कि कम्पनी और कार्य करें। खेलों को बढ़ावा देने के लिए गांव के खिलाडियों को स्पॉनसर किया जाये। गांव में लड़के तथा लड़कियों के लिए अलग–अलग आधुनिक लाईब्रेरी बनावें। गौशालाओं में 12 महीने के चारे–पानी की व्यवस्था तथा टीनशेड़ का निर्माण करें। गांव में

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

जलाशयों के मरम्मत तथा गांव की मुख्य नाड़ी का सौन्दर्यकरण किया जायें। शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु नये कमरे निर्माण तथा बालिकाओं को प्रोत्साहन राशि दी जाये। महिलाओं को रोजगार के उचित अवसर दिये जाये, गरीबों के लिए वर्षाजल संग्रहण हेतु टांकों का निर्माण किया जाये, गरीबों के मकान बनाने हेतु सहायता राशि दी जाये तथा नहरी पानी की सप्लाई हर घर हेतु बूस्टर व्यवस्था करें। आंगनवाड़ी में दो कमरें निर्माण, फर्निचर एवं अन्य आवश्यक वस्तु उपलब्ध करायें, हरिमा में गवाड़ का सौन्दर्यकरण करें, हरिमा की सभी मुख्य गलियों में रोड़ बनाई जाये तथा गांव के प्रमुख चौक--चौराहे का सौन्दर्यकरण करावें। गांव के सरकारी विद्यालय में इनडोर स्टेडियम बनाया जाये, जिसमें जिम व्यवस्था भी हो। हम विकास के विरोधी नहीं है, हम चाहते है विकास हो, जे.एस.डब्ल्यू. का काम भी चले, लेकिन गांव का भविष्य एवं हक सुरक्षित रहे। कम्पनी हमारी मांगों पर ध्यान देवें एवं सीएसआर के तहत कार्य करावें। अगर कम्पनी एवं गांव साथ चले तो विकास भी होगा तथा विश्वास भी बढ़ेगा।

श्री हीराराम निवासी मांझवास ने कहा कि मेने अपनी जमीन जे.एस.डब्ल्यू. को इस शर्त पर दी थी एक कम्पनी एक आदमी और एक वाहन लगायेगी, परन्तु अभी तक कुछ नहीं किया।

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय ने सभी से निवेदन करते हुए कहा कि अभी पहली जनसुनवाई चल रही है, दो और जनसुनवाईयां आयोजित की जायेगी। अतः इस जनसुनवाई के सन्दर्भ मे आपके जो भी सुझाव अथवा शिकायत है, वो दर्ज कराये।

श्री पप्पूनाथ योगी निवासी हरिमा ने कहा कि जे.एस.डब्ल्यू. कम्पनी द्वारा पर्यावरण के सम्बन्ध में प्लांट की स्वीकृति पूर्व में ले ली एवं अभी और पर्यावरण स्वीकृति लेने का प्रयास कर रहे है। पर्यावरण के लिए आपने अब तक क्या काम किया? आपने पेड़ कहां लगाये? कई तो अखबारों में छपा कर अभी हमारे सामने पेश कर रहे हो। आपको पर्यावरण के लिए धरातल पर कार्य करना चाहिए। हमारे आसपास के क्षेत्र निवासी, पशु--पक्षी, पेड़--पौधों के बारें में आपको सोचना चाहिए। मैं पिछले 20 वर्षों से पर्यावरण को बचाने हेतु कार्य कर रहा हूं, आपको स्वीकृति से पूर्व धरातल पर पेड़--पौधें लगाकर नियमित पानी ड़ालना, पक्षियों के लिए भी व्यवस्था करनी होगी। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को लगातार इस एरिया में पर्यावरण के लिए मॉनिटरिंग करनी होगी ताकि कम्पनी द्वारा एनजीओ के मार्फत जो कार्य किये जा रहे है उनका रिजल्ट हमें मिलें। तभी हम इस क्षेत्र के पशु--पक्षियो, पेड़--पौधों तथा आम जीवन को बचा पायेंगें तथा प्रदूषण से हमें राहत मिल पायेगी।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

सुश्री मोनिका राठौड़ निवासी सरासनी द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी महादेय को सम्बोधित करते हुए कहा गया कि हम ग्रामवासी जे.एस.डब्ल्यू. सीमेंट संयंत्र एवं खनन परियोजना के प्रस्तावित स्थापना कार्य का हार्दिक स्वागत करते है। हमें विश्वास है कि इस परियोजना के आगमन से क्षेत्र में आर्थिक, सामाजिक विकास के नये अवसर सृजित हुवे है। जे.एस.डब्ल्यू. कम्पनी द्वारा क्षेत्र में सामाजिक उत्तरदायित्व के अन्तर्गत सराहनीय कार्य किये जा रहे है, जैसे कि सरासनी विद्यालय को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसमें आधारभूत ढांचें का सुदृढ़ीकरण किया गया है। महिलाओं हेतु कौशल विकास केन्द्र की स्थापना की गई है, गांव में सौर ऊर्जा आधारित स्ट्रीट लाईट्स लगाई गई है, स्वास्थ्य केन्द्र एवं आंगनवाडी केन्द्र का जीर्णोद्वार एवं सेवाऐं सुदृढ़ की गई, पेयजल सुविधा हेतु बोरवेल की स्थापना की गई है, इन प्रयासों के अतिरिक्त हमने पूर्व में कम्पनी में स्थानीय परिवहन सेवा हेतु बस सुविधा की भी मांग की थी, हमें ये अवगत करवाते हुए प्रसंशा हो रही है कि जे.एस.डब्ल्यू. सीमेंट द्वारा इस पर सकारात्मक निर्णय लेते हुए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के माध्यम से बस सेवा के लिए बजट स्वीकृत कर दिया गया है, किन्तु खेदपूर्वक सूचित करना पड़ रहा है कि परिवहन विभाग द्वारा अब तक सरासनी गांव के लिए बस मार्ग की स्वीकृत नहीं किया जिसके कारण बस सेवा प्रारम्भ नहीं हो पाई। हम राजस्थान सरकार एवं परिवहन विभाग से विनम्र आग्रह करते है कि सरासनी गांव का बस मार्ग शीघ्र खोल दिया जाये ताकि इस सेवा का लाभ स्थानीय ग्रामीणों को मिल सके। ये न केवल क्षेत्र की आवागमन सुविधा को सुदृढ़ करेगा, बल्कि सामाजिक आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन देगा। हम आपके माध्यम से पुनः इस परियोजना के प्रति अपना समर्थन प्रकट करते है। आशा करते है कि आपके सहयोग से ये पहल क्षेत्र के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जन–मानस को प्रस्तावित खनन परियोजना के सम्बन्ध में अपने आक्षेप/सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु पुनः आमंत्रित किया।

श्रीमती प्रिया निवासी भदाना ने कहा कि हमें जे.एस.डब्ल्यू. से रोजगार मिला तो हमें खुशी भी है। परन्तु रोजगार अभी उतना नहीं मिला जितना मिलना चाहिए। क्योंकि हम राजीवीका की 120 महिलाऐं भदाना से है, लेकिन अभी तक भदाना में एक ही सेन्टर खुला है, जिसमें केवल 20 महिलाऐं काम कर रही है, अभी तक 100 महिलाओं को रोजगार की जरूरत है, उनके लिए कम–से–कम तीन सेन्टर और खुलवावें। हमारे गांव की बेटियों को लाईब्रेरी मे पढ़ने के लिए नागौर जाना पड़ता

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

(चम्पालाल मीनावत)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

है, जिससे बेटियों को परेशानी होती है, अतः गांव की बेटियों के लिए गांव भदाना मे एक लाईब्रेरी बनवावें।

श्री महावीर प्रसाद शर्मा निवासी डेह ने अपने लिखित मांग पत्र को पढ़ते हुए कहा कि "जनसुनवाई में निम्न बिन्दुओं का निवारण कर आम जनता को राहत दिलवाने बाबत्। श्रीमान जी, प्रार्थीगण की ओर से विषय के सम्बन्ध में निवेदन है कि ये एक सीमेन्ट के उत्पादन के समय जिस प्रकार मूण्डवा में संचालित प्लांट से प्रदूषित फैक्ट्री का धुंआ रात्रि में तीव्र गति में चालू होता है एवं पूरे गांव में घरों की छत तक भारी डस्ट एवं सीमेंट के कण जमा हो जाते है, हर घर पर 5--10 किलो सीमेंट की डस्ट जमा हो जाती है तथा खेती में डस्ट लगने के कारण बोया गया बीज अंकुरित नहीं होता है और सारी कृषि उपयोगी भूमि बंजर हो जाती है। वर्तमान में आपके द्वारा लगाया गया प्लांट से भी यही स्थिति ग्राम भदाना तथा आसपास के गांव में होनी है, जिसके उपरोक्त समस्या के निराकरण हेतु किस प्रकार के उपाय करवाये जाये, इस सम्बन्ध में ग्रामवासियों को अवगत करवायें। ग्राम डेह में एक बड़ा तालाब स्थित है, जिससे करीब 50 गांव के लोग मीठा पानी पीते है, साथ में पशु--पक्षी एवं मवेशी भी पानी पीते है। पशुओं के लिए पानी लोग कोठी, टेंकर से ले जाते है, अगर इस तालाब का प्रदूषण बढ़ा तो क्षेत्र की समुच्चित जल व्यवस्था, आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित होगी और पीने के पानी का संकट उत्पन्न हो जायेगा। इसके अतिरिक्त डेह गांव के आसपास खनन क्षेत्र में साइलेंट ब्लास्टिंग के दौरान जमीन में होने वाले कम्पन में लगभग 5000 घरों की संरचनात्मक स्थिरता को खतरा है, जिससे आप अच्छी तरह से वाकिफ़ है। इस गांव की जनसंख्या लगभग 18 हजार है, जिनके घरों को नुकसान पहुंचाने की पूर्ण सम्भावना है, पूर्व में भी नागौर जिले में संचालित फैक्ट्रीयों के आसपास के गांवों में ऐसी स्थितियां देखने को मिल चुकी है, जो हमारी चिंता को ओर प्रमाणित बनाती है। अतः हम इस परियोजना से अपनी असहमति व्यक्त करते है। इन समस्याओं के निराकरण से आम जनता को आप अवगत कराये।

गांव में अस्पताल मुहैया करवाने एवं स्पेशल ट्रिटमेंट की व्यवस्था करवायें। सीमेंट फैक्ट्री एरिया में रहवासियों को टीबी की समस्या अत्यंत होती है एवं माईनिंग के साईलेंट ब्लास्टिंग के कारण जमीन के अन्दर ही कम्पन होकर ग्रामीण मकानों में दरारें आ जाती है, इस समस्या के निराकरण के सम्बन्ध में भी आमजन को बतायें। विकास कार्य में गांव के लोग उक्त कमेटी में कितने होंगे, यह स्थिति भी आप स्पष्ट करावें कि डेह गांव से इतने मनोनित व्यक्ति है, जिनको इस बार में लिया

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

गया है। विकास कमेटी में हर जाति वर्ग के 10–20 आदमी तय किये जावे एवं विकास राशि कहां लगनी है, इसका निर्णय भी कमेटी के द्वारा सुझाये गये स्थान पर ही किया जावें। नजदीकी एरिया के कितने लोग प्लांट के एरिया में रोजगार के लिए लगाये जायेंगे, उक्त तथ्यों से आम लोगों को अवगत कराया जाये कि डेह के इतने लोगों को रोजगार दिया गया है, क्योंकि डेह से काफी जमीन प्लांट को दी गई है। गौशाला एवं गांव के विकास संस्थाओं को किस प्रकार सहयोग किया जाये। फैक्ट्री के कारण बंजर होने वाली भूमि को पुनः कृषि योग्य बनाने हेतु कम्पनी किस प्रकार किसानों की सहायता करेगी। कृषि समुदाय के लिए उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु किस प्रकार की योजना लागू की जायेगी। गांव में स्थित विकास संस्थाओं, गौशालाओं एवं अन्य सामाजिक संस्थाओं का कम्पनी द्वारा क्या सहयोग किया जायेगा। स्थानीय निकाय में किस प्रकार से भागीदारी रहेगी। कम्पनी प्लांट एवं माईनिंग क्षेत्र में स्थानीय लोगों को कितने प्रतिशत नौकरी दी जायेगी, यह नौकरियां किस प्रकार, किस स्तर, श्रमिक, सुपरवाईजर या अधिकारी आदि की होगी, इस बारें में भी अवगत करायें। जल स्त्रोंतों पर प्रभाव एवं उसके समाधान, खनन और संयंत्र संचालन से भू–जल स्तर में गिरावट आ सकती है, ऐसे, में कम्पनी यो स्पष्ट करें कि जल संरक्षण एवं पुनर्भरण में कौन–कौन से कदम उठायेगी, जिससे पानी का स्तर ऊंचा उठे। स्वास्थ्य शिविर एवं क्लिनिक की स्थाई व्यवस्था किस प्रकार की जाये, सामाजिक ढ़ांचें और सांस्कृति धरोहर की सुरक्षा एवं गांव में एक–एक धार्मिक स्थानों एवं विद्यालयों, आंगनवाडियों, सांस्कृति धरोहरों की रक्षा हेतु कम्पनी की क्या निति होगी। आवाजाही से गांव की सड़के क्षतिग्रस्त होती है, बच्चों–वृद्धों को खतरा होता है, इसके लिए कम्पनी की क्या वैकल्पिक मार्ग या सुरक्षा उपाय अपनायेगी। सीएसआर के अन्तर्गत कम्पनी किन–किन क्षेत्रों में काम करेगी, उसकी वार्षिक योजना क्या होगी, स्थानीय जनता को कैसे जानकारी दी जायेगी, ये भी स्पष्ट करें। शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना होनी चाहिए, जहां ग्रामीण अपनी समस्याऐं सीधा दर्ज करवा सके, जिससे कम्पनी को अवगत करवा सके। गांव में वर्तमान में लगभग 6–7 बड़े विद्यालय संचालित है, इनमें तीन सरकारी एवं शेष निजी विद्यालय है, इनके अतिरिक्त यहां दो महाविद्यालय भी स्थित है, बड़ी संख्या में छात्र–छात्राऐं शिक्षा ग्रहण कर रहे है। ऐसे में संयंत्र से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण एवं कम्पन से बच्चों के स्वास्थ्य एवं एकाग्रता पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ सकता है। अतः स्पष्ट किया जाये कि शिक्षा क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने हेतु क्या सहयोग दिया जायेगा, विद्यालयों एवं महाविद्यालयो में पढ़ाई के अनूकुल वातावरण सुनिश्चित करने हेतु क्या ठोस कदम उठाये जायेंगे।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

अतः उपरोक्त समस्याओं का हल ढूंढ कर आम जनता को राहत दिलाई जायें, समस्या का निदान करवाया जावे तथा आम जनता को अवगत कराया जाये कि इन समस्याओं का समाधान किस प्रकार होगा और कितने दिनों के बीच में होगा। उक्त समस्याओं का समाधान नहीं होने की स्थिति में इस औद्योगिक प्लांट का विरोध करते है।

श्रीमती प्रिया निवासी भदाना ने पुनः कहा कि माफी चाहूंगी क्योंकि गांव की बहनों की मुख्य समस्या को मैं भूल गई थी। पिछली बार भी हमारी मांगें थी, जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है। हम राजीविका से जुड़े 10 एसओजी है, जिसमें 120 महिलाऐं है, हमारी पहली मीटिंग तो होती है ग्रुप में, जैसे 10 महिलाओं के बीच में होती है, वो तो अपने--अपने घर में जहां पर भी जगह मिलती है, वहां कर लेते है, लेकिन मुख्य होता है ग्राम संगठन ऑफिस, जो कोई बड़ा भवन हो, जिसकी हमारे गांव में व्यवस्था नहीं है, जे.एस.डब्ल्यू. से हमारी बात हो गई, परन्तु वो बोलते है जमीन की समस्या है, तो मैं सरपंच साहब और कलेक्टर साहब से हमारे गांव की सभी बहनों, महिलाओं की तरफ से मांग करती हूं कि भदाना के आईटी सेन्टर के पास की सार्वजनिक जमीन थोड़ी सी हमें भवन हेतु आवंटित करावें, जिससे हमारे ग्राम संगठन के लिए सामुदायिक भवन बन सके।

श्री भजनलाल पारीक, प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, जिन्दास ने कहा कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति में स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार तीन महत्वपूर्ण घटक है। मैं शिक्षा से जुड़ा होने के कारण, जिन्दास क्षेत्र में दो राजकीय विद्यालय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक संचालित है। विद्यालयों में पढ़ने वाले बालकों के लिए जे.एस.डब्ल्यू. परिवार से हम आशा करते है कि प्रत्येक विद्यालय में एक शानदार पुस्तकालय के लिए कक्षा कक्ष मय पुस्तकें एवं बालिकाओं के लिए आधुनिक शौचालय की व्यवस्था की मांग करते है। जिन्दास गांव एससी बहुल्य है, इनके जीवन स्तर को उठाने के लिए बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देना अति आवश्यक है, इसलिए आशा करते है कि जे.एस.डब्ल्यू. प्लांट से रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में विकास की जो संभावनाऐं बनी है, कि विद्यालय को सुसज्जित कर कक्षा--कक्ष, पुस्तकालय एवं बालिकाओं के लिए अत्याधुनिक शौचालय निर्माण करवाया जाये। प्राथमिक विद्यालय में पानी का टांका निर्माण, अभी बने कक्षा--कक्ष के पास एक और कक्षा--कक्ष निर्माण, दोनों ही विद्यालयों में पेड--पौधें एवं किचैन गार्ड की व्यवस्था करावें।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

श्री प्रमोद, एकलव्य फाउण्डेशन एनजीओ प्रतिनिधि ने कहा कि मैंने कहानियों में पढ़ा था कि बड़ी–बड़ी कम्पनियां, फैक्ट्रियां लगती है एवं अपना काम करके चली जाती है। लेकिन यहां पर कमाल हो रहा है कि जनता एवं इण्डस्ट्री आमने–सामने खड़े होकर बात कर रहे है, और अपने–अपने मुद्दे रख रहे है। किसी भी तरह के विकास में दोनों तरह की बातें होगी, कुछ हमें क्षति होगी, साथ में विकास भी होगा। और यदि हमें आगे बढ़ना है तो हमें इंडस्ट्री के डवलपमेंट को अपनाना होगा एवं उसका साथ देना होगा। साथ में हम इस बात की ओर गौर करें कि जो क्षति हो रही है, वो कम से कम हो और उन दायरों में जिसके लिए भारत सरकार ने अपने नियम बनाये है।

श्री मनोज कुमार सोनी, प्रधानाचार्य, राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय भदाना ने कहा कि जे.एस.डब्ल्यू. परिवार की तरफ से हमारे विद्यालय में बहुत विकास कार्य करवाये जा रहे है। तीन कमरों के अलावा पर्यावरण की दृष्टि से हमारे विद्यालय में गत वर्ष 50 पेड़ मय ट्रीगार्ड उपलब्ध करवाये गये और समय--समय पर उनके द्वारा अनेक गतिविधियां बच्चों के विकास के लिए करवाई जा रही है। वर्तमान में विद्यालय में समर कैम्प आयोजित हो रहा है, गत वर्ष की थीम पर इस वर्ष भी बच्चों के लिए समर कैम्प चल रहा है। साथ में गांव में जो समस्याएं हो रही है, गांव में कुछ भ्रांतियां है कम्पनी को लेकर कि पॉल्यूशन बढ़ेगा। मेरी कम्पनी से उम्मीद है कि वे अत्याधुनिक टेक्नॉलोजी का प्रयोग करते हुए पॉल्यूशन कम–से–कम करेंगे। ये जो प्लांट लगेगा, ये नवीनतम टेक्नॉलोजी युक्त होगा, जिसमें पॉल्यूशन की सीमा कम रहेगी। लेकिन कम्पनी को भी मेरी तरफ से सुझाव है कि ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करावें और उनकी केयर करना सुनिश्चित करें, ताकि भविष्य में होने वाली पर्यावरणीय क्षति को हम कम कर सके। साथ ही कम्पनी द्वारा ग्राम सरासनी, भदाना डेह, हरिमा, जिन्दास में जो विकास कार्य करवाये जा रहे है, उनके अवलोकन का भी हमें श्रेय मिलता है, ये विकास कार्य शिक्षा, रोजगार के साथ–साथ गांव के विकास से सम्बन्धित है। हमें पूरी उम्मीद है कि इस कम्पनी के यहां स्थापित होने से इस क्षेत्र के विकास को नये आयाम मिलेंगे, साथ ही हमारे भाईयों को नया रोजगार मिलेगा।

श्री कैलाश गौतम निवासी डेह ने कहा कि बाहर ये जो भी उद्देश्य है उसकी उपस्थिति करवा रहे है, जब इन्होंने पर्यावरण पर कोई काम किया ही नहीं है, उससे पहले ही यह गांव वालों के साईन करवाकर स्वीकृति करके ये डाटा ले रहे है, ये सही नहीं है, ये स्वीकृति के रूप में गिने जायेंगे, इनसे निवेदन करें कि ये

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

उपस्थिति बंद करें एवं इस तरह से पहले डाटा कलेक्शन नहीं करें। पहले काम करें और फिर अपना डाटा कलेक्शन करने का प्रयास करें। ये डाटा आगे काम में लेंगे, यह कह रहे है कि इन्होंने इतने लोगों की उपस्थित में स्वीकृति से ये काम करवाये है, अभी धरातल पर 1 प्रतिशत भी इनका काम हुआ ही नही है। तो आप क्यों डाटा पहले कलेक्ट कर रहे है, वो स्वीकृति में काम नहीं ले उसे बंद कराया जाये। इसके प्रत्युत्तर में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने बताया कि आपकी हर बात का स्वागत है, पब्लिक हियरिंग का मतलब ये होता है कि इस पब्लिक हियरिंग में जो भी लोग आते है, उनका एविडेंस ये उपस्थिति होता है। पर्यावरण स्वीकृति देने के लिए भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार का एक सिस्टम है, अगर पर्यावरण विभाग किसी भी फैक्ट्री, इंडस्ट्री को अनुमति देता है तो उसकी एक गाइडलाईन बनी हुई है, उस गाइडलाईन की पालना उसे करनी है। उन्होंने इस गाइडलाईन की पालना के लिए क्या–क्या प्रावधान किये है तथा उनसे क्या चूक हुई है, यह बात कहने–सुनने के लिए पब्लिक हियरिंग होती है। बहुत सारी चीजें पता केवल स्थानीय लोगों को होती है, उनकी बात भी इसमें सुनी जाती है, अगर कहीं चुक रह गई हो, तो आप लोगो से जो सुझाव आते है, कोई ढ़ाणी, तालाब, नाड़ी अथवा कोई विकास काम छूट गया हो तो वो इसमें दर्ज होता है। ये रिकॉर्डिंग पूरी की पूरी जायेगी और उनकी गाइडलाइन में स्थानीय लोगों की क्या मांग आई है, पर्यावरण, रोजगार एवं डवलपमेंट के लिए, इनमें उसको निर्देश करेंगे कि इस गाइडलाईन, एसओपी एवं स्थानीय लोगों की मांग के अनुरूप आप काम करें। इसके साथ सशर्त अनुमति देते है, इसीलिए ये साईन होते है, इसमें स्वीकृति देना या नहीं देना इसके लिए ना तो आपके पास अधिकार है और ना मेरे पास कुछ पॉवर है, ये तो भारत सरकार के पास ही पॉवर है, वो पर्यावरण स्वीकृति को भले रद्द करे या भले स्वीकार करें।

श्री कैलाश गौतम निवासी डेह ने कहा कि हमारा निवेदन है कि आप पहले धरातल पर काम कराये और फिर इस प्रकार का डाटा कलेक्ट करें, ये मैं इस एरिया का निजी होने के कारण ही कह रहा हूं और जो भी यहा साइन कर रहे है उनसे भी नहीं कर रहा हू कि साईन तभी करे कि इन लोगों ने यह काम किया है, काम अभी इन लोगो का कुछ नहीं है, डेह गांव में पिछली बार इन्होंनें जो पेड़ लगाये है, अभी 450 मीटर का नीम कॉरिडोर उनके अलावा एक भी जिन्दा पौधा नहीं है। नीम कॉरिडोर के लिए इन्हें जो टीम मिली है, वो पर्यावरण के प्रति एक सजग टीम है। इनका रोल सिर्फ पौधे मुहैया करना था, पानी भी वहीं टीम मुहैया कर रही है, तो पानी भी इनकी तरफ से नहीं है तथा उसके नीचे बून्द–बून्द सिंचाई की व्यवस्था

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

भी इन्होंने नहीं करवाई है, ये केवल अपना श्रेय ले रहे है कि हमने नीम कॉरिडोर बनाया है, जाली पर आपका नाम है एवं केवल पेड़ आपने दिया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया। रखवाली के लिए भी आपने आदमी नहीं रखा, तीन–चार बार वहां पेड़ों की जालियों की चोरी हुई, उसके लिए भी गांव वालों ने ही संघर्ष किया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि ये डाटा, ये साईन बाद में ही कलेक्ट कीजियेगा, गांव वालें भोले–भाले, सीधे लोग है, इतने समझदार नहीं होते। जिसके प्रत्युत्तर में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने बताया कि गांव वालों के लिए आप और हम जैसे लोग भी है जो इनकी बात सुने एवं रिकॉर्ड करें, चुंकि अभी तक पहली जन सुनवाई में तकरीबन 30–35 लोगों ने अपनी बात रखी है, जिसमें विकास के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए, सीएसआर एक्टीविटी की, स्थानीय रोजगार, प्लांट में स्थानीय लोगों के संसाधन लगे, महिलाओं एवं बच्चियों ने रोजगार एवं लाईब्रेरी की बात की है। इनके अलावा और भी किसी के सुझाव अथवा शिकायत है तो प्रस्तुत करें। इसके बाद 1 बजे दूसरी जन सुनवाई तथा 4 बजे तीसरी जन सुनवाई है।

श्री रामकुमार सोलंकी निवासी हरिमा ने कहा कि आपने ब्लॉक 3सी1, 3सी2 एवं 3डी1 में जिस जगह की पर्यावरणीय स्वीकृति लेनी है, क्या इस पूरे प्रांगण, पाण्डाल में क्या कहीं पर नक्शा लगाया? अथवा किसी आम नागरिक को जानकारी नहीं है कि इस जगह ये खनन करेंगे और पेड़ काटेंगे। जिस प्रकार यहां भदाना ग्राम पंचायत, अमरपुरा ग्राम पंचायत के द्वारा स्वागत के बैनर लगाये है ना, उसी प्रकार यहां आपको ये नक्शे भी लगाने थे, इन डिस्प्लें में एक पर प्रमानेंट वहीं होना चाहिए। जैसे आप यहां की जनता को अनाथ करने जा रहे है, यह धरती हम किसानों की माता है, जो आप लेकर हमें अनाथ करना चाह रहे है, तो हमें मालूम तो होना चाहिए कि इस जगह पर अनाथ हो रहे है। इनके बताये गये डिस्प्ले में एक भी खसरा नम्बर बता सकता है क्या कोई, क्या इनमें गांव का नाम दिख सकता है?

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने पर्यावरणीय सलाहकार को निर्देशित करते हुए कहा कि इस पहली जन सुनवाई में कौन–कौन से एरिया प्रभावित होंगे, आप बताये। रामकुमार जी आपकी बात नोट कर ली गई है एवं इसको हम ठीक करेंगे।

श्री रामकुमार सोलंकी निवासी हरिमा ने पुनः कहा कि पहले सिग्नेचर बंद कीजिये, एडीएम साहब आप कम्पनी तथा हमारे बीच में मिडिएटर है, जब तक वो बैनर बनकर नहीं आ जाते तब तक वो सिग्नेचर वाला रजिस्टर यहां आना चाहिए। मात्र एक मिनट लगेगी, मैं ही वो बन्दा हूं जिसने हरिमा में पाण्डाल खाली करवाया था

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

वो अभी करवा सकते है, उस समय तो मैं अकेला था, आज तो हमारे साथ बेनीवाल साहब है। सिग्नेचर वाला रजिस्टर आपके पास आ जाय और उस सिग्नेचर रजिस्टर की पूरी पीडीएफ फाईल अभी साईन करके वो हमें यहां मिलनी चाहिए।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने कहा कि जो भी नियम संगत होगा वो करेंगे। आपने अपनी बात रखी है, इस पर थोड़ी देर में विचार करके डिसीजन लेते है, कोई भी डिसीजन ऐसे हाथो–हाथ नहीं ले सकते।

श्री रामकुमार सोलंकी निवासी हरिमा ने पुनः कहा कि यहां किसी को मालूम है क्या कि यह खसरा किसका जा रहा है, किसका खेत जा रहा है, किसकी ढ़ाणी जा रही है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने कहा कि आपने अभी बात कही है ... अपन सैकेण्ड जन सुनवाई के लिए देख रहे है, कि किस प्रकार करवाई ... है। आप और कोई बात बताये ताकि हम आगे बढ़ सके।

श्री नारायण बेनिवाल, पूर्व विधायक खींवसर ने कहा कि इनकी बात बहुत गंभीर मुद्दा है। सर्वप्रथम आज का वातावरण इस जिले में जो चल रहा है, एक तरफ हम भारतीय न्याय संहिता बी.एन.एस. 2023 की बात करें, कलेक्टर साहब ने एक आदेश निकाला कि 20 जून तक धारा 163, जो पूर्व में धारा 144 लगती थी, जिसमें कोई भी सार्वजनिक आयोजन नहीं कर सकते। अभी मैंने आते ही सबसे पहले यहीं पूछा कि कम्पनी ने अनुमति तो ली है, लेकिन उस अनुमति को भी कम्पनी को अखबार में छपवाना चाहिए था, वरना लोग तो आये ही नहीं, एक तरफ तो आप समाचार पत्रों के माध्यम से कह रहे हो कि पांच से ज्यादा व्यक्ति कहीं इकट्ठा नहीं हो सकते और दूसरी तरफ आप बिना कोई ऐसी सूचना के कि कम्पनी ने इसकी परमिशन ली है, आप कलेक्टर साहब के प्रतिनिधि के रूप में यहां बैठे है, अभी इस जिले में 20 जून तक 163 का चल रहा है, इनकी बात का भी समर्थन है एवं अगर सूचना होती तो हजारों की तादाद में आते यहां लोग। आप मुझे बताईये जैसे आप जनसुनवाई कर रहे हो, यहां मुझे भी पता नहीं कि आप कौन–कौन से ब्लॉक की जनसुनवाई कर रहे हो, तीन अखबार में अलग–अलग तारीख में आपने उसका ... दे दिया, एक में 3सी1 बता दिया, एक में 3सी2 बता दिया, किसी में 3डी1 बता दिया, यदि आप एक अखबार के अन्दर भी सम्मिलित रूप से यह बताते कि तीनों ब्लॉकों की हम जन सुनवाई करेंगे, तो लोगों को ज्यादा सहूलियत भी होती, लोग तैयारी करके भी आते। अभी एनजीओ के विद्यवान वक्ताओं ने अपनी बात कही,

(हस्ताक्षर) ... अधिकारी ... प्रदूषण नियंत्रण मण्डल ...

(चम्पालाल जीनगर) अतिरिक्त जिला कलेक्टर नागौर

उनका अलग इंटरेस्ट होता है, जो राजीवीका से हमारी बहिन प्रिया जी ने बात कहीं रोजगार की, तो रोजगार इसके अन्दर दिख रहा है [illegible] पिछली [illegible] गूण्डवा के अन्दर जन सुनवाई हुई थी। मुझे पता है आपको तो यहां से [illegible] रिपोर्ट ही भेजनी है, क्योंकि कम्पनी इतनी बड़ी है तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों की इतनी हैसियत बन पायेगी, आप इस कम्पनी के खिलाफ एक शब्द भी लिख दो। पिछली वार जो बात हुई थी, जब अंबुजा सीमेंट की बात आई थी तो आरओ साहब को स्थगित करने का लिखा था, क्योंकि भारत सरकार के माननीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री माननीय कीर्तिवर्धन सिंह [illegible] 22 [illegible] 2025 का एक लेटर है।

श्री रामकुमार सोलंकी निवासी हरिमा ने पूर्व एमएलए साहब का ध्यान अपनी ओर करवाते हुए कहा कि इन्होंने मीटिंग कहां रखी है तथा ब्लॉक कहां के है, यहां पर सिग्नेचर हो जायेंगे और वहां पर पास हो जायेंगे। जहां ब्लॉक है उन लोगों को मालूम ही नहीं है। जिन गांवों के अन्दर ब्लॉक्स है उन गांवों में [illegible] नोटिस [illegible] या फ्लेक्स बैनर आदि लगवाने चाहिए थे, किसी भी गांव हरिमा, सरासनी, भदाना, डेह में कही भी इस सूचना हेतु सार्वजनिक बोर्ड अथवा बैनर नहीं लगाया। मारवाड़ी कहावत-" बाबो बैठो ई घर में, और टांग पसारें ई घर में" अर्थात बात कही और हो रही है जबकि काम कहीं और है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने क्षेत्रीय अधिकारी महोदय से कहा कि [illegible] सुनवाई के सम्बन्ध में प्रचार के लिए क्या प्रावधान है, तथा अपन लोगों ने किन प्रावधानों का उपयोग किया है, एक बार रामकुमार जी की बात का जवाब देवें।

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय ने जन सुनवाई के प्रोसिजर के बारे में जानकारी देते हुए बताना चाहा.........

श्री रामकुमार सोलंकी निवासी हरिमा ने पुनः बीच में बोलते हुए कहा कि साहब पहले हमें ये बताईये कि आपने ब्लॉकों में नाम लिखे है हरिमा, सरासनी, डेह एवं भदाना जबकि ये मीटिंग जिन्दास गांव में क्यों? जमीन उन गांवों की, तो मीटिंग यहां क्यों?

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय ने कहा कि आप द्वारा कहा गया कि सूचना नहीं थी [illegible] मैं बताना चाहूंगा कि लगातार तीन दिन तक मुनादी करवाई गई थी, कि कहां पर ये जन सुनवाई है। जिसकी रेगुलर रिकॉर्डिंग भी है।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

([illegible])
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
नागौर

श्री रामकुमार सोलंकी निवासी हरिमा ने पुनः बीच में बोलते हुए कहा कि मैं बताता हूं, हर जगह हर चीज का होता है ये हुआ है। सार्वजनिक एक नोटिस भी होता है था। आप वहां के लोगों की जमीन खरीद रहे है, जो गवाह बनता है उसका एक सम्बन्ध होता है, उसके घर पर नहीं मिलता है वो, टीपा–टापी नोटिस के आधार पर उसको अरेस्ट किया जाता है, आप तो किसी की जमीन हड़प रहे हो। भाई वो नहीं मिला, वो नहीं मिला, एक चिपका दिया और फोटो खींच कर लेकर आ गये ऐसा होना चाहिए आपका।

श्री कैलाश गौतम निवासी डेह ने कहा कि ये जो जगह चुनी गई यहां जिसके पास साधन नहीं हो तो कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है क्या, जिससे डेह, हरिमा, सरासनी का आसानी से यहां पहुंच सके। यहां वो ही लोग पहुंच रहे है, जिनको या तो कंपनी ने निमंत्रण दिया, या फिर जिनके पास खुद की गाड़िया है। किसान वर्ग के पास साधन सीमित होते है, कम साधन है तथा यहां के पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी सीमित है। आपको जगह चुनते समय ऐसी लोकेशन लेनी चाहिए, जहां सबका पहुंचना आसान हो। जिन–जिन गांवों में आपने मुनादी करवाई है, तो आपने गांवों की लोकेशन देखी है या कहीं किसी ने मना किया हो ऐसा हुआ है क्या? इसकी थोड़ी जानकारी देवे कि इस वजह से हमने ये लोकेशन चुनी है।

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय ने कहा कि पब्लिक हियरिंग के लिए जगह साइट के पास अथवा उसी के ऊपर चुनी जाती है।

श्री कैलाश गौतम निवासी डेह ने कहा कि डेह बड़ी जगह है, उप–तहसील है तथा उसके लिए सब जगह के साधन उपलब्ध है। आप वहां करवा सकते है। गांव के युवाओं के साथ हम मैनजेमेंट व आपके लिए व्यवस्था भी कर देंगे। हमारे गांव के स्पोर्ट्स क्लब संचालक, गांव में किसान के हित के सार्वजनिक प्रोग्राम अथवा सरकार के प्रोग्राम में भी सहर्ष हम उनमे भाग लेते है तथा उन्हें पूरा भी करवाते है, अतः वहां हम आपका सहयोग भी करेंगे, लेकिन लोकेशन अथवा जो भी हो वो पहले से चिन्हित करें।

श्री रामकुमार सोलंकी निवासी हरिमा ने कहा कि आपके द्वारा जो बसें स्कूल की बसें मंगवाई गयी है, जो हरिमा व सरासनी से भी आई है, उसकी फोटोग्राफी अथवा विडियोग्राफी है क्या? आपके स्वयं सहायता समूह जो महिलाएं बनी है उनके अलावा कोई एक भी आदमी उन बसों में नहीं था। जब आप राजनितिक उद्देश्य से बसें भेज रहे है तो उसकी विडियों क्यों करवायेंगे।

क्षेत्रीय अधिकारी
[illegible]
नागौर (राजस्थान)

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

21

श्री नारायण बेनिवाल, पूर्व विधायक खींवसर ने कहा कि जो मुनादी करवाई गई है, उसका फोटो यहां डिस्प्ले पर एक बार दिखाओं। कम्पनी का एक आदमी मेरे पास आ जाये, जो आपने मुनादी करवाई है, उसकी फोटो मेरे पास है, वो पढ़ कर सुना देवे।

श्री रामकुमार सोलंकी निवासी हरिमा ने कहा कि उपस्थित माता–बहनों जिन बसों में आप आये है, उनमें स्वयं सहायता समूह के अलावा कोई दूसरी सवारी थी ना आप बताओ। ये आप सब को अनाथ कर रहे है, माँ के मरने के बाद घर में कुछ नहीं रहता, वैसे ही किसान की ज़मीन जाने के बाद उसके पास भी कुछ नहीं रहता।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने पर्यावरणीय सलाहकार से कहा कि जो मुनादी की गई है, वो दिखाये। आप बताये कि आप लोगों ने क्या प्रचार किया है।

जन सुनवाई में पहुंची बस के ड्राइवर ने बताया कि मैं सरासनी एवं हरिमा से एक--एक बस लेकर आया हुं, सरासनी से आई बस में 10 महिलाएं तथा 2 जेन्ट्स थे एवं हरिमा से आई बस में 30--35 महिलाऐं तथा 2 जेन्ट्स थे।

श्री रामकुमार सोलंकी निवासी हरिमा ने कहा कि वह सभी महिलाऐं सहायता समूह वाली महिलाऐं जो कम्पनी में वर्क करती है, केवल वो ही थी, इसके अलावा कोई नहीं थी। इसका मतलब उन बसों में केवल इनके कर्मचारी आये हैं, चाहे वो स्थाई हो अथवा टेंपरेरी हो।

श्री शैतानराम ईनाणियां निवासी रूपासर ने कहा कि मैं भुगतभोगी हुं तथा आज 17 महीने से मैं अंबुजा के खिलाफ धरने पर बैठा हुं। हमारे साथ क्या हुआ, हमसे क्या--क्या वादें किये, वो आप जरूर सुने। हमें पहले कहा गया था कि पुनर्वास करेंगे, रोजगार देंगे, बच्चों को नौकरियां देंगे, परन्तु एक भी बच्चे को नौकरी नहीं मिली, पुनर्वास नहीं मिला। विकास नाम की चीज विनाश करें। आसपास के जिन लोगों ने जमीन दी, उन्होंने तो दे दी, लेकिन उस जमीन के पास के जो खेत है, मकान है, उनमें दरारें आई हुई है। नराधना तक भी और ईनाणा के भी सभी होदों में दरारें आई हुई है। अतः ये जो डेह गांव है, इसमें आने वाले समय में धुऐं के अलावा कुछ बसना नहीं है, ये पूरा गांव उजड़ जायेगा। आज मूण्डवा की ये हालात है कि वहां पर अत्यधिक प्रदूषण हो रहा हैं। क्षेत्रीय अधिकारी मीणा जी से निवेदन है कि मूण्डवा की हालात देखते हुऐं फैक्ट्री को बंद करो। अगर इन्हें स्वीकृति देनी है तो पहले वहां प्रदूषण रोको। वहां जो हालत है वहीं हालत यहां होगी। आप 500--500

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

(...)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

रूपये में भाड़ें के लोगों को यहां लाकर बिठा देते है और आप भाड़ें के लोगों [illegible] बात जन सुनवाई में भेज देते हो, तो यहां की जनता का क्या होगा। जब जमीन डेह, हरिमा एवं सरासनी की जा रही है, लेकिन आपने जन सुनवाई यहां रखी भी इसीलिए [illegible] के कोई यहां पहुंचे नहीं, जिससे आप चुपके से पर्यावरण [illegible] एनओसी ले लो। ये खेल बहुत बुरा खेल है, जो जनता के साथ बहुत बड़ा [illegible] है। एडीएम साहब ये धोखाधड़ी आपके हाथ के नीचे हो रही है, हमारे साथ ऐसा [illegible] करो, इस धोखाधडी में आप शामिल है। या तो अंबुजा ने जो भी वादे किये वो पूरे करों, वहां वादे पूरे नहीं हो रहे है और आप यहां वादे कर रहे हो। यदि योग्यतानुसार नौकरी देने का कहते है तो मेरे तीन बेटे इंजिनियर एवं एक बेटी डॉक्टर है, मैंने एक नौकरी मांगी थी, अंबुजा ने आजतक नहीं दी। यह सब [illegible] झांसा है। जिन भाईयों की जमीन जा रही है, वहां जन सुनवाई नहीं करके [illegible] गांव में कर रहे है, इस गांव की जमीन नहीं जा रही है। छोटे–छोटे लालच से बच्चों को राजी कर रहे हो, ये बहुत बुरी बात है। एडीएम साहब से निवेदन है कि आप लिखित में दो कि कितने दिनों में रोजगार दोगे, वह लिखित कोर्ट में भी काम आनी चाहिए। पहले भी नकली नॉटेरी हमें दे दी कि जमीन की कीमत [illegible] आपको देंगे, पर वो कोर्ट में भी काम नहीं आती। यह लिखित में भी [illegible] अतः जनता के साथ अन्याय मत करो। आप समझदार है. फिर भी आपके [illegible] ये धोखा कर रहे है, तो आप इनको रोको। जहां की जमीन जा रही है, वहां [illegible] इस जन सुनवाई को वापस करवाएं, वहां की जनता की क्या समस्या है, उनका निवारण करवाएं तथा प्रदूषण बिल्कुल नहीं हो, इसके लिए आप क्या करेंगे, प्रदूषण को कैसे रोकेंगे और अगर कहते हैं कि यहां प्रदूषण नहीं होने देंगे तो पहले [illegible] का प्रदूषण बंद करावो तब हमें विश्वास होगा कि वास्तव में यह प्रदूषण नहीं होने देंगे। मुण्डवा की जो फैक्ट्री है वह बहुत धुंआ देती है, पहले दिन में देती थी, फिर चैयरमैन सीतारामजी ने जनता को इकट्ठा करके विशेष बात की तब से दिन में धुंआ छोडना बन्द करके रात में छोड़ना शुरू कर दिया। यहां आसपास की जनता [illegible] जायेगी, ऐसे जनता को मत मारो। पहले मूण्डवा फैक्ट्री का प्रदूषण [illegible] विश्वास हो जायेगा कि यहां प्रदूषण नहीं होगा।

श्री रामकुमार सोलंकी निवासी हरिमा ने कहा कि मैंने आधा घण्टा पहले बताया था कि डिस्प्ले पर ब्लॉक बता दीजिये, आधे घण्टे में जो आदमी एक ब्लॉक का निर्माण नहीं बता सकता, वो पर्यावरण के लिए क्या करेगा, क्या ही पेड़ लगा सकते है।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय ने कहा कि अभी डिस्प्ले पर दिखा देता हुं, बाकि प्रिन्ट करवाने के लिए हमने भेज दिया, सभी जगह वो ब्लॉक्स लग जायेंगे।

श्री नारायण बेनिवाल, पूर्व विधायक खींवसर ने कहा कि आप [illegible] आप [illegible] मान रहे हो ना कि यह बहुत बड़ी गलती है, तब तो इसे स्थगित करो एक [illegible] और नई तारीख दो। इतने बड़े उद्योग समूह द्वारा इतनी बड़ी नेग्जीलैंसी किया जाना, वो भी दोनों--तीनों अधिकारियों की मौजूदगी में, ये कितनी बड़ीं नेग्जीलैंसी की बात है। आप कह रहे हो लगा देंगे, अब लगाने से क्या फायदा? इन बक्सों [illegible] बात सही है, कि प्रत्येक खातेदार को यह पता होना चाहिए [illegible] का खेत, यह उस ब्लॉक में आ रहा है, उसे क्या आपत्ति है [illegible] कराता, अभी तक किसी को पता ही नहीं है। आपका दायित्व ये था कि [illegible] पंचायत समिति के प्रधान, यहां आसपास के तमाम जनप्रतिनिधि उनको इस जनसुनवाई की सूचना व्यक्तिगत रूप से भी होनी चाहिए। क्योंकि आपने तीनों [illegible] अलग--अलग अखबारों में अलग--अलग प्रकाशन दे दिये। [illegible] है [illegible] का कब है, सी2 का कब है, डी1 का कब है। जैसे हमने [illegible] यह जरूरी है कि सभी नव भारत टाइम्स और द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें। द इंडियन एक्सप्रेस जयपुर में भी दूसरे दिन आता है, तो मुझे नहीं लगता कि नागौर में किसी ने ये पढ़ा भी हो। एक दे दिया दैनिक नवज्योति में, जिस अखबार की तीन प्रतियां नागौर जिले में नहीं आती, उसके अन्दर छाप कर आप [illegible] हो, तो हमें भी मत बुलाओ आप। अभी राजीविका की [illegible] हमें रोजगार मिलेगा। पूर्वजों की कहावत कहते हुए कहा कि "बड़ा घरां में [illegible] परनाई, और मिलन रा आसां"। थोड़े दिन रूक जाओ आप, रोजगार ऐसा [illegible] आपको, अभी अखबारों में राजा रघुवंशी एवं सोनम की कहानी देखते हो या नहीं, जिस दिन शादी हुई उस दिन राजा रघुवंशी भी बहुत खुश हो रहा था, लेकिन [illegible] किलोमीटर दूर ले जाकर खाई में डाल दिया। आपकी यही हालत ये [illegible] कम्पनी करेगी। अभी कुछ दिन खुश हो जाओ, जो आपको सीखा कर लाये है [illegible] और अखबारों में पढ़कर भाषण लिख कर लाये है, ये पढ़ लो, लेकिन ध्यान रखना यहां रोजगार करेंगे कब, फेंफड़े तो सबके खराब हो जायेंगे, अपन तो [illegible] हॉस्पीटल एवं भदाना के बीच में ही बसों में घुमेंगे। जब रोजगार की बात कर [illegible] है तो मुण्डवा मे देख लो, यदि किसी के पास आई--फोन है तो [illegible] इसमें [illegible] एयर क्वालिटी इन्डेक्स (एक्यआई) चैक कर लेवे। यहां बैठे सभी अधिकारियों [illegible] इसकी जानकारी है, लेकिन ये बोल नहीं सकते, क्योंकि जन सुनवाई बहुत [illegible] व्यवित कर रहे है, इन सब पर नजर है, कौन पब्लिक के पक्ष में बोले, [illegible]

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

([illegible])
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

अखबार में पदस्थापन की खबर आ जायेगी। जिनसे आप लड़ रहे हो वो कोई छोटे लोग नहीं है। यहां सबसे पहले जे.एस.डब्ल्यू. कम्पनी के लिए जो व्यक्ति आये वो नरेन्द्र जी सैनी है जो व्यक्ति 2017 से इस क्षेत्र में आ गये, हम उम्मीद करते है कि ये हमारा विकास करेंगे। जब आज मैंने सोशल मीडिया पर 11:00 बजे सिनोली में जन सुनवाई में उपस्थित रहने की पोस्ट की, तो 10:55 बजे इनका मैसेज आया। ये हमसे क्या–क्या चाहते है और आप इनसे क्या उम्मीद लगा कर बैठे हो, कम–से–कम आपको ज्ञान तो होना चाहिए। आज आप हाथ काट कर इन्हें दे देंगे तो फिर आप सरपंच, प्रधान या एमएलए के पास किस उम्मीद से जायेंगे, वो भी क्या कर सकेंगे। सैनी जी ने मैसेज में भदाना को भाडण लिखा है, जो व्यक्ति 2017 से यहां रह रहा है, वो इंसान भदाना को भाडण लिख सकता है, तो थोड़े दिनों बाद भदाना को विधवा भी लिख सकता है, इन्हें कौन मना कर सकता है। हम सब मरे नहीं है जो विधवा लिख देंगे। माननीय कलेक्टर साहब के आदेश 163 का हवाला देकर तथा किसी को सूचना नहीं की गई, किसका खेत आ रहा है। तथा आप कह रहे है कि हमने मुनादी करवाई, मुनादी के भी सारे फोटोग्राफ्स मेरे पास है, इन्होंने एक पिकअप के ऊपर एक पर्दा लगाया है, एक–एक गांव में पिकअप को थोड़े से समय के लिए भेजी है, हो सकता है कि वह पिकअप वाला भैंसें लेने गया हो, उसके पर्दा लगा दिया, जिसके अन्दर लिखा है "प्रस्तावित अंधी चूना पत्थर ब्लॉक, अंधियान ब्लॉक की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु, प्रस्तावक मैसर्स जे.एस.डब्ल्यू. सीमेंट लिमिटेड, खनन पट्टा क्षेत्र 357.0937 हेक्टयर की जन सुनवाई दिनांक 12 जून 2025 दोपहर 1 बजे, स्थान– राजकीय प्राथमिक विद्यालय सिनोली संख्या 2 में आयोजित होगी।" आप हमें अभी भी अंधेरे में रख रहे हो, अलग–अलग अखबारों में तीन दिन सूचना देना, किसी जन प्रतिनिधि को सूचित नहीं करना, क्या इनकी इतनी भी जिम्मेदारी नहीं बनती कि कम से कम यहां के जन प्रतिनिधि प्रधान सरपंच आदि को सूचना करें। संविधान के आर्टिकल 12 एवं 21 महत्वपूर्ण आर्टिकल है, उसमें हमें स्वच्छ फेफड़े, स्वास्थ्य, स्वच्छ पर्यावरण के प्रति हम सब की भी जिम्मेदारी है, जो अधिकारी बैठे है आपकी भी। हमारे जो मूल कर्तव्य है, उसके तहत हमें क्या–क्या करना चाहिए। आज लाखों पेड़ ये उखाड़ देंगे। 2017 से अब तक तो यह बना नहीं ग्रीन कॉरिडोर, आठ साल बाद आप ग्रीन कॉरिडोर बनाने की बात कर रहे हो। आप यह भी स्पष्ट कर देवें कि देश कानून से चलाना चाहते है या डंडे के जोर से चलाना चाहते है और अगर आपका यह है कि डंडे के जोर से देश चलायेंगे तो आप अपना रास्ता तैयार करो और हमारी बाजुओं में दम होगा तो हम अलग रास्ता तैयार कर लेंगे। जे.एस.डब्ल्यू. को ऐसे ही लोगों को लूटने नहीं

(कन्हैयालाल सैनी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर

देंगे, अब वो भारत नहीं रहा कि इस्ट इंडिया कम्पनी आये और देश को गुलाम करके चली जाये। आज पाइप लाइन का काम चल रहा है, इंडियन रोड़ कॉंग्रेस के नियमानुसार ''सड़क क्षेत्र में नवीन पानी की पाइप लाइन डालने एवं बिजली के खंभा लगाने के सम्बन्ध में। उपरोक्त विषय में गाइडलाइन है कि पाइप एवं विद्युत के खंभे लगाते समय सड़क का राईट ऑफ वे का पालन करते हुए ही कार्य किया जा सकता है, जिसमें यदि एनएच या एसएच है, तो केन्द्र बिन्दु से लाइन की दूरी 45 मीटर, यदि एनडीआर है तो 25 मीटर, यदि ओडीआर है तो 15 मीटर और यदि ग्रामीण सड़क है तो 12.5 मीटर पहले ना तो कोई खंभा लगा सकता है और ना ही पानी की पाइप लाइन ड़ाल सकता है, तहसीलदार जी आप मजिस्ट्रेट की पावर लेकर आये होंगे और क्या आप आंख बन्द करके आये है कम्पनी जो चाहे करे क्या? या तो फिर जन सुनवाई करो ही मत, छोड़ो सब कह दो कम्पनी लगायेगी आपको मारेगी और हम इसका परमिशन देंगे। आप लिख कर दे दो। इस तरह से कानून का उल्लंघन करना और एक तरफ हम संविधान की सौगन्ध खा रहे है, बाबा साहब ने जो रास्ता दिखाया। बाबा साहब ने रास्ता जो दिखाया ... अन्धें हो गये है ना, बड़ें पूंजीपतियों के चक्कर में, आप सीट पर बैठने के बाद भूल जाते हो कि हमारी जड़े कहा है, हम भी गांव के आदमी है। आप दोनों जो मुखिया जो आज आप सामने बैठे हो, आप गांव से उठ कर आये है, आपको जे.एस.डब्ल्यू. वालों ने अफसर नहीं बनाया है, आपके माता–पिता ने पैसा खर्च किया और आपने पढ़ाई की तब आप वहां बैठे हो। तो हम आपसे न्याय की ही मांग कर रहे है, आपसे न्याय ही मांग रहे है। यदि इन तमाम बिन्दुओं को मद्देनजर रखते हुए ... की जन सुनवाईयों को स्थगित करो, नये सिरे से सारी बातों को वापस करो।

श्री रामकुमार सोलंकी निवासी हरिमा ने कहा कि अपन किसानों की तो जमीन ही मॉं है, जिसकी मॉं मर जाती है, उससे पूछो तकलीफ के बारे में। सरासनी के किसानों ने अपनी मॉं (जमीन) को बचाने के लिए 8 ... और मार खाई, हॉस्पीटल में ट्रीटमेंट ही करवा रहे, उन पर केस दर्ज हो गये, जिसका आज तक एडीएम साहब एवं एसडीएम साहब ने क्या किया। अभी ... वालों से पूछ रहा हुं कि हरिमा, सरासनी वालों से पूछ लो क्या हाल है, कैसे घूम रहे है, 5–10 लड़के कैसे राईड़ें (सरसों) के खेत में भागते फिरें तथा यहां ... के शिव जी के तो अभी तक लील (चोट से बनने वाले खून के धब्बे) जमी हुई ...

श्री नारायण बेनिवाल, पूर्व विधायक खींवसर ने एडीएम साहब को संबोधित करते हुए कहा कि 10 किलोमीटर रेडियस के अन्दर जे.एस.डब्ल्यू. कम्पनी ने केवल 8

तालाब बताये हैं, आप सभी ने भी पढ़ी होगी, जब आप यहां न्याय करने आये हैं और यह कह रहे है कि एक महीना पहले आपने विभिन्न स्थानों पर– पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, जिला कलेक्टर, सूचना केन्द्र, आरओ ऑफिस तथा और भी स्थानों पर इसका सारा लिटरेचर उपलब्ध है, तो आपने भी इसका अध्ययन [illegible] किया होगा और जब एक तरफ भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह जी ने 22 अप्रैल 2025 के पत्र में हमारे सांसद हनुमान बेनिवाल जी को संबोधित करते हुए लिखा है " कृपया आपने द्वारा दिनांक 28/03/2025 को लोकसभा में नियम 377 के तहत उठाये गये विषय का संदर्भ करें, जिसमें आपने राजस्थान की दो सीमेंट कम्पनियां नामतः अंबुजा सीमेंट, [illegible] नागौर और जे.एस.डब्ल्यू. सीमेंट, सरासनी जिला नागौर के द्वारा प्रस्तुत पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधित शर्तों की अनुपालना रिपोर्टों का भौतिक सत्यापन करने की मांग की थी. मामले की जांच उपरान्त जयपुर स्थित मंत्रालय के अधिनस्थ कार्यालय को अनुदेश दिया गया है कि वह शीघ्र उठाये गये मुदे के संबन्ध में यथाशीघ्र स्थल निरीक्षण कर तथ्यात्मक स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करें ताकि मंत्रालय द्वारा नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सके।" क्या आप मंत्री से बड़े हो गये, [illegible] मंत्री ये कह रहे है कि भौतिक सत्यापन करने के बाद पर्यावरण स्वीकृति आप दे सकते हो। [illegible] सांसद का 377 के तहत, मुझे लगता नहीं कि आप कभी [illegible] एवं एमएलए के प्रिविलेज विशेष अधिकार हनन के, उसमें आप फसें नहीं कभी आईएएस, आईपीएसों की लाईन लगती है, बाहर बेंच पर बिठाते हैं, कलेक्टर, एसपी और डीजी को, यदि यह जन सुनवाई आपने इस आदेश का उल्लंघन करके जबरदस्ती की तो हम आपको लोकसभा की कार्यवाही तक में, माननीय सांसद [illegible] फिर संसद और देश का कानून कुछ [illegible] नहीं, मंत्री से बड़ा आरओ एन एडीएम हो गये। आपके जो मन में आयेगा वो [illegible] दोगे। उन्होंने भौतिक सत्यापन कर लिया क्या, भौतिक सत्यापन के बिना रोक लगाई गई है, चिट्ठी आपके पास भी आई होगी। इसके अलावा 10 किलोमीटर की परिधि के अन्दर आपने सिर्फ पांच तालाब बताये। जो आंकड़े मैं आपके सामने प्रस्तुत [illegible] रेवेन्यू के रिकॉर्ड है, डेह का तालाब तहसीलदार कार्यालय [illegible] के आधार पर खसरा नं. 1421– गैर मुमकिन नाड़ी, खसरा नं. 1475– गैर मुमकिन नाड़ी, खसरा नं. 183– गैर मुमकिन नाड़ी, खसरा नं. 192– गैर मुमकिन नाड़ी, खसरा नं. 202– गैर मुमकिन नाड़ी, खसरा नं. 439– गैर मुमकिन नाड़ी, खसरा नं. 537– गैर मुमकिन नाड़ी ये केवल डेह का, भदाना का [illegible] खसरा नं. [illegible]– गैर मुमकिन नाड़ी, खसरा नं 461– गैर मुमकिन नाड़ी, खसरा नं.

[illegible] अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

([illegible])
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

501– गैर मुमकिन नाड़ी, खसरा नं. 606– गैर मुमकिन नाडी, खसरा नं. 660– गैर मुमकिन नाड़ी तथा सरासनी में खसरा नं. 295– गैर मुमकिन नाड़ी, खसरा नं. ... गैर मुमकिन नाड़ी, खसरा नं. 72– गैर मुमकिन नाड़ी एवं हरिमा के तालाब ... खसरा नं. 500– गैर मुमकिन नाड़ी, खसरा नं. 547– गैर मुमकिन नाड़ी ... जिन्दास जहां ये जन सुनवाई हो रही है में खसरा नं. 214– गैर मुमकिन नाड़ी, खसरा नं. 81– गैर मुमकिन नाड़ी इस प्रकार कम से कम 35 तालाब है, छोटे नाड़ों की अगर बात करे तो, लगता है शहर में आकर आप लोग भूल गये हो, नाड़ा ... नाड़ो जितना ही महत्त्वपूर्ण है गांव वालों के लिए, जो ढाणियों के अन्दर रहते है ... 10 किलोमीटर गांव थोड़े जाते है, वो छोटे नाड़ों से अपनी प्यास बुझाते है, ... कहीं इसमें जिक्र नहीं हैं। जिसने भी यह रिपोर्ट बनाई, मुझे तो ऐसा लगता है ... उन्होंने नागौर नाम देख लिया है तो ना–गौर, कोई गौर करने वाला नहीं, ... यही होता आया है, लेकिन अब ध्यान रखना नागौर ना–गौर नहीं रहा, अब ... लोग गौर करने लगे है। इसके अन्दर जितना बड़ा झूठ का पुलिंदा तैयार किया ... उस पुलिंदे का आप लोग भी एक बार अध्ययन करो। यहां ... विभाग ... अधिकारी, कलेक्टर महोदय के प्रतिनिधि एडीएम साहब तथा तहसीलदार जी ... है, आप लोग एक किसान के 91 में दर्ज करके उसको जेल में एक मिनट में ... देते हो, क्योंकि वहां पर आपका दूसरा इन्टरेस्ट होता है, अब करो कार्यवाही, ... इतना बड़ा आपका दिल है और आप जो सोचते हो मजिस्ट्रेट की पॉवर है मेरे ... तो आज मजिस्ट्रेट की पॉवर का इस्तेमाल कर लो, जिससे आपको भी पता ... जायेगा कि मजिस्ट्रेट की पॉवर सिर्फ गरीब लोगों को तंग करने के लिए ही ... है या कानून में, बाबा साहब ने कहा प्रत्येक व्यक्ति समान है, समान कहां ... बताओ। गांव का एक गरीब व्यक्ति यदि धोरा इधर–उधर कर दे तो तहसीलदार जी उसको सिविल कारावास की सजा कर दे। यहां तो इन्होंने कितना बड़ा झूठ बोला है, आप चाहे तो इसका अध्ययन करके जे.एस.डब्ल्यू. के लोगों को, जिन्होंने ... बनाया है, अन्दर डालो। अभी तो सिर्फ तीन ब्लॉक की जन सुनवाई हुई है, ... एक ब्लॉक की इन्होंने पहले कर ली, तो चार ब्लॉक इस इलाके में– सरासनी, हरिमा, भदाना और डेह का, अभी तो इनको पता लगा कि यहां सारे जमीन के नीचे लाईमस्टोन है, धीरे–धीरे सबका नम्बर आयेगा। अभी काफी लोग भोला–भाला ... उनको धीरे से कान में बोल दिया कि तुम्हारी एक जेसीबी लगा दूंगा और ... तुम्हारे डम्पर तैयार, एनजीओ वालों को बोल दिया कि दिवारों पर नारे लिखने का काम तुम्हें ही देंगे, किसी को बोल दिया कि तुम्हें पेड़–पौधे लगाने को देंगे। ... लोग यहां अपने भाईयों को मार कर, किसके दिवारों पर नारे लिखोगे, थोड़ा ...

अधिकारी

ध्यान रखो। हम बचपन में कहानी सुना करते कि "एक आदमी के पास एक तोता, एक मुर्गा, एक बकरा एवं एक पाडा था, जब वो बिमार पड़ा तो वैद्य जी ने उसे देख कर कहा कि इसे तोता को उबाल कर उसका सूप पिलाएं तो यह तैयार हो जायेगा, तोते को पता चल गया कि मुझे मारेंगे तो वो अपने तीनों साथियों को जाकर रोया कि मैं तुम्हारें साथ रहा हमेशा मुझे बचाओ कैसे भी। पर उन तीनों ने सुना नहीं, तो तोते को मार दिया तथा सूप पिकर वो ठीक हो गया, जब ठीक हुआ तो परिवार वाले मिलने आये और कहां कि वैद्य जी ने निहाल कर दिया अब पार्टी करते है, पार्टी के लिए मुर्गा काटा जाये, तब मुर्गे को काटा, बाद में ज्यादा लोग आये तो ज्यादा भीड़ हुई तो कहा बकरे को काटों, तब बकरे को काटा गया, अब आसपास पता चला कि वैद्य जी मरणासन आदमी को ठीक कर दिया तो ज्यादा लोग आ गये, तब कहा कि अब पाडा के बिना काम नहीं चलेगा, तो उस पाडे को काटा गया।" मतलब यही है कि नम्बर सभी का आयेगा, ध्यान रखना। ये बालवा हरिमा, सरासनी तक ही नहीं छोडेंगे, ईधर नीचे झाडिसरा तक ये देख लेंगे। नीचे तेल है, गैस है, कोयला है या लाईमस्टोन क्या है। सबको मारेंगे, यह मत सोचना कि आज तो इनका है तो हम तो ताली बजा ले और जे.एस.डब्ल्यू. के पक्ष में बोल [illegible] ऐसा [illegible]। शुरुआत में मुण्डवा में जन सुनवाई हुई, मैं भी गया, आज यहां ये [illegible] जी और बैठे है ना, इन लोगों को मैंने बहुत बातें बताई परन्तु इन्हें समझ नहीं आई, काफी लोगों को नहीं समझ आई। कुछ ने कहा हम डम्पर लगा लेंगे, अब उन्होंने क्या किया है, रेल भी सीधी अन्दर लेकर आते है, [illegible] डम्पर और जे.सी.बी. सबके घर ही पड़े है, अब रेल भी अन्दर लाते है तथा जो पत्थर डम्पर से आता था, वो सीधा कन्वेयर बेल्ट से आता है। आपके यहां भी कुछ खुश हो रहे है ना, शायद आप लोगों को पता नहीं है कन्वेयर बेल्ट की भूमि भी आवाप्त हो गई है, एक–दो खेत को छोड़ कर। पत्थर क्रेशर से टूटेगा और सीधा फैक्ट्री में आयेगा। राजीविका वाले बाईजी जो बोल रहे थे ना, आपको यहां अन्दर जाने नहीं देंगे ये, मूण्डवा वालें अभी अंबुजा में जाने की कोशिश की परन्तु इनसे मिलते ही नहीं है। आंकड़ों के हिसाब से पिछले 2 साल से मूण्डवा तथा ईनाणा के सभी तालाब खाली पड़े है। बरसात चारों तरफ हुई परन्तु मूण्डवा, ईनाणा में नहीं हुई। मैं उद्योगों के खिलाफ नहीं हुं, आप लगाओ, रोजगार दो कौन मना करता है, परन्तु अपने को मार देंगे, लोगों के फेंफड़ें खराब कर देंगे, तो रोजगार किसके काम आयेगा। उसी ब्लॉक में सैकडों खेत कम्पनी लेंगे परन्तु रोजगार केवल 91 लोगों को देंगे, वो भी यहां एक भी उस योग्यता वाले नहीं है, वो होंगे माईन्स मैनेजर, माईन्स मेट, ब्लास्टर, ड्रीलर आदि तथा जो ड्रिलिंग का काम करते है ना उन्हें देंगे।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

अपने को रोजगार की बात नहीं लिख रहे है। यदि अपने खेत छिन लेंगे तो यहां पर हजारों लोग तो बेरोजगार हो गये। कोई तो बोलते है कि कहीं और जमीन ले लेंगे, लेंगे कहां से बताओ। आपने यहां 8 लाख में जमीन बेची और हमारे गांव में उस समय 3 लाख में आती, अब कहते है कि भदाना में 8 हो गई तो 6 तो हमारे भी हो। आप सभी एक–एक चीज पर मंथन करो और आने वाली पीढ़ी का सोचना। कोई तो कह दे कि मैं तो 8 लाख से रूपये लेकर फॉर्चुनर लेकर आऊंगा, बढ़िया घर बना लुंगा, लेकिन घर एवं फॉर्चुनर से काम नहीं होगा। सोना एक ... रूपये पहुंचा, लुगाई (बीवी) कौन लायेगा, इस क्षेत्र में बहुत लोग कुंवारे घुम रहे है। विकास की बात इन्होंनें बिल्कुल ठीक की कि इन्होंनें विकास कर दिया, मैं ... आंकड़ा लेकर आया हुं, इस पर आप सब गौर करना। इस फैक्ट्री के लगने से पूर्व 2018 से पूर्व यहां डेह कि जो शराब की दुकान है, यहां हरिमा और फैक्ट्री के सामने भी एक दुकान है और भदाना फांटा पर भी, इन सब दुकानों को मिलाकर 15 करोड़ की शराब, दारू एक साल में बेचा जाता है, जो पहले केवल 4 करोड़ का बिकता था, ये विकास बहुत अच्छा 4 गुणा कर दिया। यहां अपराध ऐसा ... कि अभी तो यहां बिहारी तथा बंगाली आते है, ये बोलते क्या है नहीं पता नहीं चलता। यहां भदाना, जिन्दास के लोग नौकरी करेंगे तो कभी हम आ भी जायें तो पता तो चलेगा, आप बात तो बताओंगे, वो लोग तो क्या बोलते है पता नहीं चलता, बिहारी एवं बंगाली गालियां निकालते है या प्रशंषा करते है कुछ पता नही चलता। आपको यहां रोजगार कि जो झूठी बाते कर रहे है, किसी आदमी को रोजगार नहीं मिलेगा। यह रही अंबुजा सीमेंट, पहले एक बार जाकर भ्रमण करके देख लो कि कितने लोकल लोगों को रोजगार मिला है। इन्होंने उसी ... जो बात कही, ... इसमें भी है, 5 की जगह 40 से ज्यादा है। अभी 5 जून को ही पर्यावरण दिवस की बात कर रहे थे, लोगों ने मनाया, अभी हमारे प्रधानमंत्रीजी और मुख्यमंत्री जी ... गांवों आदि में तगारी और पावड़ा आदि से तालाब खोद रहे है, एक तरफ तो तालाब खोद रहे है तथा दूसरी तरफ इन 40 को हम उजाड़ रहे है। हम काम क्या करना चाहते है कम से कम ये पता तो चलें। वास्तव में नियत क्या है, लोगों के ... की नियत है या प्रदूषण से बढ़िया जकड़ कर ईलाज करने की नियत है। इन ... से विस्तृत रिपोर्ट लेनी है। दूसरी बात इन्होंनें जो इस रिपोर्ट में लिखा है कि ... क्रेशर लगेगा, 1600 टन प्रति घण्टा। अभी कोई अध्यापक बता रहे थे कि जे.के. डब्ल्यू. ने हमारे बहुत विकास किया, तो बताइये क्या विकास किया, जब ... बच्चे ही 250 है, तो क्या यहां कॉलेज या यूनिवर्सिटी बना दी। अभी बच्चे 250 ... दो साल बाद देखना यहां 50 भी मिल जाये तो। यहां ... तथा ...

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
... (राजस्थान)

(... मीणा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर

स्कूलें बन्द हो गई है। हम आगे बात वहीं करें जिसमें सत्यता हो। अभी फैक्ट्री [illegible] नहीं, बनने के बाद पर्यावरण, फेंफड़ों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अब सब चीज गई आगे लगी है लेकिन फेंफड़े नहीं आये है। फेंफड़े खराब होने पर आदमी मरता ही है और फेंफड़े खराब करने की [illegible] बड़ी फैक्ट्रियां आपके आसपास लग रही [illegible] सीएसआर [illegible] कर रहे है, कि इसके तहत क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे 2 प्रतिशत सीएसआर फण्ड लोकल जगह पर खर्च होना, लेकिन अंबुजा [illegible] सीएसआर फण्ड वो जयपुर के अन्दर खर्च हुआ है। आप आंकड़ें देख सकते है लोकल ईलाकें में बिल्कुल खर्च नहीं करते।

जल की आवश्यकता 200 किलोलीटर प्रतिदिन भूजल एवं खदान दोनों के लिए, बिजली आवश्यक 20 मेगावाट तथा श्रमशक्ति की आवश्यकता 91। खनन [illegible] विवरण पूर्ण यांत्रिकृत ओपन कास्ट खनन एवं खनन की आयु 119 वर्ष बताई [illegible] और अंतिम कार्यशील गहराई 40 मीटर अर्थात लगभग 120 फीट बताई है। प्रतिदिन 2 शिफ्ट में मजदूर एवं कर्मचारी 12 घण्टे काम करेंगे, जबकि 8 घण्टे से अधिक काम करना [illegible] अधिकारों का हनन है। आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में भी [illegible] [illegible] से कुछ [illegible] नहीं है, खनन उत्पादन 1.40 मिलियन टन तथा [illegible] की बात कर रहे है, क्रेशर गांव से 150 मीटर दूर, यहां तहसीलदार जी बैठे [illegible] अपने भू–राजस्व के जो कानून है वो ये कहते है कि 1.5 से 2 किलोमीटर ग्रामीण आबादी के अंतिम छोर से उद्योग नहीं लगा सकते। अब ये 150 मीटर पर क्रेशर लगाने की बात कर रहे है तथा उस क्रेशर की क्षमता 1600 टन प्रति घण्टा, [illegible] क्रेशर उत्पादन 1600 टन प्रति घण्टा यंत्रिकृत ओपन कास्ट विधि से परिवहन [illegible] लिए 40 डम्पर की आवश्यकता है। अब अगर 16 घण्टे काम करेंगे तो 640 [illegible] केवल एक क्रेशर पर चलेंगे। अब इस इलाके से 640 डम्पर गुजरेंगे तो यातायात पुलिस वालों से भी राय ले इस बारे में कि जब 640 डम्पर कच्चे रास्ते से निकलेंगे तब आसपास के ईलाके के लोगों की क्या हालात होगी। इसके बारें में भी [illegible] कुछ लिखा नहीं। खनिज परिवहन 40 टन डम्परों द्वारा 1600 टन प्रति [illegible] अर्थात् 25600 टन 640 डम्पर पर ट्रिप होंगे, 640 ट्रिप में डीजल, डम्पर [illegible] लोडिंग मशीन, जो 200 लीटर प्रति घण्टा खपत करेंगे, संख्या 5 हो गई है। 5 पोकलेन से 40 डम्पर भरेंगे। अब इनके कार्बनडाई ऑक्साइड एवं CO गैस का [illegible] उत्पादन होगा, जिससे वायुमण्डल में आसपास में स्थित गांवों, तथा राष्ट्रीय राजमार्ग [illegible] निकल रहा है [illegible] माईन्स के अन्दर से, में बिमारियां उत्पन्न होगी साथ [illegible] 1600 टीपीएच क्रेशर से डस्ट का उत्पादन होगा, उस रोकने के लिए क्या [illegible] उपाय किये बताऐं। इन्होंने लिखा कि वेट ड्रिलिंग करेंगे, मैं स्वयं भी [illegible]

[illegible] अधिकारी
[illegible]
[illegible]

(ब्रजलाल मीणा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
[illegible]

[illegible] व्यवसाय से जुड़ा हुं तो टेक्नीकली कुछ जानता हुं, अभी तक बाहर से [illegible] जरूर वेट, गीला कर सकते हो, लेकिन जो ड्रीलिंग की बड़ी मशीनों से धुंआ [illegible] उड़ता है। एडीएम साहब हो शायद आप इसके बारे में [illegible] नहीं जानते [illegible] क्योंकि आप प्रशासनिक सेवा में हो तथा कोई एक आदमी हम क्षेत्र में प्रफेक्ट [illegible] हो सकता, इस जन सुनवाई को स्थगित करके, एक बार आप जो भी बड़ी सीमेंट [illegible] फैक्ट्रियां है, उनके ड्रीलिंग सिस्टम को देखो और फिर अगर लगे कि यह [illegible] ड्रीलिंग कर लेंगे, धुंआ, धूल नहीं उड़ने देंगे, एक महीने बाद वापस इस [illegible] सुनवाई का आयोजन करके फिर एनओसी दे देना। [illegible] बिन्दुओं [illegible] आप ध्यान रखें। कम्पनी ने नगर परिषद नागौर से एमओयू किया है, जिसके [illegible] नागौर से लेकर यहां तक पाईप डाल दिये गये है। नागौर से आपको पानी [illegible] कौन, नागौर में विगत 3 माह से की हालत यह है कि ताले लगे हुए है, [illegible] अविश्वास प्रस्ताव ला रहे है, कोई सडक का कह रहे है, [illegible] नागौर [illegible] अन्दर सड़क नहीं बनाई, पानी नहीं पिलाया, वो आपको [illegible] वाले [illegible] 200 किलोलीटर पानी दें देंगे। केवल आंकड़ों को मत [illegible], ये भी देखो [illegible] प्रेक्टिकली ये चीज संभव है या नहीं, इन सब चीजों पर भी हमें अध्ययन करने [illegible] बहुत जरूरत है। इसके अलावा उत्खनन का जो विवरण है, इसके अन्दर [illegible] इन्होंने किया नहीं, इसके अन्दर भी खूब झुठी बात लिख कर लिपापोती करने [illegible] काम किया है। संभावित पर्यावरणीय प्रभाव तथा नवीनीकरण उपाय [illegible] ड्रीलिंग पानी [illegible] साथ बताया गया है, ये गलत है, क्योंकि कम्पनी हेवि–अर्थ [illegible] से ड्रीलिंग [illegible] उस ड्रीलिंग से पानी का प्रावधान है ही नहीं, दैनिक उत्पादन 25600 टन [illegible] प्रतिदिन कितनी ड्रीलिंग होगी, उस ड्रीलिंग में कितना पानी आयेगा, ब्लास्टिंग [illegible] पश्चात पानी छिड़का जायेगा या नही, उसका विवरण भी नहीं दिया है। जिस [illegible] पर डम्पर चलेंगे, उस पर पानी छिड़काव की क्या [illegible] है, उसका भी [illegible] नहीं दिया। हेवी ब्लास्टिंग से जो नाइट्रोजन व सल्फेट फ्यूमस उड़ेगी, आसपास [illegible] जन मानस को प्रभावित करेगी, इसको रोकने के क्या उपाय है, इसका भी [illegible] स्पष्ट नहीं दिया। खान का क्षेत्र 300 हेक्टेयर से भी बड़ा है, जो वर्षा का कैचमेंट [illegible] क्षेत्र भी है, क्योंकि इसके अन्दर भी नाड़ियां है। माननीय उच्च न्यायालय में [illegible] रहमान प्रकरण से आज पूरा राजस्थान के बडे–बडे उद्योग [illegible] पड़े है, आप [illegible] करके आप सभी प्रशासनिक अधिकारी बैठे है, न्यायालय में कितने प्रकरण आ रहे [illegible] कि कैचमेंट एरिया में अगर किसी का उद्योग अथवा घर आ रहा है तो उस पर [illegible] बुलडोजर चलाओ। एक तरफ आप उधर बुलडोजर चला रहे हो, दूसरी तरफ [illegible] रहे हो कि कैचमेंट एरिया में आप माईनिंग करों, दो तरह का कानून देश में [illegible]

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

[illegible]
अतिरिक्त जिला [illegible]
नागौर

चलेगा, इस पर भी आप पूरा लिखित में लेवें। इन्होंने लिखा है कि इस योजना अवधि के दौरान कोई अपशिष्ट उत्पन्न नहीं होगा, जो पूर्णरुप से गलत है। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किसी भी नागरिक का हवा, पानी, रोशनी कोई व्यक्ति अथवा संस्था अपने व्यापार के लिए बाधित नहीं कर सकता। ये हमें हमारे संविधान की जो आत्मा है, जिसके बदौलत हम जिन्दा है, उसके अन्दर आर्टिकल 21 यह कह रहा है कि हमें शुद्ध वायु एवं शुद्ध पानी के लिए हम हकदार है। माईनिंग प्लान की बात है, इन्होंनें ये रिपोर्ट दे दी, बता रहे है कलेक्टर ऑफिस, ग्राम पंचायत और भी अन्य जगहों पर रखी है। अगर सरपंच साहब ये कह दे कि इन्होंने इस रिपोर्ट को पढ़ा है और यह सही है, तो आप इन्हें एनओसी दे दो। एक ग्रेजुएट व्यक्ति भी इस 800 पेज की रिपोर्ट को नहीं पढ़ सकता, इसमें केवल इंग्लिश लिखी है। इन सब चीजों को आप स्थानीय भाषा में शुद्ध हिन्दी में अनुवाद करवाकर लोगो को वितरण करे। इन्होंने लिखा है कि हम यहां भू–जल का दोहन नहीं करेंगे तथा सीजीडब्ल्यू की परमिशन के बिना आप कर ही नहीं सकते। यहां के सभी ब्लॉक धीरे–धीरे डार्क जॉन की श्रेणी में आ गये। अभी किताबों में तो ये बता रहे है कि हम पानी वहां से ले आयेंगे, यहां एक ट्यूबवेल भी नहीं खोदेंगे, क्या यह सम्भव है? ये अपनी फेक्ट्री एरिया तथा माईनिंग एरिया में ट्यूबवेल्स खोद कर इस क्षेत्र का सारा पानी दोहन कर लिया तो यहां के लोग तो पलायन करने पर मजबूर हो जायेंगे। अब फैक्ट्री लगभग बनकर तैयार है, परन्तु 2017 से अब तक कितना ग्रीन बेल्ट बनाया। ये तीनों ब्लॉक लगभग एक ही इलाके में एडजस्टमेंट सीमा में है। इसके अन्दर यदि हम खसरों की बात करें, तो हजारों किसानों की आप जमीनें लेंगे, एक पेड़ औसतन एक लाख लीटर प्रति वर्ष ऑक्सीजन देता है अर्थात् प्रतिदिन 264 लीटर ऑक्सीजन एक पेड़ दे रहा है तथा एक व्यक्ति की दैनिक जरूरत 550 लीटर है, अर्थात् उसकी आधी है। यदि एक आदमी को जिन्दा रखना है, तो दो पेड़ कम–से–कम चाहिए ये विज्ञान कहता है। आप यहां लाखों पेड़ काटोगे, जिसका मतलब आपने लाखों लोगों को मार दिया। आपके पेड़ कब जवान होंगे। जब जोधपुर–नागौर हाईवे बना, इनके अन्दर खूब पेड़ कटे, जिस कम्पनी ने हाईवे बनाया, उसने अधिकारियों को भी लिखित में दिया, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नागौर से लेकर जोधपुर तक किसी ने कोई बड़ा छायादार पेड़ नहीं है। तो क्या जे.एस.डब्ल्यू. एक ही दिन में लाखों पेड़ लगा लेगी? इससे अच्छा तो यह हो कि आप यहां हरिमा में चारों तरफ फोर्स लगा कर दीस–बीस जलाद लाओं और मार दो सभी को, आज जैसे फोर्स लगाते हो ना। सरासरी एवं जिन्दास का नाम आते ही पुलिस के कुछ अफसरों को बहुत मजा आता है, यहां

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल
नागौर (राजस्थान)

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

वहां ठोकेंगे। गरीबों को ठोकने से क्या होगा? आप लोग गरीबों को डंडे से मार कर स्वर्ग में नहीं जाओगे। अगर आपको वाकई डंडे मारने का शौक है और लगता है कि वर्दी में दम है तो जे.एस.डब्ल्यू. वाले मार रहे है ना लोगों को, करो इनका इलाज। ताकि आप लोगों को भी पता चल जायेगा। [illegible] सब को एक ही बात का ध्यान रखना है कि आप भी [illegible] परिवार के [illegible] कई बार कोई आदमी आपको भगवान मानते है, हम भी तिरंगें को मानते है, [illegible] तिरंगा लगा है वहां पहले बुजुर्ग लोग जुते खोल कर निकलते थे, आज भी श्रद्धा से हमारा भी सर झूकता है, हम ये सोचते है कि अन्दर कोई न्याय की मूर्ति बैठी है, लेकिन जब ये गरीब जे.एस.डब्ल्यू. के खिलाफ आपके ऑफिस आते है तो [illegible] पर आंखें निकालते हो, तो आपके बच्चे सक्सेज नहीं होंगे। इन बेचारों को [illegible] और पानी पिलाओ, किसी गरीब व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं हो। इस फैक्ट्री [illegible] आने के कारण नशा प्रवृति भी बहुत बढ़ी है। एडीएम साहब आप एक बार [illegible] आंकड़े भी ले लो कि मूण्डवा की शराब की दुकानें अंबुजा के लगने से पहले कितनी शराब बैचती थी, अब 6 गुणा या 7 गुणा बेचती है। [illegible] दुकानें है, ये भी दारू कितना गुणा बैचते है। इन [illegible] का पता [illegible] कर लो, [illegible] हम देखेंगे कितना विकास हुआ है। जब शराब की बात की तो इधर बैठी बहनों [illegible] सर हिलाया, इसका मतलब किसी का भाई, पति, रिस्तेदार नशा करता है, [illegible] सभी को है, पर कर क्या सकते है। यहां बाहर से आदमी के साथ नये-नये [illegible] लेकर आ गये। इन सब बातों पर भी ध्यान रखते हुए, मैं आपसे व्यक्तिगत [illegible] करुंगा कि आज की जन सुनवाईयों को, क्योंकि एक तो लोगों का समय पर [illegible] नहीं हुई, अलग-अलग अखबारों में दिये, कहीं मुनादी आप कर नहीं पाये, पूरे [illegible] में माननीय कलेक्टर ने धारा 163 लगा रखी है, जिससे लोग शादियों में जाने [illegible] डरने लगे, यहां भी लोग आये नहीं, वरना इतने लोग आते कि ये पाण्डाल [illegible] पड़ता। हम उद्योगों के खिलाफ नहीं है, जब देश के प्रधानमंत्री तथा [illegible] इकॉनोमिस्ट ये कह रहे है कि उद्योग लगा कर देश आगे बढ़ायेंगे, तो हम [illegible] रहे है लगाओ उद्योग, परन्तु किसी को मार कर, किसी की कब्र खोदकर [illegible] ऊपर से रास्ता निकालोगें तो मैं उस उद्योग के पक्ष में नहीं हूं। अतः आज [illegible] तमाम बिन्दुओं को ध्यान में रख कर शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और शुद्ध रोशनी [illegible] को कैसे मिले, संविधान के आर्टिकल 12 एवं 21 की अनुपालना इन सब [illegible] कैसे कर सकते है, इन तमाम चीजों को ध्यान में रख कर आज की इन जनसुनवाई को स्थगित करके इनका पूरा साहित्य तीनों ब्लॉकों का, वो हिन्दी में सहज [illegible] लोगों को उपलब्ध करावे, जन प्रतिनिधियों को व्यक्तिगत रूप से कहे, सभी [illegible]

को संतुष्ट करके यदि आप उद्योग लगाओ तथा लोगों को सम्पूर्ण जानकारी देने के बाद अगर हम जन सुनवाई करे, तो ही यह जन सुनवाई साकार होगी। अतः आज की तीनों जन सुनवाई 3सी1, 3सी2 एवं 3डी1 ब्लॉक को स्थगित करके नई तारीख मुकदर कर लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयर करके पर्यावण स्वीकृति हेतु जन सुनवाई करें।

श्री रामकुमार सोलंकी निवासी हरिमा ने कहा कि मैंने डेढ़ घण्टे पहले डिस्पले पर असरों को दर्शाने के लिए कहा था, मैं मेरे प्रिंटींग प्रेस से अभी बैनर तैयार कर दूंगा, जब ये डेढ़ घण्टे से डिस्पले पर नहीं दिखा सके तो ये क्या पेड़ लगा देंगे।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने कहा कि अगर कोई भी बात कहता है तो उसे सुनना पड़ता है, उसे लिखना पडता है, एक–एक चीज हम लोग लिख रहे हैं तथा ये बैनर भी छप गये है, हमारी टीम काम कर रही है। तो अब कहीं सारे लोग है उनको भी बोलने का मौका दो। बैनर अभी लगा देते है।

श्री मनीष मिर्धा, निवासी कुचेरा ने कहा कि पूर्व में जो अंबुजा में हुआ वहीं इतिहास यहां दोहराया गया, दो दिन पहले विज्ञप्ति छपती है, कौन देखता है, कहा छपती है, कितनी बड़ी छपती है, कोई अंदाजा नहीं। मैं इस आंदोलन से पहले नहीं जुड़ा हुआ था परन्तु जिस दिन इन लोगों पर लाठीचार्ज हुआ उस दिन मुझे पता चला कि 34 दिन से धरने पर बैठे है, जब ये हॉस्पीटल थे तो वहां पहुंचा एवं तब पता चला कि क्या हुआ है और यह सब इस आंदोलन पर क्यों बैठे हैं। उसके बाद से मैं लगातार डेह, सरासनी, हरिमा आदि गांवों के सम्पर्क में हूं। जैसे–जैसे नये मुद्दे सामने आ रहे है, किसान महापंचायत भी की तथा पंजाब से भी किसान आये उन्होंने भी सभी बातें कहीं। यहां की एक विशेष मांग थी, जो कलेक्टर साहब के नाम ज्ञापन दिया तथा आप लोगों को भी भेजी। विगत दो दिन से इन गांवों के वाट्सअप ग्रुप के माध्यम से मैं इनसे जे.एस.डब्ल्यू. द्वारा दी गई रिपोर्ट्स मांग रहा हूं, ताकि उस हिसाब से तैयारी करें, तो मेरे पास 3सी1, 3सी2, 3डी1 तीनों जन सुनवाई हेतु पीडीएफ आये तथा तीनों पीडीएफ एक जैसे, 8 अथवा 9 पेज का एक पीडीएफ था, जिसमें केवल ऊपर हैडिंग में सी1, डी1 आदि अलग–अलग लिखे हुए, कैरेक्टेयर चेंज किया हुआ, बाकि सबकुछ लगभग एक जैसा। अब दो दिन से मैं उन्हें पढ़ रहा हूं, जिससे मुझे ये पता चला कि जे.एस.डब्ल्यू. ने इतनी मेहनत करके ये पता लगाया है कि इस बिल में कितनें सांप रहते है तथा इस बिल में कितने नेवले रहते है। उस रिपोर्ट में बस इतना लिखा है कि इस गांव की जलवायु ऐसी है, इस गांव में इतने नाडे है, उसमें कोई डिटेल्स नहीं दी हुई। उसमें ऐसा कुछ बताया

(कन्हैयालाल चीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

नागौर (राजस्थान)

हुआ नहीं है कि हम इसें ठीक कैसे करेंगे जलवायु संरक्षण कैसे करेंगे, जल [illegible] कैसे बढ़ायेंगे। केवल ये बताया है कि यहां इतना पानी है, यहां इतने वृक्ष लगे [illegible] अब बताऊं ग्रीन कॉरिडोर की डिमांड अभी की नहीं, बहुत पहले की है। जब [illegible] कंस्ट्रक्शन यहां से चालू हुआ तो इन्होंने लिखित में दिया था कि हम यहां पर [illegible] कॉरिडोर बनायेंगे। अभी वो ग्रीन कॉरिडोर छोड़ो, इन्होंने एक पेड़ तक नहीं लगा[illegible] आप नपवा दो अथवा बता कि कौनसे ग्रीन कॉरिडोर बना है, कितने पेड़ लगे [illegible] हम बात कर रहे है जे.एस.डब्ल्यू. की ये तो अभी चालू होगी, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही आप और हम अंबुजा सीमेंट में टकराव करके आये उसका क्या नतीजा निकला, आपने जो बोर्ड लगाने का कहा था अभी तक वो बोर्ड नहीं लगा, [illegible] अंबुजा सीमेंट वाले अपनी रिडिंग तक बता नहीं पाये और [illegible] यहां पर [illegible] एस.डब्ल्यू. का एक और प्लांट यहां पर खड़ा कर रहे है, जिसमें कोई जानकारी नहीं है, दो दिन पहले छपता है, वो भी शायद डी1 का ही छपा था, बाकि छपा ही नहीं, जहां छपा उसकी अपने को जानकारी तक नहीं। आप डी1 का 1 बजे [illegible] सुनवाई के लिए छाप देते हो और उसके बाद उसकी 8 पन्ने का एक पीडीएफ [illegible] हो, जिसमें भी जलवायु जुड़ा कोई प्रावधान तथा एक्यूआई [illegible] वहां पर तो हमने देख लिया, ब्रोंकाइटिस जैसी फेंफड़ों की बिमारियां हो रही है [illegible] यहां के आसपास के एरियों की हालत खराब कर रही है। तो हम क्यों माने कि [illegible] एस.डब्ल्यू. कुछ अलग करेगा। टेक्नॉलोजी तो जे.एस.डब्ल्यू. के पास भी अंबुजा [illegible] समान ही है। जब अंबुजा वाले एक्यूआई, पीएम2.5, पॉल्युशन कन्ट्रोल नहीं कर रहे है तो यह कैसे करेंगे। मूण्डवा में हवा तो [illegible] खंख (डस्ट अथवा दूषित धूल) आती है, अगर कोई स्वस्थ [illegible] व्यक्ति वहां 10 मिनट रूक जाये तो वो भी खांसना शुरू कर देगा, उस खंख ही पीएम2.5 है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि फैक्ट्री जब पांच गुणा बढ़ा देंगे तथा माईनिंग एरिया जब 15 गुणा बड़ा कर देंगे, तब पीएम 2.5 को 60 रख लेंगे। हम [illegible] मीटिंग में ही पूछा था कि अभी का पीएम 2.5 कितना है, [illegible] बता पाये, जबकि आज के समय में गूगल पर 2 मिनट में सब आ जाता है। [illegible] पर्यावरण दिवस के दिन भी आपस देखा तो पता चला एक्यूआई 100 के पार है तथा पीएम 2.5 80 के पार है, फिर भी ये कह रहे है कि हम पांच गुणा बड़ी फैक्ट्री बना कर भी 60 रख लेंगे। कोई भी फैक्ट्री किसी भी हालत में नहीं रख सकती, जे.एस.डब्ल्यू. वाले तो उससे भी ज्यादा एडवांस इन्होंने तो बताया भी नहीं [illegible] कितना रखेंगे। ये तो लोगों को मारने में लगे हुए है। ना तो इनकी प्रति [illegible] कॉस्ट है, ना ही ये माईनिंग प्लान से ये बता रहे है कि सीएसआर कितना [illegible]

[illegible] अधिकारी
[illegible] प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
[illegible]

[illegible]
[illegible]

तथा उसकी क्या प्लानिंग है, लैण्डमार्क अचीवमेंट क्या होंगे। केवल 9 पेज का पीडीएफ बना कर दे दिया जिसमें केवल नाड़ों के बारें में उनकी दूरियां, सांपों के, बिलों के, गांवों के आदि के दिखा दिया। जन सुनवाई से पूर्व अगर सभी फैक्ट्स सामने हो तो हम फैक्ट्स पर बात कर सके। अगर हम सभी को एक फाईलिंग दे तो हम भी रिफाइंड स्टेटमेंट दे सकते है। अगर आप हमें पॉइन्टवाईज पूरी डिटेल दे देंगे तो हम पॉइन्टवाईज तैयारी करके आपको एक–एक चीज डिटेल में बता सकते है। हमारे पास केवल दो दिन पहले सूचना आई तथा उसमें भी केवल तीन पीडीएफ आये, उसमें में भी कोई डिटेल नहीं दी गई। जब आप माईनिंग करेंगे तो उसका प्रति यूनिट कॉस्ट तो होता है, प्रति यूनिट से माल निकालेंगे, उससे इनको फायदा होगा फिर इनकी मजबूरी भी तो है 2 प्रतिशत इस क्षेत्र में खर्च करने की तो वो प्लान कहा है। पहले जब किसान महापंचायत की तथा कम्पनी वालों को भी बुलाया था तो अपन ने केवल रेत और लू की थप्पड़ें ही खाई थी, कम्पनी से तो कोई आये ही नहीं अपने पास। तीनों जन सुनवाईयों को अलग–अलग करने का रीसन क्या है, जब ये पूरा जे.एस.डब्ल्यू. का ही कर रहे है, सभी एक साथ ही होनी चाहिए। क्योंकि इन अलग–अलग ब्लॉक्स से केवल कन्फ्यूजिंग होता है। अपना पूरा माईनिंग प्लान एक साथ बता दो, जब ब्लॉक तो आपका पूरा है ... ये सी, डी आपके क्लासिफिकेशन है, हमें उससे क्या लेना। तो हमें तो साथ ही पूरा प्लान डिटेल में बता दो। पर्यावरण के प्रति आपको क्या इंपेक्ट आयेगा वो सब डिटेल में बता दो। जो पीडीएफ है उसमें सभी रिडिंग्स बनाई गई है यह करेंट रिडिंग्स है, कही पर भी यह नहीं बताया गया है कि हम उस पर क्या इम्पेक्ट डालेंगे, जब इम्पेक्ट का पता चले तो उसकी पर्यावरणीय सुनवाई करें, आप लिख कर दे देते हो कि अभी टेम्परेचर 42 डिग्री है, परन्तु ये नहीं बताते कि हम कितना बढ़ायेंगे 42 का 45 करेंगे या ज्यादा। 42 डिग्री लिखने से क्या होगा वो तो हमें पहले से पता है, आप अपना प्रभाव बताये। एक्यूआई तथा पीएम 2.5 पर आप कितना प्रभाव डालोंगे। दूसरी बात अभी अंबुजा के आसपास के एरिया का देखो, वहां माईनिंग ब्लॉस्ट के कम्पन के कारण उस क्षेत्र के स्कूल, बिल्डिंग्स, घर आदि में दरारें आ रही है। रूपासर की स्कूल का आपका ध्यान ही है, मेरे पूरा विडियो हमारे सोशल मीडिया पर अपलोड है, जब 2 बजे साइरन बजने के बाद वहां पूरा प्लास्टर गिरने लगता है, जिससे पट्टियां में कम्पन होने लगता है। वह माईनिंग क्षेत्र से महज 600–700 मीटर ही दूर है। यहां पर ब्लास्टिंग एरिया कितना लम्बा होगा, ब्लास्टिंग एरिया का प्रभात कहां–कहां पहुंचेगा। आप ये मत सोचना कि ब्लास्टिंग केवल स्कूल में प्लास्टर गिरना, ब्लास्टिंग कम्पन एड्रेस पूछ कर नहीं आता है

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

(... लाल मीणा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

घरों में भी आयेगा। कम्पन हर जगह पहुंचेगा, क्योंकि इनकी रिपोर्ट में मुझे कहीं नहीं मिला कि ब्लास्टिंग एरिया कितना लम्बा है तथा कितनी दूरी तक प्रभावित करेगा, इन्होंने बस इतना ही दिया कि हम ब्लास्टिंग को कम से कम रखने की कोशिश करेंगे, कम से कम क्या होता है, कोई क्राइटेरिया होना चाहिए। हम कोई छोटी-मोटी दुकान की बात नहीं कर रहे है, हम बात कर रहे है, एक बहुत बड़ी कम्पनी की जिसका अरबों का बजट है एवं करोड़ों की रिपोर्ट्स बनाते है, तो हम कम-से-कम ये तो उम्मीद करें कि हमें जो रिपोर्ट देंगे वो ढ़ंग की रिपोर्ट देंगे। हमें चाहिए डिटेल रिपोर्ट जिससे हम हमारी तैयारी कर सके। मैनें अलग-अलग इसलिए कहा क्योंकि एक साथ में कन्फ्यूजन होता है, परसों शाम को सूचना मिली कि जन सुनवाई 1 बजे है, कल रात को सूचना मिली कि 10 बजे से शुरू हो जायेगी, तब उन्होंने बताया कि ये सी1, डी1 और सी2 सब अलग-अलग है। सभी का एक साथ ही छपवा देंवे, क्योंकि जन सुनवाई भी एक ही जगह है, तो भी एक साथ एक राष्ट्रीय न्यूजपेपर तथा एक ऐसा पेपर जो यहां के लोकल लोग पढ़ते हो, ये की ये समस्या अंबुजा में थी। उन्होंने छपवाई "द इंडियन एक्सप्रेस" यहां कई भाईयों ने तो "द इंडियन एक्सप्रेस" का नाम तक नहीं सुना, इंडियन के नाम पर केवल इतना पता है कि हम इंडियन है। यहां के स्थानीय लोगों के पढ़ने वाले दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका अखबारों में छपवाये तथा एक प्रॉमिनेंट स्थान पर हिन्दी में छपवाये जिससे लोगों को देखने तथा समझने में आसानी हो। कल रात को मुझे सही से पता चला कि एक्चुअल टाईम क्या है इस जन सुनवाई का। आपको यहां पर घोटालेबाजी नहीं करके व्यापार करना है और व्यापार के खिलाफ नहीं है परन्तु गुमराह मत कीजिए। लोगों को एडवांस में जानकारी दें, डिटेल्स ज्यादा से ज्यादा शेयर हो, जिससे ये पता चले कि ये करना क्या चाहते है, उसके हिसाब से आगे अगर पर्यावरणीय स्वीकृति देनी है तो उस पर विस्तृत चर्चा हो जाये, कोई कहीं नहीं जा रहा है, रहना तो सबको यहीं है। अंबुजा के आस-पास के काफी ऐसे एरिया है, जो रहने लाइक नहीं बचे, वो लोग तो डिप्रेस्ड हो गए। हमारा जन सुनवाई के लिए यह उद्देश्य होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़े, अपनी बात कहें तथा इसके बारें में जानकारी प्राप्त कर सके। यहां खुली बेहस हो, यहां किसी को किसी से कोई पर्सनल बेर नहीं है, सबका एक ही है कि यहां के लोगों का जीवन खुशहाल हो तथा यहां की तो पहले से ही बहुत समस्याऐं है, प्रशासन ने तो बीच में ही डंडें मार कर उठा लिया यहां से, पहले की समस्या तो सुलझी नहीं और आप इन्हें पर्यावरण एनओसी और दे रहे हो। यहां एक समस्या तो निराली है कि इस कम्पनी कई-कई जगह तो एससी-एसटी की

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

[illegible]मीनें बीच में छोड़ दी, इन्होंने खरीदी नहीं, क्योंकि फिर वो जमीन बीच में आ जायेगी तो उसके पास रास्ता ही नहीं रहेगा। जिनको भी 4 लाख, 8 लाख या 2[illegible] लाख जो भी अलग–अलग भाव मिले है, वहां पर ही वो 40 हजार में ही देने [illegible] लिए मान जायेगा, क्योंकि वो घिर चुका है, उसके पास कोई रास्ता है, ना कोई जगह तो वो क्या करें। इनकी जो पहले से जन समस्याऐं है वो तो हमने सुलझाई नहीं, और अब कह रहे है कि इनको पर्यावरणीय क्लियरेंस देना है या नहीं देना। यह भी उस क्लियरेंस का मांग रहे है जिसकी इन्होंने कोई रिपोर्ट ही नहीं दी। [illegible]रा सुझाव है कि हम इस जन सुनवाई को आज कैंसल माने, इसका एक तरीके [illegible] एड छपवाये, सभी आसपास के गांवों को फ्लायर भी बांटे, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रभावित लोग आये, अपनी बात कहे। यहां पर सभी समस्याओं की जन सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर्यावरण का नाम दे देने से बाकि सभी समस्याऐं [illegible] [illegible] है। [illegible] पंचायत हुई तब कलेक्टर साहब को समस्याओं [illegible] [illegible]कर लिखित [illegible] दिया गया, जिसका कोई समाधान नहीं हुआ। जन सुनवाई [illegible] ज्यादा से ज्यादा लोगों को विस्तृत जानकारी हो, वो अपनी सभी प्रकार [illegible] समस्याऐं रख सके। भविष्य की बात करे तो बुजुर्ग लोग इस फैक्ट्री को इतना [illegible]षित नहीं पायेंगे पर उनके बच्चे ज़िन्दगी भर उस प्रदूषण को झेलेंगे। तो अपने [illegible] [illegible]च्चों का भविष्य भी सोचना है। जब बड़ी कंपनियां आती है तो सबसे ज्यादा लोगों को उम्मीद रोजगार की होती है, लेकिन आप अंबुजा से देख लो कितने लोगों को रोजगार मिला है, सभी बाहर से लाते है। यहां जे.एस.डब्ल्यू. में अभी तक कितने लोकल लोगों को रोजगार मिल गया। जब एक तरफ आप इन्हें कुछ दे भी नहीं [illegible] हो और ऊपर से इनका स्वास्थ्य भी खराब करेंगे तो यह क्या काम आयेगा। इनकी [illegible] पेज की पीडीएफ रिपोर्ट में माईनिंग प्लान, प्रति यूनिट कॉस्ट डिटेल, सीएसआर [illegible], सीएसआर [illegible] आदि जैसी कोई डिटेल नहीं है। कॉरपरेट [illegible] रिस्पोंसीब्लटी फण्ड, जिसमें अगर कम्पनी यहां से 100 रूपये कमाती है तो कम्पनी का फर्ज है कि वो 2 रूपये आपके यहां विकास कार्यों में खर्च करें। अंबुजा [illegible] आज 5–10 साल बाद यह तो माना कि हम एक स्कूल बना कर देंगे, हालांकि वो स्कूल नहीं बनी। कम–से–कम अपने कार्यों को एक टारगेट दे कि हम ये काम [illegible] देंगे। फैक्ट्री केवल अपने मुनाफे के लिए बना रहे हो जनता के लिए क्या कर रहे हो, जनता को बताओ। एक बात और जब बात पेड़ की कटाई की आती है तो [illegible] पेड़ काटते समय उसकी जो दूरी होती है, ये उसे नॉन डेंस फॉरेस्ट में मान [illegible] काट लेते है फिर ये वादे करते है कि हम डेंस फॉरेस्टेसन करेंगे। डेंस फॉरेस्टेसन [illegible] ये जो डिस्टेंस लेते है, वो कटाई के डिस्टेंस से दो गुणा या तीन गुणा डिस्टेंस [illegible]

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
[illegible] (राजस्थान)

([illegible] मीणा)
अतिरिक्त जिला [illegible]
[illegible]

है, यानी ये कटाते तीन पेड़ है और लगाते केवल एक पेड़ ही। जो डि–फॉरेस्टेशन होता है, उसमें डेंस से डेंस करते है तथा वापस रि–फॉरेटेसन वो दूर डिस्टेंस करते है, जिससे वापस पानी भी नहीं पिलाया जाता, जब तीन पेड की जगह एक पेड़ लगाते है तो उनके बीच दूरी भी इतनी होती है कि इनके पाइप भी नहीं पहुंचते, जिससे वो पोधा वही जल कर मर जाता है। कम्पनी ने ग्रीन कॉरिडोर में कहा था कि हम रि–फॉरेटेसन करेंगे, तो आज तक कम्पनी ने इतना प्लांट खड़ा कर लिया, चिमनियों तक पहुंच गये है, कम्पनी ने एक प्लांटेसन नहीं किया। रि–फॉरेंटेसन का कम्पनी का क्या प्लान है, कुछ पता नहीं। बस इतना ही है कि इतनी खुदाई कर लेंगे, इतने बड़े–बड़े हेक्टेयर के ब्लॉक्स हो गये, हमें इन सब से क्या करना, कम्पनी तो हमें ये बताये कि इन ब्लॉक्स से ये जो निकालेंगे, उसका मुनाफा जनता तक कैसे पहुंचेगा? जन सुनवाई का मतलब तो यही होता है कि जनता की सुनवाई करनी, ना कि जन सुनवाई मतलब जे.एस.डब्ल्यू. की सुनवाई करनी। एडीएम साहब मेरी अभी तक आपसे यह शिकायत है कि मैं तीन दिन पहले ही अंबुजा के सामने से निकला हूं, वहां ऑनलाईन मॉनिटरिंग बोर्ड अभी तक बाहर रोड़ पर नहीं लगा है तथा मैंने उस फैक्ट्री के सामने रूक कर फैक्ट्री के अन्दर देखा बोर्ड, जिसके बारे में कम्पनी वालों ने बोला था कि फैक्ट्री के अन्दर इसका बोड लगा है, को देखने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो बोर्ड भी कहीं नहीं दिखा। मेरा यही निवेदन रहेगा कि हम पहले कम्पनी से माईनिंग प्लान तथा एन्वायरमेंटल प्लान लेवे, क्योंकि एन्वायरमेंटल प्लान के नाम पर इन्होंने कुछ नहीं दिया। एन्वायरमेंटल प्लान को डिटेल में लेवे तथा हमें भी समय देकर हमें वाट्सअप आदि सोशल मीडिया पर एन्वायरमेंटल प्लान दीजिए, ताकि वह प्लान हम सब के पास हो, हम उसको स्टडी करके तैयारी करें। अब मैंने एक–दो दिन कोशिश कर ली, जिससे मुझे बस यह पता चला कि उस गांव के, उस अंगोर में तीन नेवले निकले, उस तालाब के पास दो सांप निकले, मुझे बस यही समझ आया। कम्पनी ने केवल वर्तमान रिडिंग बताई, कहीं पर भी प्रोजेक्टिव रिपोर्ट नहीं दी, कम्पनी द्वारा पर्यावरण का कितना नुकसान पहुंचाया जायेगा, वो बतायें, जिससे डिटेल में डिस्कशन हो, वरना बातें रिपिट होती जायेगी। अतः एडीएम महोदय आज की इन तीनों जन सुनवाईयों को निरस्त मानते हुए, आगामी समय में स्थानीय अखबारों में छपवा कर, जनता को पूर्व में पूरी जानकारी उपलब्ध करवावें तथा उसके बाद जन सुनवाई करावें। फिर आप यहां जे.एस.डब्ल्यू, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाईजेशन के एक्सपर्ट को भी लायें तो उनको भी दिखे के इतने पॉइन्ट होंगे। आज की तारीख में मुद्दे बहुत ज्यादा है, इतने मुद्दे है कि अपन इस जन सुनवाई को आज की तारीख में कैंसल मान सकते है और उसके

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

(हस्ताक्षर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

आगे हम तैयारी करके आयेंगे, आप इसकी जो पूरी डिटेल देंगे, उसको पॉइन्ट टू पॉइन्ट चर्चा कर लेंगे। एडीएम साहब आप हमें एक मौका तो दो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ। डीपीआर जब तक हमारे पास नहीं आयेगी तब तक इस जन सुनवाई का कोई मतलब नहीं है, 8–9 पन्नों की पीडीएफ से कुछ नहीं होगा। आगे पर्यावरण को जो हानि होगी, इन्होंने केवल रिडिंग्स बताई है। हमें डीपीआर प्रोवाईड करवाये, जिससे यहां ज्यादा लोग आयेंगे, ज्यादा मुद्दे आयेंगे, आपके मुद्दे भी क्लियर हो जायेंगे, आपको भी बातें समझ आयेगी। अतः इस जन सुनवाई को कैंसल मानते हुए पुनः जन सुनवाई हो, हम डॉक्यूमेंट प्रोवाइड हो, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ।

श्री हनुमान भाकर, निवासी नागौर ने जन सुनवाई में अपने बिन्दु रखते हुए कहा कि इस लोक सुनवाई का प्रचार–प्रसार नहीं हुआ, किसी ऑफिस के माध्यम से अथवा आपके माध्यम से भी कोई सूचना नहीं है कि यह सुनवाई इतने बजे यहां है। जन सुनवाई से कम–से–कम 7 दिन पहले गाड़ी गांव–गांव, गली–गली घुमे ताकि यह पता रहे लोगों को कि यह जन सुनवाई इस तारीख को है, ताकि जो इससे प्रभावित है, वो कम–से–कम यहां आकर अपनी आपति दर्ज करवा सके। लोगों को पता ही नहीं चल रहा है, कम्पनी की जो मॉनोपोली है, ब्लॉक आंवटन दूसरे गांव हरिमा, सरासनी, भदाना और डेह में हो रखे है, जन सुनवाई हो रही है जिन्दास में, उसके पीछे क्या कारण है, जन सुनवाई जहां ब्लॉक आंवटन हो रखे है, वहां होनी चाहिए, लोग वहां प्रभावित है, जिन्दास तो पड़ोसी है, यह बाद में प्रभावित होगा, पहले वो प्रभावित है जिनके खसरें ब्लॉकों में आये है। कम्पनी का इंटेंशन इसे [illegible] लग रहा है, जन सुनवाई करनी कहां चाहिए और चुपके से कहीं दूसरे गांव में लोक सुनवाई करके इतिश्री कर ले तथा चुपके से रजिस्टर भेजकर लोगों से साईन करवा ले, इस प्रकार जन सुनवाई नहीं होगी। जन सुनवाई विधिवत तरीके से कम–से–कम 7 दिन का टाइम हो तथा बिन्दुवार बात हो। तहसीलदार साहब सब छोटी–छोटी बातों के लिए आप जब आमजन तथा गरीब लोगों पर [illegible] हो जाते हो, सभी कानून की किताबें बताते हो, लेकिन जब ये बड़ी कम्पनी खुले में सबके सामने रोड खोद कर काम चला रही है पूरे दिन, यहां कोई एक्सीडेंट हो गया अथवा रात को कोई गिर गया, इसका जिम्मेदार कौन है, इनके खिलाफ आप कार्यवाही करके अवगत करवाये या इन्होंने आपसे परमिशन ली है रोड [illegible] की तो वो आप सार्वजनिक करें। ऐसा ना हो कि जे.एस.डब्ल्यू. आपको आयोजन [illegible] कोई [illegible] देंगे, वो [illegible] पुंचक बंद जाये, परन्तु आम आदमी जब अपनी [illegible] पीड़ा लेकर आपके पास दर्ज करवाने आवे, तो वो कागज तीन–तीन महीने आपकी

क्षेत्रीय अधिकारी
[illegible]
नागौर (राजस्थान)

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

टेबल के नीचे पड़ा रहे। अतः आपसे ये निवेदन है कि आज की इस जन सुनवाई को, जो कम्पनी की मोनोपोली से मनमर्जी की जन सुनवाई है, जनता को सुनने के लिए सही वक्त निर्धारित करें तथा उसके अनुसार ये जो 9 पेज की पीडीएफ बता रहे है, इस प्रकार की पीडीएफ से हमें कोई मतलब नहीं, हमें स्थानीय भाषा में बड़े अक्षरों में कम्पनी की सारी डिटेल लिखी हुई रिपोर्ट [illegible] और क्या किया है। 8 साल से ग्रीन कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, 8 साल में [illegible] पौधे खड़े कर दिया कम्पनी ने, पौधे लगे हुए कहीं नजर ही नहीं आ रहे है, गमले जरूर इधर–उधर रखे नजर आते है, एक तरफ तो सरकार कह रही है कि हर आदमी दो–दो पेड़ लगाये, वन्दे गंगा, पानी को लेकर सरकार किस प्रकार के कार्य कर रहे है और कम्पनी का कोई सिस्टम ही नहीं है, ना पानी है ना ही पुनर्वास की व्यवस्था की व्यवस्था की आप लोगों ने, जिनके खसरे कम्पनी [illegible] उन लोगों के पुनर्वास की कोई व्यवस्था इस 9 पेज के पीडीएफ में जिक्र तक नहीं है। इसमें जिक्र केवल प्रोडेक्शन आदि का है, उससे आम आदमी को क्या लेना देना। आम आदमी यहां रहेगा उसको सुविधाऐं क्या दोगे आप, उनका भला कैसे करेंगे, ये सारी चीजें डिटेल में हो, तब आपकी लोक सुनवाई का मकसद पूरा हो [illegible] वरना ऐसी लोक सुनवाई से कोई फायदा नहीं है। [illegible] आज की जन सुनवाई रद्द हो तथा नये सिरे से आगामी दिनों में तारीख तय [illegible] उसका पूरा बायोडाटा स्थानीय भाषा में, बड़े–बड़े अक्षरों में बुकलेट सभी को उपलब्ध कराये।

श्री अनिल बारूपाल निवासी डेह ने कहा कि उपस्थित मौजिज ग्रामीणों को धन्यवाद देता हूं, कि आपने इस लोक जन सुनवाई की सूचना को गंभीर लेकर अपने [illegible] एवं अधिकारों के लिए जागरूकता दिखाई तथा यहां सैकण्डों की संख्या में [illegible] मौजूद हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार! मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिनको जे.एस.डब्ल्यू. कम्पनी से नाश्ते एवं खाने का लालच देकर बुलाया और उन्होंने भी उपस्थिति दर्ज करवाई। यहां आने से तथा लोगों की बातें सुनने से उनका भी जमीर जागेगा और निश्चित रूप से वो इस जे.एस.डब्ल्यू. कम्पनी के खिलाफ आन्दोलित होंगे। कम्पनी ने जो लोक सुनवाई रखा है, [illegible] 3सी1, 3सी2 एवं 3डी1, इनमें सरासनी, हरिमा, भदाना तथा डेह का काफी लम्बा चौड़ा क्षेत्र आता है और सबसे कम क्षेत्र जिन्दास गांव का आ रहा है, फिर भी इन्होनें जन सुनवाई के लिए जिन्दास को चुना इसके पीछे मुझे इनकी मंशा कुछ गड़बड़ नजर आ रही है, क्योंकि जिस गांव का एरिया ब्लॉक में ज्यादा आ रहा उस गांव को चुनते। अभी जो जगह चुनी है यहां ना तो सामान की व्यवस्था है

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

([illegible])
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
नागौर

भी लोग आसानी से पहुंच सकते है, मैं मंच के माध्यम से ये जानना भी चाहुंगा कि लोक सुनवाई की परिभाषा क्या है, ज्यादा लोगो को बुलाना अथवा ऐसी जगह चुनना, जहां कम लोग आ पाये? मेरे विचार से तो कोई बड़ा गांव चुनते, जिसमें ज्यादा लोग उपस्थित होते, लेकिन उसमें इनको डर था कि वहां लोगों का आक्रोश झेलना पड़ेगा, इसलिए इन्होंने सोची समझी रणनीति के तहत इस लोकेशन को चुना। अतः माननीय एडीएम साहब तथा आरओ साहब से निवेदन है कि इस लोक सुनवाई को स्थगित करके नई तारीख देकर दुबारा से लोक सुनवाई की जाये, उसकी प्रोपर सूचना भी दी जाये। यहां हम लोगों तक को पता नहीं था कि आज तीन ब्लॉकों की सुनवाई है, कभी कोई कह रहा है कि 1 बजे से, कोई 10 बजे से, कोई 4 बजे से। कभी एक ब्लॉक की बताते है कभी तीन ब्लॉक की, तो प्रोपर जन सुनवाई नहीं हो पाई। प्रोपर इसका प्रचार–प्रसार नहीं हो पाया। जो जन प्रतिनिधि है, जागरूक लोग है उन तक सूचना नहीं पहुंच सकी। प्रोपर सूचना के अभाव में षडयंत्र पूर्वक लोक सुनवाई की जा रही है, अतः इसको रद्द किया जाना चाहिए। जिन कास्तकारों की जमीन इन ब्लॉकों में आ रही है, उन कास्तकारों से जमीन लेने के बाद उनके पुनर्वास की क्या व्यवस्था होगी, उनके रोजगार की क्या व्यवस्था होगी। स्थानीय लोगों को किस आधार पर रोजगार दिया जायेगा। लीज एरिया में हजारों की संख्या में राजकीय वृक्ष खेजड़ी मौजूद है, खेजड़ी को बचाने के लिए राजस्थान सरकार तथा केन्द्र सरकार कह रही है, यहां का खेजड़ी वृक्ष किसानों के लिए वरदान है, इसकी सांगरी जो सब्जी के रूप में प्रयुक्त होती है तथा बहुत महंगे दामों में बिकती है, खेजड़ी के पते जो लूंग, वो पशुपालन के चारे के काम आते है, तो जब हजारों की संख्या में यह पेड़ कटेंगे, ये कह रहे है कि पेड़ लगा भी देंगे परन्तु एक वयस्क पेड़ के बदले 50 पेड़ भी लगाये तो वो भी कम है, तो इससे भी किसानों को भारी नुकसान होगा। इस एरिया में केर के पौधे भी बहुत है, केर केवल राजस्थान में ही होता है और केर से भी किसानों को अच्छा मुनाफा मिलता है, वो भी खत्म हो जायेंगे, उससे भी किसानों को भारी नुकसान होगा। खनन से पर्यावरण प्रदूषित होगा, उससे आसपास का जन जीवन तथा आसपास के जल क्षेत्र प्रभावित होंगे, लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा, इन सब बातों के सम्बन्ध में भी कम्पनी ने कोई स्पष्ट विवरण अपनी बुकलेट में नहीं दिया। खनन ब्लास्टिंग से उस क्षेत्र की रहवासी ढ़ाणियों में नुकसान तथा भविष्य में जन हानि हो तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है। खनन क्षेत्र में जब युद्ध स्तर पर काम शुरु होगा, तो यहां का आमजन, पशु–पक्षी, जीव–जन्तु सभी प्रभावित होंगे तथा प्रदूषण से उन पर जो दुष्प्रभाव पड़ेगा, उसका आंकलन कम्पनी द्वारा किस प्रकार किया जायेगा, चाहे वो

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

के स्वास्थ्य के प्रति हो, उससे सुरक्षा कैसे करेंगे? उसका भी कोई उल्लेख नहीं किया। बहुत से तथ्य कम्पनी ने छुपाये है, जैसे खनन क्षेत्र में 10 किलोमीटर रेडियस में 19 बड़े तालाब है, जिनकी नारायण जी ने खसरा सहित जानकारी दी, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज है तथा रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो दर्ज नहीं है छोटे नाड़े–नाड़ियां वो भी कम–से–कम 40 से अधिक है। जिन सब को कम्पनी ने छुपा कर क्या संदेश देना चाहती है। यह जनता के विकास की बात करते है, साराहरी एवं हरिमा के किसान जो इस कम्पनी के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे थे 137 दिन से लोग बैठे थे, उन पर लाठियां बरसाई गई, वो विकास सबने देखा होगा। उसी1 ब्लॉक में बहुत खसरे आ रहे है, सैंकड़ों परिवार बेरोजगार हो रहे है, लेकिन कम्पनी ने अपनी फाईल में श्रमशक्ति दिखाई केवल 91 लोगों की। अतः आपसे यही निवेदन रहेगा कि ना तो इसकी प्रोपर सूचना हुई, ना ही यहां लोग पहुंच सके। अतः इस लोक सुनवाई को स्थगित करके इससे सम्बन्धित जो भी रिकॉर्ड पहले पब्लिक के सामने लाये जाये, उनका हिन्दी में अनुवाद करके लोगों तक उपलब्ध करवाया जाये, ताकि वह समझ सके कि जे.एस.डब्ल्यू. कम्पनी हमारे लिए क्या–क्या योजना तथा क्या–क्या प्लान कर रही है। कम्पनी ने अपनी रिपोर्ट में दिया है कि प्रतिदिन 2 शिफ्ट में काम चलेगा, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि कितने घण्टे काम चलेगा, अगर 24 घण्टे काम चलता है तो 2 शिफ्ट का मतलब हो गया कि एक श्रमिक 12 घण्टे काम करेगा, जो कि उसके अधिकारो का हनन है। एक बात और कम्पनी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि खनन के बाद जमीन में गड्ढे हो जायेंगे, उसमें 95 हेक्टेयर जमीन को पूनर्भरण कर दिया जायेगा तथा 176 हेक्टेयर को कम्पनी जलाशय के रूप में परिवर्तित करेगी, लेकिन अगर ये जलाशय के रूप में परिवर्तित करेंगे तो इतना जल कहां से लायेंगे। जब 18 मीटर से लेकर 40 मीटर तक इसकी खुदाई की जायेगी, अर्थात् 120 फीट से तो अधिक ही, उसको भरने के लिए पानी कहां से उपलब्ध होगा, 200 किलोलीटर पानी तो कम्पनी खुद को चाहिए, इतने पानी की व्यवस्था कहां से करेंगे और अगर उनके अन्दर गंदा पानी छोड़ेंगे तो वो जलाशय क्या काम आयेंगे। अपना हक गिड़गिड़ाने तथा मांगने से नहीं मिलेगा, हक के लिए लड़ना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। आज की जन सुनवाई का मैं पुरजोर तरीके से विरोध करता हूं। इसको स्थगित करो।

श्री नारायण बेनिवाल, पूर्व विधायक खींवसर ने कहा कि सभी बातें पूर्व वक्ताओं ने बता दी है। हमारी मुख्य मांगे है कि एक तो भारती निषिधाज्ञा0060 न्याय सहिता की धारा 163 के अन्तर्गत माननीय कलेक्टर ने पूरे जिले में लागू है, ज्यादातर लोगों को ये पता था कि 5 से अधिक इकट्ठे हो नहीं सकते, इसलिए ज्यादा लोग आ नहीं

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

पाये। दूसरी बात कम्पनी ने लिटरेचर को छिपाने का प्रयास किया। तीसरी बात जब तीनों ब्लॉक्स की जमीनें सरासनी, हरिमा, डेह तथा भदाना में है, तो जन सुनवाई 8 किलोमीटर दूर जिन्दास में करना भी उचित नहीं है, जिससे कम्पनी का मेलाफाईड इंटेंशन जाहिर होता है। इसके अलावा जन सुनवाई का जो साहित्य लिखा है इंग्लिस में इतना बड़ पुलिन्दा यह कह रहे है कि हमने कई जगह रखा, लेकिन यहां जितने भी वक्ता थे सबने यहीं बात कहीं कि इसके बारें में हमें कोई अता–पता नहीं है। इन तमाम बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए तथा हमारे लिए जनता का हित सर्वोपरि हो, हम उद्योग के खिलाफ नहीं, परन्तु जन हित सबके लिए सर्वोपरि हो, हम तमाम लोग यह मांग करते है कि आज की जन सुनवाई को स्थगित की जाये तथा यह सी1, सी2 और डी1 तीनों की जो जन सुनवाई है, हम सब लोग तीनों जन सुनवाईयों का बहिष्कार करते है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने कहा कि इस जन सुनवाई के सम्बन्ध में कोई और अपने विचार प्रकट करना चाहता है तो प्रस्तुत करे।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जन–मानस से प्रस्तावित खनन परियोजना के सम्बन्ध में अपने आक्षेप/सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु पुनः निवेदन किया गया। अन्त में ग्रामवासियों द्वारा अन्य कोई आपत्ति/आपेक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने पर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय की अनुमति से क्षेत्रीय अधिकारी ने जनसुनवाई के समापन की घोषणा की एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय तथा उपस्थित जन समुदाय का जन सुनवाई में आने के लिए आभार प्रकट किया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जनसुनवाई के दौरान एवं जनसुनवाई के पश्चात ग्राम पंचायत ग्रामवासियों के माध्यम से लिखित में प्राप्त आक्षेप/सुझाव/आपत्ति "परिशिष्ट स" संलग्न है।

श्री राजकुमार मीणा,
क्षेत्रीय अधिकारी,
रा.रा.प्र.नि.म., नागौर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

श्री चम्पालाल जीनगर,
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
नागौर

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

उपस्थिति पंजिका

चूना पत्थर खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

चूना पत्थर खनन परियोजना, आवेदक मैसर्स जे.एस.डब्ल्यू. सीमेंट लिमिटेड, 3सी1 चूना पत्थर ब्लॉक, खान पट्टा क्षेत्र 300.7284 हेक्टेयर है और प्रस्तावित चूना पत्थर उत्पादन क्षमता– 1.45 मिलियन टीपीए, ओबी/आईबी/अपशिष्ट– 0.52 मिलियन टीपीए, शीर्ष मृदा– 0.07 मिलियन टीपीए, कुल उत्खनन 2.04 मिलियन टीपीए के साथ क्रेशर क्षमता 1600 टीपीएच की वॉब्लर के साथ स्थापना, निकट गांव– हरिमा, मड़ाना एवं डेह एवं तहसील– नागौर एवं डेह, जिला– नागौर (राजस्थान) में स्थित है।

स्थानः–राजकीय प्राथमिक विद्यालय, जिन्दास संख्या 2, पंचायत समिति नागौर, तहसील एवं जिला नागौर

दिनाँकः 12.06.2025, समयः प्रातः 10:00 बजे

1	[illegible]	ADM नागौर	[signature]
2	Rajkumar Meena	R.O., RSPCB, Nagaur	[signature]
3	Hemant Kumar	JEE, RO RSPCB Nagaur	[signature]
4.	SARTHAK TIWARI	J.S.O., RO, NAGAUR	[signature]
5.	Rajveer Bhakar	J.A. collectorate	[signature]
6.	Vasudev Naini	JSW Nagaur	[signature]
7.	Rajan Kallikavassi	JSW Nagaur	[signature]
8	Arun Sharma	JSW Nagaur	[signature]
9	Madhu Kanakamedala	JSW Nagaur	[signature]
10	Arvind Sharma	JSW, Nagaur	[signature]
11	Ram Yadav	JSW, Nagaur	[signature]
12	Siddhanta Bhagwat	JSW Nagaur	[signature]
13	Amit Kumar	JSW Nagaur	[signature]
14	Suresh Kaswan	SHO सदर नागौर	[signature]
15.	Narsingh	TDR Ngr	[signature]
16	Radha Kishan	SHO Rall	[signature]
17	Sahiram	Patwari	[signature]
18	HARIRAM SARAN	INSPECTOR (LR) BHADANA	[signature]
19	Ravindra	Patwari Harima	[signature]
20	Sanjeev Kr. Chandaliya	JSW Nagaur	[signature]
21	Bajrang lal Pareek	H.M. GUPS JINDAS	[signature]

उपस्थिति पंजिका

चूना पत्थर खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

चूना पत्थर खनन परियोजना, आवेदक मैसर्स जे.एस.डब्ल्यू. सीमेंट लिमिटेड, 3सी1 चूना पत्थर ब्लॉक, खान पट्टा क्षेत्र 300.7284 हेक्टेयर है और प्रस्तावित चूना पत्थर उत्पादन क्षमता– 1.45 मिलियन टीपीए, ओबी/आईबी/अपशिष्ट– 0.52 मिलियन टीपीए, शीर्ष मृदा– 0.07 मिलियन टीपीए, कुल उत्खनन 2.04 मिलियन टीपीए के साथ क्रेशर क्षमता 1600 टीपीएच की वॉब्लर के साथ स्थापना, निकट गांव– हरिमा, भड़ाना एवं डेह एवं तहसील– नागौर एवं डेह, जिला– नागौर (राजस्थान) में स्थित है।

स्थानः–राजकीय प्राथमिक विद्यालय, जिन्दारा संख्या 2, पंचायत समिति नागौर, तहसील एवं जिला नागौर

दिनॉकः 12.06.2025, समयः प्रातः 10:00 बजे

22	उम्मेदसिंह	भदाणा (बानाक)	[signature]
23	मदनलाल	भालासर	मदनलाल
24	कल्याणसिंह	जिन्दास	कल्याणसिंह
25	मईराम	हरीमा	मईराम
26	जशोदा	हरीमा	
27	पूरणा	जिंदास	पूरण
28	हरसुखराम भादू	भदाणा	हरसुखराम
29	सायरनाथ	हरीमा	S. nath
30	मांगीलाल बाना	भदाणा	Mangilal
31	दुर्गाराम	भदाणा ग्रा	[signature]
32	रविन्द्र भाम्बु	सरासनी	रविन्द्र
33	Jamuk Sin	Sarasani	[signature]
34	रामेश्वर	डेह	[signature]
35	सेतोषदास	डेह	

उपस्थिति पंजिका

चूना पत्थर खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

चूना पत्थर खनन परियोजना, आवेदक मैसर्स जे.एस.डब्ल्यू. सीमेंट लिमिटेड, 3सी1 चूना पत्थर ब्लॉक, खान पट्टा क्षेत्र 300.7284 हेक्टेयर है और प्रस्तावित चूना पत्थर उत्पादन क्षमता– 1.45 मिलियन टीपीए, ओबी/आईबी/अपशिष्ट– 0.52 मिलियन टीपीए, शीर्ष मृदा– 0.07 मिलियन टीपीए, कुल उत्खनन 2.04 मिलियन टीपीए के साथ क्रेशर क्षमता 1600 टीपीएच की वॉब्लर के साथ स्थापना, निकट गांव– हरिमा, भड़ाना एवं डेह एवं तहसील– नागौर एवं डेह, जिला– नागौर (राजस्थान) में स्थित है।

स्थानः–राजकीय प्राथमिक विद्यालय, जिन्दासर संख्या 2, पंचायत समिति नागौर, तहसील एवं जिला नागौर

दिनॉकः 12.06.2025 समयः प्रातः 10:00 बजे

36	मोनिका राठौड़	सरासनी	[illegible]
37	प्रकाश कंवर	सरासनी	[illegible]
38	सायर कंवर	सरासनी	प्रकाश कंवर
39	कमला	जिन्दास	सायर कंवर
40	शांति	जिन्दास	कमला
41	समु	जिन्दास	
42	रेनु	जिन्दास	
43	किरण	सरासनी	रेनु
44	रोशन	सरासनी	
45	रामेन्द्र	जिन्दास	[illegible]
46	आकाश	भड़ाना	[illegible]
47	नितेश	सरासनी	Aakash
48	सुरज	भड़ाना	Nit
49	Neha	जिन्दास	SS
50	मंजु कंवर	हरीमा	Neha
51	फूल कंवर	हरीमा	मंजु कंवर
52	राज कंवर	सरासनी	फूल कंवर
53	सोनु कंवर	हरीमा	छोटी
54	तुलसी	हरीमा	
55	राधा कंवर	हरीमा	
56	रामकंवर	हरीमा	

उपस्थिति पंजिका

चूना पत्थर खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

चूना पत्थर खनन परियोजना, आवेदक मैसर्स जे.एस.डब्ल्यू. सीमेंट लिमिटेड, 3सी1 चूना पत्थर ब्लॉक, खान पट्टा क्षेत्र 300.7284 हेक्टेयर है और प्रस्तावित चूना पत्थर उत्पादन क्षमता– 1.45 मिलियन टीपीए, ओबी/आईबी/अपशिष्ट– 0.52 मिलियन टीपीए, शीर्ष मृदा– 0.07 मिलियन टीपीए, कुल उत्खनन 2.04 मिलियन टीपीए के साथ क्रेशर क्षमता 1600 टीपीएच की वॉब्लर के साथ स्थापना, निकट गांव– हरिमा, भड़ाना एवं डेह एवं तहसील– नागौर एवं डेह, जिला– नागौर (राजस्थान) में स्थित है।

स्थानः–राजकीय प्राथमिक विद्यालय, जिन्दास संख्या 2, पंचायत समिति नागौर, तहसील एवं जिला नागौर

दिनॉकः 12.06.2025, समयः प्रातः 10:00 बजे

क्र.म.	नाम	पता	हस्ताक्षर
57	प्रशांत	भड़ाणा	प्रशांत
58	हरसुखराम	मांसवास	हरसुखराम
59	हेमन्त	भड़ाणा	[illegible]
60	तारामन्द	भड़ाणा	तारामन्द
61	गोपाल साहु	हरिमा	गोपाल
62	हर्षवर्धन	डेह	हर्ष
63	बबीता	भड़ाणा	Babita
64	कौशल्या	″	कौशल्या
65	भावना	″	भावना
66	गौरी	″	Gauri
67	रंजना	″	Ranjna
68	संजना	″	[illegible]
69	अम्बिका	″	अम्बिका
70	रंजना	″	रंजना
71	राखी	″	Rakhi
72	चिंकी	″	Chinki
73	निकिता		निकिता
74	विजेश	जिंदास	विजेश
75	प्रवीण	जिंदास	प्रवीण
76	सतीश	सरासनी	सतीश

उपस्थिति पंजिका

चूना पत्थर खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

चूना पत्थर खनन परियोजना, आवेदक मैसर्स जे.एस.डब्ल्यू. सीमेंट लिमिटेड, 3सी1 चूना पत्थर ब्लॉक, खान पट्टा क्षेत्र 300.7284 हेक्टेयर है और प्रस्तावित चूना पत्थर उत्पादन क्षमता– 1.45 मिलियन टीपीए, ओबी/आईबी/अपशिष्ट– 0.52 मिलियन टीपीए, शीर्ष मृदा– 0.07 मिलियन टीपीए, कुल उत्खनन 2.04 मिलियन टीपीए के साथ क्रेशर क्षमता 1600 टीपीएच की वॉब्लर के साथ स्थापना, निकट गांव– हरिमा, भड़ाना एवं डेह एवं तहसील– नागौर एवं डेह, जिला– नागौर (राजस्थान) में स्थित है।

स्थानः–राजकीय प्राथमिक विद्यालय, जिन्दास संख्या 2, पंचायत समिति नागौर, तहसील एवं जिला नागौर

दिनॉकः 12.06.2025, समयः प्रातः 10:00 बजे

77	उर्मिला साद	भड़ाना	उर्मिला सार
78	ओमप्रकाश	भड़ाना	Omprakash
79	समुन्दर	भड़ाना	समुन्दर
80	मनोहरलाल	हरीमा	Manohar
81	नत्थु नाथ	भड़ाना	
82	बिष्णु	भड़ाना	Vishnu
83	विकास	भड़ाना	विकास
84	रामनिवास	जिंदास	
85	राम किशोर	भड़ाना	रामकिशोर
86	संपत शर्मा	भड़ाना	Sampat
87	विष्णु	भड़ाना	Vishnu
88	धर्माराम	भड़ाना	Dharmaram
89	जगदीश	भड़ाना	
90	हडमान	भड़ाना	
91	मुरली	भड़ाना	[illegible]
92	रामेश्वर लाल	हापड़ा डेह	[illegible]
93	पियेश	भड़ाना	Piyush
94	अमर	भड़ाना	[illegible]
95	शिवराज	भड़ाना	Shivraj Saran
96	जयपाल	भड़ाना	Jaypal
97	मनीष	भड़ाना	[illegible]

उपस्थिति पंजिका

चूना पत्थर खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

चूना पत्थर खनन परियोजना, आवेदक मैसर्स जे.एस.डब्ल्यू. सीमेंट लिमिटेड, 3सी1 चूना पत्थर ब्लॉक, खान पट्टा क्षेत्र 300.7284 हेक्टेयर है और प्रस्तावित चूना पत्थर उत्पादन क्षमता– 1.45 मिलियन टीपीए, ओबी/आईबी/अपशिष्ट– 0.52 मिलियन टीपीए, शीर्ष मृदा– 0.07 मिलियन टीपीए, कुल उत्खनन 2.04 मिलियन टीपीए के साथ क्रेशर क्षमता 1600 टीपीएच की वॉब्लर के साथ स्थापना, निकट गांव– हरिमा, मड़ाना एवं डेह एवं तहसील– नागौर एवं डेह, जिला– नागौर (राजस्थान) में स्थित है।

स्थान:–राजकीय प्राथमिक विद्यालय, जिन्दास संख्या 2, पंचायत समिति नागौर, तहसील एवं जिला नागौर

दिनांक: 12.06.2025, समय: प्रातः 10:00 बजे

९8			
९९	रुद्रराम	जिंदास	गौरीशंकर
100			
101	राधाकिशन	जिंदास	
102	गुडाराम	जिंदास	
103	नवनीत	डेह	
104	पिन्टू धनावा	[illegible]	[signature]
105	Mahipal	डेह	[signature]
106	Rajuram	डेह	[signature]
107	सुनील	जिन्दास	[signature]
108	तुलछा	जिंदास	[signature]
109	ओमप्रकाश	सरासनी	तुलछा
120	कानाराम	जिंदास	[signature]
121	महावीर शर्मा	डेह	कानाराम
122	विजयराम ओझा	डेह	मज
123	रेणुका कंवर	सरासनी	[signature]
124	राधिका राठौड़	सरासनी	रेणुका कंवर
125	प्रकाश कंवर	सरासनी	राधिका राठौड़
126	मधुकंवर	सरासनी	प्रकाश कंवर
127	इन्दु कंवर	सरासनी	मधुकंवर
128	सुमन कंवर	सरासनी	सुमनकंवर

उपस्थिति पंजिका

चूना पत्थर खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

चूना पत्थर खनन परियोजना, आवेदक मैसर्स जे.एस.डब्ल्यू. सीमेंट लिमिटेड, 3सी1 चूना पत्थर ब्लॉक, खान पट्टा क्षेत्र 300.7284 हेक्टेयर है और प्रस्तावित चूना पत्थर उत्पादन क्षमता– 1.45 मिलियन टीपीए, ओबी/आईबी/अपशिष्ट– 0.52 मिलियन टीपीए, शीर्ष मृदा– 0.07 मिलियन टीपीए, कुल उत्खनन 2.04 मिलियन टीपीए के साथ क्रेशर क्षमता 1600 टीपीएच की वॉब्लर के साथ स्थापना, निकट गांव– हरिमा, भड़ाना एवं डेह एवं तहसील– नागौर एवं डेह, जिला– नागौर (राजस्थान) में स्थित है।

स्थान–राजकीय प्राथमिक विद्यालय, जिन्दास संख्या 2, पंचायत समिति नागौर, तहसील एवं जिला नागौर

दिनॉक: 12.06.2025, समय: प्रातः 10:00 बजे

129	Lokesh	नागौर	
130	सरोज	भड़ाणा	सरोज
131	रुकमनी	〃	
132	कैलाशी	भड़ाणा	
133	निवाडी	जिंदास	
134	रुकमनी	नरसिंनी	
135	सगुडी	भड़ाणा	
136	आन्चु	भड़ाणा	आन्चु
137	पपुडी	जिंदास	
138	NARSH	AMARPURA	
139	मांगीलाल	मोहनबास	
140	पुन्नाराम	मोहनबास	[illegible]
141	कैलाश	जिंदास	कैलाश
142	आसाराम	मोहनबास	
143	हरिराम	जिंदास	आसाराम
144	हरिश	जिंदास	
145	सुरेन्द्र	हरीमा	
146	मोहनलाल	〃	
147	राधिका	भड़ाणा	
148	मनिषा	भड़ाणा	राधिका
149	जीवताराम	गोगावास	राधिका
150	खेमाराम		
151	अरविन्द		
152	अणदाराम		आ[illegible]

उपस्थिति पंजिका

चूना पत्थर खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

चूना पत्थर खनन परियोजना, आवेदक मैसर्स जे.एस.डब्ल्यू. सीमेंट लिमिटेड, 3सी1 चूना पत्थर ब्लॉक, खान पट्टा क्षेत्र 300.7284 हेक्टेयर है और प्रस्तावित चूना पत्थर उत्पादन क्षमता– 1.45 मिलियन टीपीए, ओबी/आईबी/अपशिष्ट– 0.52 मिलियन टीपीए, शीर्ष मृदा– 0.07 मिलियन टीपीए, कुल उत्खनन 2.04 मिलियन टीपीए के साथ क्रेशर क्षमता 1600 टीपीएच की वॉब्लर के साथ स्थापना, निकट गांव– हरिमा, भड़ाना एवं डेह एवं तहसील– नागौर एवं डेह, जिला– नागौर (राजस्थान) में स्थित है।

स्थानः–राजकीय प्राथमिक विद्यालय, जिन्दास संख्या 2, पंचायत समिति नागौर, तहसील एवं जिला नागौर

दिनॉकः 12.06.2025, समयः प्रातः 10:00 बजे

190	खेतारामजी गार्ड	जिन्दास	
191	मंगलाराम	जिन्दास	
192	सुखापुरीजी	भड़ाना	सुखापुरी
193	छोटारामजी	जिन्दास	छोटाराम
194	सुखारामजी	जिन्दास	सुखाराम
195	शिशुपाल	भड़ाना	शिशुपाल
196	राजूराम	भड़ाना	राजू
197	श्रवणराम गोदारा	[illegible]	[illegible]
198	सुखराम	[illegible]	[illegible]
199	करणाराम	मालवास	करणाराम
200	साबा	जिन्दास	
201	पन्नाराम	मांडवास	पन्नाराम
202	हरीराम	मांडवास	हरीराम
203	[illegible]	मांडवास	
204	हुकमारामजी	जिन्दास	
205	[illegible] गोदारा	जिन्दास	
206	विनोद [illegible]	जिन्दास	
207	नथुराम जी [illegible]	जिन्दास	
208	सुखराम जी	जिन्दास	
209	ओमप्रकाश	जिन्दास	

उपस्थिति पंजिका

चूना पत्थर खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

चूना पत्थर खनन परियोजना, आवेदक मैसर्स जे.एस.डब्ल्यू. सीमेंट लिमिटेड, 3सी1 चूना पत्थर ब्लॉक, खान पट्टा क्षेत्र 300.7284 हेक्टेयर है और प्रस्तावित चूना पत्थर उत्पादन क्षमता– 1.45 मिलियन टीपीए, ओबी/आईबी/अपशिष्ट– 0.52 मिलियन टीपीए, शीर्ष मृदा– 0.07 मिलियन टीपीए, कुल उत्खनन 2.04 मिलियन टीपीए के साथ क्रेशर क्षमता 1600 टीपीएच की वॉब्लर के साथ स्थापना, निकट गांव– हरिमा, मड़ाना एवं डेह एवं तहसील– नागौर एवं डेह, जिला– नागौर (राजस्थान) में स्थित है।

स्थानः–राजकीय प्राथमिक विद्यालय, जिन्दारा संख्या 2, पंचायत समिति नागौर, तहसील एवं जिला नागौर

दिनाँकः 12.06.2025, समयः प्रातः 10:00 बजे

क्र.म.	नाम	पता	हस्ताक्षर
210	हनुमानराम	मढाणा	हनुमान
211	देवाराम	मढाणा	[illegible]
212	बाहदर	जिन्दास	बाहदर
213	श्रीराम	जिन्दास	श्रीराम
214	सुरेश	जिन्दास	सुरेश
215	जीवणराम	मोड़ावास	जीवणराम
216	मनोज	केवलीसर	मनोज
217	पप्पूराम	जिंदास	पप्पूराम
218	सुरेन्द्र	जिंदास	सुरेन्द्र
219	रूपाराम	जिंदास	रूपाराम
220	मुकेश	डेह	[illegible]
221	गोपालराम	जिन्दास	गोपालराम
222	राजूराम	जिंदास	राजुराम
223	रामलाल	मढाणा	रामलाल
224	श्रवणकुमार	मढाणा	[illegible]
225	बजरंग [illegible]	प्र. अ. रा.उ.मा.वि. जिन्दास	[illegible]
226	सीताराम बाना	मढाणा	सीताराम बाना
227	चुन्नाराम	हरिमा	[illegible]
228	पूनाराम	हरिमा	[illegible]
229	पुनीत [illegible]	हरिमा	[illegible]

उपस्थिति पंजिका

चूना पत्थर खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

चूना पत्थर खनन परियोजना, आवेदक मैसर्स जे.एस.डब्ल्यू. सीमेंट लिमिटेड, 3सी1 चूना पत्थर ब्लॉक, खान पट्टा क्षेत्र 300.7284 हेक्टेयर है और प्रस्तावित चूना पत्थर उत्पादन क्षमता– 1.45 मिलियन टीपीए, ओबी/आईबी/अपशिष्ट– 0.52 मिलियन टीपीए, शीर्ष मृदा– 0.07 मिलियन टीपीए, कुल उत्खनन 2.04 मिलियन टीपीए के साथ क्रेशर क्षमता 1600 टीपीएच की वॉब्लर के साथ स्थापना, निकट गांव– हरिमा, भड़ाना एवं डेह एवं तहसील– नागौर एवं डेह, जिला– नागौर (राजस्थान) में स्थित है।

स्थानः–राजकीय प्राथमिक विद्यालय, जिन्दास संख्या 2, पंचायत समिति नागौर, तहसील एवं जिला नागौर

दिनांकः 12.06.2025, समयः प्रातः 10:00 बजे

क्र.म.	नाम	पता	हस्ताक्षर
230 1.	श्री राधेश्याम भाकल	पूर्व सरपंच भदाणा	[signature]
231	श्री कालूजी	जिन्दास	कालूराम
232	" बस्तीरामजी	जिन्दास	[signature]
233	" सहीरामजी	भदाणा (हालेंप्रीत)	[signature]
234 5.	" सुगनाराम	मांडवास	[signature]
235 6.	" दिलीप	जिन्दास	दिलीप
236 7.	" बुधाराम	जिन्दास	बुधाराम
237 8.	" प्रहलादरामजी	भदाणा	प्रहलाद
238 9.	" मानवेन्द्रसिंहजी	हरिमा	Manvendra Singh
239 10.	" मनोहर	भदाणा	[signature]
240 11.	Harendra Singh	JM Environ Pvt. Ltd.	[signature]
241 12.	Ramesh Nelesa	JM Environ Pvt. Ltd.	[signature]
242 13.	Prachi Saxena	J.M. EnviroNet (P) Ltd	Prachi Saxena.
243 14.	Shankar lal	Bhadana.	शंकरलाल
244 15.	Aduramji	Bhadana	आडूराम
245 16.	Jagdish Bana	Bhadana	[signature]
246 17.	Chhagan lal	Deh	Chhagan lal
247 18.	फूलाराम जी	भदाणा	फूलाराम
248 19.	कैलाशजी	जिन्दास	कैलाश
20.			

उपस्थिति पंजिका

चूना पत्थर खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

चूना पत्थर खनन परियोजना, आवेदक मैसर्स जे.एस.डब्ल्यू. सीमेंट लिमिटेड, 3सी1 चूना पत्थर ब्लॉक, खान पट्टा क्षेत्र 300.7284 हेक्टेयर है और प्रस्तावित चूना पत्थर उत्पादन क्षमता– 1.45 मिलियन टीपीए, ओबी/आईबी/अपशिष्ट– 0.52 मिलियन टीपीए, शीर्ष मृदा– 0.07 मिलियन टीपीए, कुल उत्खनन 2.04 मिलियन टीपीए के साथ क्रेशर क्षमता 1600 टीपीएच की वॉब्लर के साथ स्थापना, निकट गांव– हरिमा, भड़ाना एवं डेह एवं तहसील– नागौर एवं डेह, जिला– नागौर (राजस्थान) में स्थित है।

स्थानः–राजकीय प्राथमिक विद्यालय, जिन्दास संख्या 2, पंचायत समिति नागौर, तहसील एवं जिला नागौर

दिनाँकः 12.06.2025, समयः प्रातः 10:00 बजे

249	अजयपालजी	जिन्दास	अजयपाल
250	Mitesh	Bhadana	Mitesh
251	मंगलाराम प्रजापत	भड़ाना	मंगलाराम
252	मनीष	भड़ाना	मनीष
253	ताराचन्द [illegible]	भड़ाना	ताराचन्द
254	दामोदर	जिन्दास	दामोदर
255	सवाई सिंह	जिन्दास	सवाई
256	हजारीराम		हजारीराम
257	विक्रम		विक्रम
258	नथुराम	जिन्दास	नथुराम
259	रविन्द्र	जिन्दास	रविन्द्र
260	ओमाराम	जिन्दास	ओमाराम
261	उमेद सिंह	जिन्दास	उमेद सिंह
262	रामूराम गोरा	जिन्दास	रामूराम गोरा
263	शैतानराम प्रजापत	भड़ाना	शैतानराम
264	पूनाराम बेलदार	जिन्दास	

वरिष्ठ उपाध्यक्ष बोदु राम गोदारा, सभा अध्यक्ष अयाज खान, अध्यक्ष रामदेव गुलेरिया, महिला उपाध्यक्ष सुनीता चौधरी, मंत्री राजेश खिलेरी पुनः मंत्री पद सौंपा गया। इस अवसर पर

कैम्प जारी, बच्चों में उत्साह

कई बौद्धिक, शारीरिक व रचनात्मक गतिविधियों का आयोजन

समस्या-समाधान, संचार, अस्तित्व, रचनात्मकता और भावनात्मक बुद्धिमत्ता जैसे कौशल सिखाना ब चों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानाचार्य निलेश शर्मा ने बताया कि समर कैम्प दिनचर्या की एकरसता को तोड़ने और बच्चों को रोमांचक गतिविधियों में डुबोने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जो उन्हें कहीं और नहीं मिल सकती हैं।

प्रधानाध्यापिका विमला डारा ने बताया कि समर कैम्प में स्वतंत्रता और आत्मविश्वास को बढ़ावा देना बच्चों को सभी तरह के कामों में उत्साहपूर्वक शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उप प्रधानाचार्य दौलत सिंह शेखावत ने बताया कि समर कैम्प का मुख्य उद्देश्य बच्चों का समग्र विकास करना है। इसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक सभी पहलुओं को शामिल किया जाता हैं। समर कैम्प प्रभारी अर्जुन आचार्य, वसीम अहमद व नेहा परिहार ने बताया कि समर कैम्प में रंजन कंवर और मनोज तिवारी ने योगासन, मेडिटेशन और ध्यान का अभ्यास करवाया। नेहा परिहार और प्रियंका काबरा ने ब चों को जुम्बा नृत्य का प्रशिक्षण दिया। आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में सुनील जूनी ने ब चों को केनवास पेंटिंग का अभ्यास करवाया। बच्चों को प्रोजेक्टर की सहायता से प्रेरणादायक मूवी दिखाई गई।

वच्छता की शपथ दिलाई

द्यार्थियों को किया जागरूक

गरीय आधारभूत विकास परियोजना द्वारा शहर ाय और सीवरेज योजना के प्रति शहरवासियों ड़ नाटक के माध्यम से जागरुकता का सन्देश के अपना थियेटर के कलाकारों द्वारा शहर में क्षेत्र में हास्य प्रधान नुक्कड़ नाटक का मंचन पब्लिक स्कूल, इलाइलों का मोहल्ला, भाटों में हास्य प्रधान नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गाने, हास्य डायलॉग व नृत्य कर नागरिकों को घरेलू सीवर कनेक्शन के फायदे बताए। साथ जल संरक्षण के उपाय बताए और साफ सफाई रीके के बारे में जागरूक किया। कार्यक्रम में के वे वैध पेयजल कनेक्शन और घरेलू सीवर बनाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें ताकि । कार्यक्रम में कैप आरयूआईडीपी के देवेंद्र की शपथ दिलाई।

छापला के सुधीर बने लेफ्टिनेट

गोटन। निकवर्ती छापला गांव निवासी सुधीरप्रताप सिंह जोधा का भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट पद पर चयनित होने पर गांव में खुशी की लहर छाई हुई है। मारवाड़ राजपूत सभा के केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य नवलसिंह जोधा छापला व मोहनसिंह जोधा ने बताया कि सुधीर प्रतापसिंह के लेफ्टिनेंट बनने पर परिवार में खुशी का माहौल है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय कुलदेवी नागणेची माता, सिद्ध बाबा शिवनाथजी महाराज व अपने दादा सोनसिंह जोधा को दिया है। गौरतलब है कि सुधीर के दादा सोनसिंह जोधा स्वयं एक सामान्य किसान है परन्तु उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के अनुसार उनके परिवार वाले शिक्षा व नौकरी के क्षेत्र में

अव्वल है तथा जोधा परिवार को भारतीय सेना से गहरा लगाव है। सुधीर प्रताप सिंह जोधा के पिता महेंद्रसिंह जोधा भारतीय सेना की 25 वीं राजपूत रेजीमेंट से सेवानिवृत है व वर्तमान में आबकारी विभाग में कार्यरत हैं तथा माता मंजूकंवर गृहिणी हैं। उनके बड़े पिता भंवरसिंह जोधा भारतीय वायुसेना से सेवानिवृत्त है व चाचा नवलसिंह जोधा छापला भारतीय सेना की 16 वीं राजपूत रेजीमेंट से सेवानिवृत है।

ेम में निर्णायक नियुक्त

ओर से 15 मई तक पटना में आयोजित डिया गेम में निकटवर्ती ग्राम बंवरला के री को भारतीय एथलेटिक संघ ने एथलेटिक निर्णायक नियुक्त किया। राजस्थान से बनाए, गए, जिसमें नागौर से अकेले हरिराम धरी तीसरी बार खेलो इंडिया प्रतियोगिता है। चौधरी को नेशनल स्तर पर निर्णायक र राजस्थान एथलेटिक संघ, नागौर जिला घ, जिला तीरंदाजी संघ एवं खेल प्रेमियों पटना के लिए रवाना होंगे।

प्रधानाचार्य सैनी ने संभाला कार्यभार

संखवास। कस्बे के पीएमश्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में पहली बार प्रधानाचार्य की स्थाई नियुक्ति हुई है। भामाशाह प्रेरक ओमप्रकाश गौड ने बताया कि प्रधानाचार्य के रूप में मंगलवार को ही धर्मवीर सैनी ने विद्यालय में पदभार ग्रहण किया। इस दौरान विद्यालय प्रशासन ग्रामीण एवं भामाशाह द्वारा प्रधानाचार्य का स्वागत किया गया। साथ ही कार्यवाहक प्रधानाचार्य आदम अली, राधेश्याम ,रामकिशोर, विनोद भाकल, प्रहलाद राम,ज्योति, कल्पना, हरसुख देवासी आदि मौजूद रहे।

गई तथा सभी भागीदारों के द्वारा व्यवसाय जारी रखने का निर्णय लिया गया।

हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त के बाबत् में किसी को कोई आपत्ति हो तो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, नागौ कार्यालय को 7 दिवस के भीतर सूचित कराएं।

वास्ते मैसर्स श्री गणपति माइ
भागीद

DNA35258

REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
1st Floor, Sahkari Bhumi Vikas Bank, College Road, Opposite Police Line, District-Nagaur 341001, email: rorpcb.nagaur@gmail.com
REGISTERED POST/E-MAIL

पर्यावरणीय हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि "मैसर्स जे एस डब्ल्यू सीमेंट लिमिटेड, 3सी1 चूना पत्थर ब्लॉक, खान पट्टा क्षेत्र 300.7284 हेक्टेयर है और प्रस्तावित चूना पत्थर उत्पादन क्षमता- 1.45 मिलियन टीपीए, ओबी/आईबी/अपशिष्ट @ 0.52 मिलियन टीपीए, शीर्ष मृदा @ 0.07 मिलियन टीपीए, कुल उत्खनन 2.04 मिलियन टीपीए के साथ क्रशर क्षमता 1600 टीपीएच की वॉबलर के साथ स्थापना, निकट गांव हरिमा, भड़ाना एवं डेह एवं तहसील- नागौर एवं डेह, जिला-नागौर (राजस्थान) की पर्यावरण स्वीकृति बाबत प्रस्ताव राज्य स्तरीय पर्यावरणीय अधिप्रभाव आंकलन प्राधिकरण, राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किये है।
2. और चूंकि मैसर्स ने एस डब्ल्यू सीमेंट लिमिटेड को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं तत्पश्चात संशोधित अधिसूचनाओं के अनुसार उक्त खनन परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई की आवश्यकता है।
3. और चूंकि उपरोक्त लीज़ धारक ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आवेदन किया है।
4. और चूंकि उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार जन सुनवाई हेतु मण्डल द्वारा इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
5. उक्त परियोजना से सम्बंधित संक्षिप्त अभिलेख (पर्यावरण प्रभाव आंकलन एवं सार रिपोर्ट) निम्नांकित कार्यालयों पर अवलोकनार्थ उपलब्ध है
1. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय - संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। 2 पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर। 3 क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय जयपुर। 4. जिला कलेक्टर, नागौर। 5. अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नागौर। 6. CEO जिला परिषद नागौर। 7. उपखण्ड अधिकारी, नागौर। 8. तहसीलदार नागौर। 9 तहसीलदार डेह। 10. क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर। 11. जिला उद्योग केन्द्र नागौर। 12. विकास अधिकारी पंचायत समिति, नागौर। 13 ग्राम पंचायत, हरिमा। 14. ग्राम पंचायत, भड़ाना। 15 ग्राम पंचायत डेह| 16. राजकीय प्राथमिक विद्यालय, जिंदास सं. 02. पंचायत समिति नागौर, तहसील एवं जिला नागौर।
6. उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई दिनांक 12/06/2025 को प्रात 10:00 बजे स्थान-राजकीय प्राथमिक विद्यालय, जिंदास सं . 02, पंचायत समिति नागौर तहसील एवं जिला: नागौर में आयोजित की जायेगी।

अतः सर्वसाधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त दिनांक को प्रस्तावित जन सुनवाई स्थल पर उपस्थित होकर अपने लिखित / मौखिक आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस सम्बन्ध में लिखित आक्षेप / सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से जन सुनवाई दिवस तक राजस्थान प्रदूषण नियत्रण मण्डल प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड, पुलिस लाइन के सामने, नागौर में दिये जा सकते हैं।

(राजकुमार मीणा) क्षेत्रीय अधिकारी

DNA 35257

कार्यालय नगर परिषद, नागौर

क्रमांक : नपना/कृ.भू./2025-26/603 **आम सूचना** दि. 07.05.202

इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित व्यक्तियों द्वारा अपनी खरीद शुदा भूमि का आवासीय/व्यावसायिक/मिश्रित प्रयोजनार्थ रूपान्तरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। अर्थात् -

क्र. सं.	नाम व पता	प्रयोजनार्थ	मौजा, खसरा नम्बर	क्षेत्रफल	आस-पड़ौस
1.	प.सं. LSGCLU90A/2025-26/104624 श्रीमती सिद्धि कुमारी पत्नी श्री नरेश, जाति जाट, निवासी बुरडी, तहसील व जिला नागौर	90-ए आवासीय	अमरपुरा 344	क्षेत्रफल 1347.08 वर्गमीटर	उत्तर में नागौर डेह रोड दक्षिण में इसी खसरे की शेष जमीन पूर्व में खसरा नं. 345 की जमीन पश्चिम में ख.नं. 1108/344 की जमीन
2.	प.सं. LSGCLU90A/2025-26/104487 श्री मोहम्मद जावेद गौरी पुत्र श्री हाजी अनवर जाति मुसलमान गौरी, निवासी नागौर, तहसील व जिला नागौर	90-ए आवासीय	चेनार सारणवास की कांकड़ 78	क्षेत्रफल 3237.07 वर्गमीटर	उत्तर में ख.नं. 701/78 दक्षिण में ख.नं. 79 पूर्व में कटाणी रास्ता पश्चिम में ख.नं. 701/78
3.	प.सं. LSGCLU90A/2025-26/104483 श्री रविन्द्र पंवार पुत्र श्री नरेन्द्र पवार, जाति माली, निवासी चेनार, तहसील व जिला नागौर, श्रीमती निकिता सांखला पत्नी श्री अविशेष सांखला, जाति माली, निवासी ताउसर, नागौर हाल निवासी घोसामहल बेगम बाजार, हैदराबाद	90-ए आवासीय	नागौर 89	क्षेत्रफल 412.48 वर्गमीटर प्लॉट नं. 46 व 47	उत्तर में रास्ता 30 फीट दक्षिण में प्लॉट नं. 48 पूर्व में इसी खसरे की शेष जमीन पश्चिम में रास्ता 30 फीट
4.	प.सं. LSGCLU90A/2025-26/104565 श्री हनुमानप्रसाद पुत्र श्री मिश्रीलाल, जाति ब्राह्मण निवासी खुडीकला, तहसील व जिला नागौर तहसील नागौर	90-ए वाणिज्यिक	नागौर 1121/451	क्षेत्रफल 40.11 वर्गगज	उत्तर में डामर सड़क दक्षिण में अन्य की जायगा पूर्व में प्लॉट नं. 4 का शेष भाग स्वयं की पश्चिम में प्लॉट नं. 03
5.	प.सं. LSGCLU90A/2025-26/104486 श्री जावेद पुत्र अनवर अली, जाति मुसलमान गौरी, निवासी नागौर,तहसील व जिला नागौर	90-ए आवासीय	नागौर 89	क्षेत्रफल 154.33 वर्गमीटर प्लॉट नं. 39	उत्तर में प्लॉट नं. 40 दक्षिण में प्लॉट नं. 38 पूर्व में बालवा जाने का कच्चा रास्ता पश्चिम में प्लॉट नं. 46
6.	प.सं. LSGCLU90A/2025-26/104644 श्री राजूमल सोनी पुत्र श्री गोपालराम सोनी, जाति सोनी, निवासी दुदावास, तहसील नोखा; जिला बीकानेर	90-ए आवासीय	नकाश 10	क्षेत्रफल 371.60 वर्गमीटर	उत्तर में इसी खसरे की शेष जमीन दक्षिण में बीकानेर डीडवाना बाईपास रोड पूर्व में इसी खसरे की शेष जमीन पश्चिम में सम्पतराम सांखला का प्लॉट
7.	प.सं. LSGCLU90A/2025-26/104648 सुश्री रेखा पुत्री श्री हंसराज, जाति माली, निवासी कांकरवाड़ा, नागौर, तहसील व जिला नागौर	90-ए आवासीय	इन्दास 348	क्षेत्रफल 1.4245 हैक्टेयर	उत्तर में खसरा नं. 346, दक्षिण में अन्य खसरा पूर्व में अन्य खसरा पश्चिम में खसरा नं. 1007/564
8.	प.सं. LSGCLU90A/2025-26/104616 श्री परसाराम पुत्र गंगाराम व श्री मंगलाराम पुत्र श्री गंगाराम, निवासीगण अतुसर, तहसील व जिला नागौर	90-ए फार्म हाउस	अतुसर 1474	क्षेत्रफल 9874 वर्गमीटर	उत्तर में अन्य खसरा व आगे सड़क दक्षिण में खसरा नं. 1478 व ख.नं. 1477 व ख.नं. 1479, पूर्व में खसरा नं. 1476 पश्चिम में खसरा नं. 1472

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90ए-क और राजस अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है वह इस नोटिस के प्रकाशन के 07 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आ प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जाएगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा वि जाएगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक .... को जारी की गई।

आयुक्त, नगर परिषद, ना

DNA-3525

medicines, oxygen, ambulances, and medical personnel. He also emphasised the officials concerned to ensure uninterrupted water, electricity, and basic service delivery.

The CM also reviewed internal security and disaster preparedness across all districts. Reviewing the drill and blackout exercise conducted on Wednesday, he called for effective security at strategically important locations. He ordered the cancellation of police personnel's leaves and instructed them to remain stationed at their respective headquarters. He also told ADG Range officers and nodal secretaries to stay in constant touch with district officials to ensure the implementa-

mantled terrorist hideouts in Pakistan and delivered a strong blow to terrorism. "The Congress and the entire nation welcome this action. We stand firmly with the Indian Army and the Government of India," Gehlot said.

Referring to the recent Pahalgam incident, he noted that there was already a growing public sentiment demanding action. "After the Pahalgam attack, there was a national sentiment building up. Rahul Gandhi and leaders from all opposition parties told the government: take action, we are with you. That unity has prevailed. When the entire nation stands together, half the battle is already won."

CM Bhajan Lal Sharma at a high-level meeting with senior police officials at the chief minister's office on Wednesday. HT PHOTO

am on Wednesday under Operation Sindoor, targeted nine ter-

orders," said Khajuwala block education officer Badri Ram.

"Operation Sindoor was ju small step. There should

Civic defence drills bring silence, bunkers from 197

Mukesh Mathrani

letters@hindustantimes.com

BARMER: Over 50 years have passed since the 1971 India-Pakistan war but its memories remain fresh in the residents along border villages of Rajasthan. With the states conducting civic defence drills like during the previous war, many citizens in border villages near Barmer remember building bunkers and going into hiding when the war sirens were previously sounded.

"During the 1971 India-Pakistan war, we built bunkers and supported the army. We used to go on reconnaissance missions and inform the army of any movements on the Pakistani side. If a war breaks out today, Pakistan will not last more than four days," the residents said.

"Back then, Pakistan dropped 16 bombs, but none exploded. It was all due to the blessings of Goddess Hinglaj. The army had instructed that a long siren meant we had to take cover, while a short siren meant no immediate danger. If the army needs us again, we are ready to help in every possible way," they added.

Shanti Devi, a resident of the remote Gadra Road village, recalled how villagers tried to survive during the 1971 war. "We cooked dinner during the day. At night, not a single fire was lit. Windows were sealed with mud so that not even the tiniest light could escape. Even the flame from the cooking fire was covered."

Prag Singh Sodha (82) from Ramsar said: "Even during the 1971 war, the army conducted mock drills. We were taught when to hide and when it was safe to come out. We understood the sirens." "We made bunkers in our fields — these were pits where we would hide whenever a long siren sounded. The siren

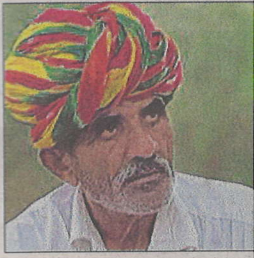

Ransingh Dedusar

usually meant Pakistani pla were approaching, so we k an attack was coming. We already dug hiding pits near homes. As soon as the siren v off, we would rush into them stay hidden for hours. C when the army sounded short siren would we relieved and come out," he s

Among the residents is Cl Singh (65) from Harsani vil who fought during the 1971 He said that the villagers a the border had supported

REGIONAL OFFICE

RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

1st Floor, Sahkari Bhumi Vikas Bank, College Road, Opposite Police Line, District-Nagaur 341001, email: rorpcb.nagaur@gmail.com

REGISTERED POST/E-MAIL

पर्यावरणीय हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि "मैसर्स जे एस डब्ल्यू सीमेंट लिमिटेड, 3सी1 चूना पत्थर ब्लॉक, खान पट्टा क्षेत्र 300.7284 हेक्टेयर है और प्रस्तावित चूना पत्थर उत्पादन क्षमता- 1.45 मिलियन टीपीए, ओबी/आईबी/अपशिष्ट @ 0.52 मिलियन टीपीए, शीर्ष मृदा @ 0.07 मिलियन टीपीए, कुल उत्खनन 2.04 मिलियन टीपीए के साथ क्रशर क्षमता 1600 टीपीएच की वॉबलर के साथ स्थापना, निकट गांव हरिमा, भड़ाना एवं डेह एवं तहसील- नागौर एवं डेह, जिला-नागौर (राजस्थान) की पर्यावरण स्वीकृति बाबत प्रस्ताव राज्य स्तरीय पर्यावरणीय अधिप्रभाव आंकलन प्राधिकरण, राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किये है।
2. और चूंकि मैसर्स ने एस डब्ल्यू सीमेंट लिमिटेड को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं तत्पश्चात संशोधित अधिसूचनाओं के अनुसार उक्त खनन परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई की आवश्यकता है।
3 और चूंकि उपरोक्त लीज़ धारक ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आवेदन किया है।
4. और चूंकि उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार जन सुनवाई हेतु मण्डल द्वारा इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
5. उक्त परियोजना से सम्बंधित संक्षिप्त अभिलेख (पर्यावरण प्रभाव आंकलन एवं सार रिपोर्ट) निम्नांकित कार्यालयों पर अवलोकनार्थ उपलब्ध है
1. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय - संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। 2 पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर। 3 क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय जयपुर। 4. जिला कलेक्टर, नागौर। 5. अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नागौर। 6. CEO जिला परिषद नागौर। 7. उपखण्ड अधिकारी, नागौर। 8. तहसीलदार नागौर । 9. तहसीलदार डेह । 10. क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर। 11. जिला उद्योग केन्द्र नागौर। 12. विकास अधिकारी पंचायत समिति, नागौर। 13 ग्राम पंचायत, हरिमा ।14. ग्राम पंचायत, भड़ाना । 15 ग्राम पंचायत डेह | 16. राजकीय प्राथमिक विद्यालय, जिंदास सं. 02. पंचायत समिति नागौर, तहसील एवं जिला नागौर।
6. उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई दिनांक 12/06/2025 को प्रातः 10:00 बजे स्थान-राजकीय प्राथमिक विद्यालय, जिंदास सं . 02, पंचायत समिति नागौर, तहसील एवं जिलाः नागौर में आयोजित की जायेगी।

अतः सर्वसाधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त दिनांक को प्रस्तावित जन सुनवाई स्थल पर उपस्थित होकर अपने लिखित / मौखिक आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस सम्बन्ध में लिखित आक्षेप / सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से जन सुनवाई दिवस तक राजस्थान प्रदूषण नियत्रण मण्डल प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड़, पुलिस लाइन के सामने, नागौर में दिये जा सकते हैं।

(राजकुमार मीणा) क्षेत्रीय अधिकारी

HT Classifieds

CHANGE OF NAME

I MOHAMMAD Imran Khan S/O Mumtaj Khan Residence Ward No. 19 Nardiyan Mohalla Rajagarh Churu. I Nereby Declare That My Correct Name Is My All Document Is Mohammad Imran Khan But In My Passport It Is Wrongly Written As Imran Khan So I Want To Correct Is As Mohammad Imran Khan In My Passport

I, SHT BHOLA NATH KHANRA is legal father of JC 769576P, Rank - SUB, Trade: MTECELE, Name- Bijan Khanra presently residing at Vill kumrul, PO. Kumrul, Dist. HOOGHLY, STATE. WEST BENGAL, PIN -712410 . I have changed my name SHT BHOLA NATH KHANRA to BHOLANATH KHANRA vide affidavit no BZ608326 before Distt court jodhpur Raj.

I, RANI Devi Wife of Army No 15582716X Hav Sanjeev Singh of 109 Rapid (S) Engr Regt C/o 56 APO-914109 have change of my name from Rani Devi to Rani in my husband's service record. Vide Affidavit dt 07.05.25 before Kota Court (Raj)

I, PINGALE SUDAM RAMCHANDRA Father of Army no 15584540W Hav PINGALE YOGESH SUDAM OF 109 Rapid(S) Engr Regiment c/o 56 Apo have to change My DOB from 20/05/1959 to 01/01/1958 in my Son's service record.

CHANGE OF NAME

I, 17000786W Rank- NK, Name -Vanza Dineshkumar Jeshabhai, Permanent Address at Village & Post- Moti fafni, Teh-Kodinar, Dist-Gir Somnath, State Gujarat, Pin 362720 .I have changed my son Name from RUDRA to RUDRA DINESHKUMAR VANZA his date of birth. 09/07/2022.vide affidavit no BX 139912 dt 31/03/2025 before Distt court jodhpur Raj.

I ARMY no 15210614M Ex Hav Raj Kumar Sharma S/O Radhya Shyam resident of yadavo ki dhani ke pass village & post Baswa tehsil Baswa district Dausa that have changed my father name From RADHYA SHYAM which wrongly entered in my service record To RADHYA SHYAM SHARMA vide aafidavit dated 2 may 2025 before district notary Jaipur

I, ANJANABAI SUPAN Mother of Army no 15584540W Hav PINGALE YOGESH SUDAM OF 109 Rapid(S) Engr Regiment c/o 56 Apo have to change My Name from ANJANABAI SUPAN To ANJANABAI SUDAM PINGALE and DOB from 28/06/1964 to 01/01/1960 in my Son's service record.

{ THREATENING OFF

SC uphol term for

HT Correspondent

letters@hindustantimes.com

JAIPUR: The Supreme Cour Wednesday upheld BJP M Kanwarlal Meena's three- jail term for threatening an cial at gunpoint and asked to surrender in two weeks.

While hearing a special l petition by Meena again Rajasthan high court o upholding a trial court o convicting Meena, a three j bench of justice Vikram N justice Sanjay Karol and ju Sandeep Mehta upheld Rajasthan high court order

Meena has been accuse putting a gun to the head of SDM Ramniwas Mehta threatening to kill him, on J ary 3, 2005. Meena along villagers reached the SI office to stage a dharn demand a recount in the de sarpanch election in Khatak He also threatened IAS pr tioner Preetam B Yashwan